खण्ड-116, अंक-3
सोमवार, 8 पौष, शक संवत् 1874
(29 दिसम्बर, 1952 ई0)

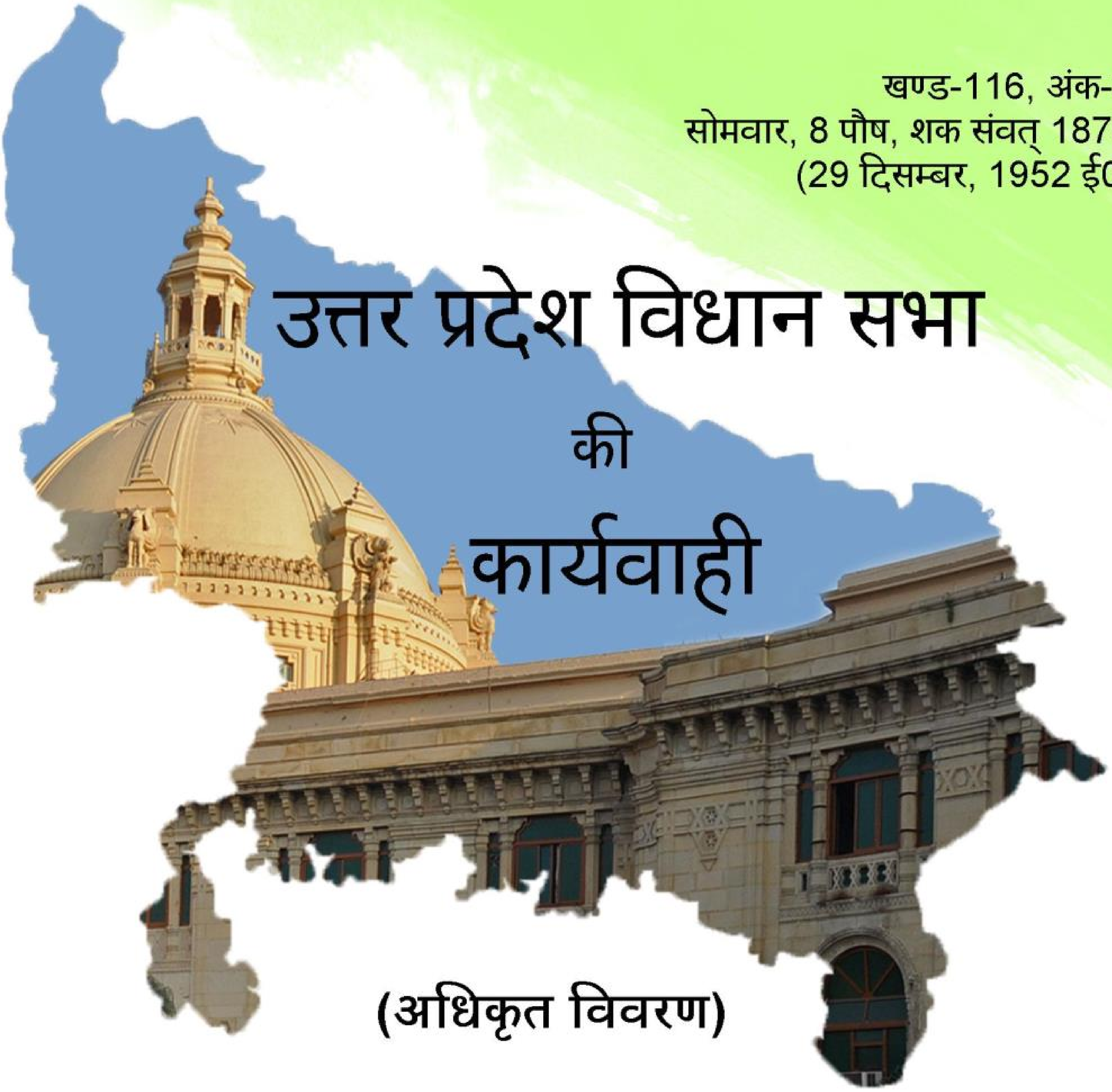

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 116 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २९ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अब्दुल रऊफ़ ख़ां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द्र, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश चन्द्र वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्वम्भरनाथ पांडे, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासी लाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजवली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी, शास्त्री, श्री
श्री चन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सूफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोबिन्द पन्त, श्री
हरगोबिन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

उद्योग मंत्री, श्री हुकुम सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

मेहतरों द्वारा हड़ताल का नोटिस

*१—श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २६ दिसम्बर, से होने वाली मेहतरों की हड़ताल के बारे में कोई नोटिस मांग सहित सरकार को मिला ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—जी हां, उस पर विचार हो रहा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि गवर्नमेंट की तरफ से एलान हुआ कि स्ट्राइक का नोटिस विद्रड्रा हो गया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई एलान नहीं हुआ। यह ठीक है कि बालमीकियों के नुमाइन्दे मेरे पास आये थे और उन्होंने यह कहा था कि हम बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप बात कर सकते हैं लेकिन जब तक आप की स्ट्राइक नोटिस है, मैं आप की मांगों पर आप से बात नहीं करूंगा। उन्होंने उसी वक्त खड़े हो करके यह एलान किया कि हम स्ट्राइक विद्रड्रा करते हैं। दूसरे दिन वे लोग हमारे घर पर आये और यह कहा कि हमने नोटिस विद्रड्रा कर लिया है। उसके बाद उनसे हमारी बातें होती रहीं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या मेहतर यूनियन के प्रेसीडेंट, माननीय भगवानदीन जी, ने कोई अपना बयान इस सिलसिले में निकाला है कि स्ट्राइक नोटिस विद्रड्रा नहीं की गयी ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां, वह बयान मैंने अखबारों में देखा है। उसके बाद भगवानदीन जी से बातचीत हुई है और उन्होंने ने अपनी गलती भी मानी है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह बात भी सच है कि जो निगोशिएशन्स मेहतर यूनियन से चल रहे थे वे बन्द हो गये हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम—कोई निगोशिएशन्स नहीं चल रहे थे।

*२—श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार का मेहतरों की मांगों के बारे में कोई मसझौता करने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहन लाल गौतम—इस प्रश्न पर भी आवश्यकतानुसार विचार किया जायगा।

श्री बिशम्भर सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि मेहतरों की मांग क्या है ?

श्री मोहन लाल गौतम—एक लम्बी चौड़ी नोटिस छपी हुई है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस ओर दिलाता हूं। वे उसको पढ़लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि उक्त मांगों में सब से बड़ी मांग यह है कि पे कमेटी की रिपोर्ट अभी तक बहुत सी म्युनिसिपैलिटियों में लागू नहीं हुई ?

श्री मोहन लाल गौतम--यह बात गलत है।

*३--श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या सरकार के पास मेहतर मजदूर संघ की ओर से फिर दूसरा कोई रिमाइण्डर आया है ? यदि हां, तो सरकार ने उसका क्या जवाब दिया ?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां। विषय सरकार के विचाराधीन है।

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)--[१२ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

बलिया में टेस्ट वर्क्स और निर्मूल्य सहायता पर व्यय

*३--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में कितना रुपया टेस्ट वर्क और निर्मूल्य सहायता में खर्च किया गया है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--बलिया जिले में टेस्ट वर्क्स पर कुछ भी व्यय नहीं हुआ। निर्मूल्य सहायता में कुल ११,५९२ रु० १० आना व्यय हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में टेस्ट वर्क चालू न करने के क्या कारण थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बलिया जिले में टेस्ट वर्क चालू करने के लिये सरकार ने रुपया स्वीकार किया था और जो मजदूरी निर्धारित की गयी थी वह १० आने, ८ आने थी लेकिन इस दर पर कोई काम करने के लिये तैयार नहीं हुआ। इसलिये टेस्ट वर्क चालू नहीं किया जा सका।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि निर्मूल्य सहायता जो १२, ५९२ रु० ५ आने दी गयी वह किन-किन तहसीलों में कितनी-कितनी दी गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--विवरण नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या बलिया जिले का पश्चिमी एरिया गाजीपुर और आजमगढ़ के अभावग्रस्त क्षेत्र की तरह नहीं है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--बिल्थरा मधुबन सड़क पर और बलिया बांसडीह सड़क तो अभावग्रस्त समझ करके टेस्ट वर्क के लिये ली गयी थी, वहां के लोगों की सूचना के अनुसार। लेकिन लेबरर नहीं मिल सके इसलिये वहां काम नहीं किया गया।

*४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि रसड़ा तहसील के अन्तर्गत बिल्थरा रोड और किड़िहड़ापुर स्टेशन के पश्चिम के क्षेत्रों में टेस्ट वर्क और निर्मूल्य सहायता में कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--टेस्ट वर्क्स पर कुछ भी व्यय नहीं हुआ है, निर्मूल्य सहायता में बेल्थरा रोड तथा किड़िहड़ापुर स्टेशन के पश्चिम के क्षेत्रों में क्रमशः २१३ रु० ८ आना तथा १९२ रु० ८ आना व्यय हुआ है।

जौनपुर में रबी के बीज पर व्यय

*५—श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या मालमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में रबी के बीज के लिये भिन्न-भिन्न तहसीलों में कितना रुपया दिया गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जौनपुर जिले में रबी के बीज के लिये भिन्न-भिन्न तहसीलों में निम्नलिखित रुपया दिया गया :

तहसील जौनपुर	३,००० रु०
तहसील केराकत	५,००० रु०
तहसील शाहगंज	१०,००० रु०
तहसील मछली शहर	२०,००० रु०
तहसील मड़ियाहूं	७०,००० रु०

*६—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन किसानों को धान के बीज के लिये तकावी दी गयी थी उनसे धान पैदा न होने के कारण तकावी वसूल करना रोक दिया गया है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इस जिले में बीज न मिलने की शिकायत किसी जगह से नहीं हुई मगर कुछ इलाकों में धान की फसल को नुकसान पहुंचा है इसलिये जिलाधीश ने वहां की तकावी की वसूली मुलतवी कर दी है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में तकावी नहीं पहुंची और सूखा से किसान बहुत परेशान हैं वहां और किसी को तकावी दी जायगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अगर आवश्यकता होगी तो अवश्य दी जायगी।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो तकावी मुल्तवी की गयी है उसका तखमीना कितना बैठता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—८ गांव तहसील शाहगंज के, ११८ गांव तहसील मंडियाऊं के और ३० मछली शहर के। कुल ३०,७१३ रु० ५ आने की मुल्तवी की गयी है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—यह जो रुपया तकावी वाला सरकार ने रख दिया है, तो जहां धान की फसल नहीं हुई है उसको सरकार माफ करने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आवश्यकता नुसार विचार किया जा सकता है।

*७—श्री रामलखन (जिला बनारस)—[१२ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

ग्राम फतेहपुर, जिला मुजफ्फरनगर, में अधिक वर्षा से खरीफ को नुकसान

*८—श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि फ़तेहपुर ग्राम कांधला परगना मुजफ्फरनगर जिला, अधिक बरसात में तबाह हो जाता है और सब फसलें मारी जाती हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--ग्राम फतेहपुर परगना कांधला जिला मुजफ्फरनगर दो नालों के मध्य में बसा है। यदि किसी वर्ष वर्षा अधिक हुई तो नालों का पानी आस-पास के क्षेत्र में फैल कर खरीफ की फसलों को कुछ हानि पहुंचाता है। परन्तु भूमि ढालू होने के कारण पानी अधिक देर तक नहीं टिकता, अतः हानि अधिक नहीं होती।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि अधिक देर से क्या तात्पर्य है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अधिक देर ये यह तात्पर्य है कि यह ज्यादा देर नहीं ठहरता।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस गांव में करीब ६ महीने पानी भरा रहता है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह बात सही नहीं है।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस गांव में खरीफ की फसल बहुत ही कम पैदा होती है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार के पास जो रिपोर्ट है उससे यह पता चलता है कि इधर ४, ५ वर्ष से खरीफ की फसल में नुक़सान नहीं है लेकिन जब पानी भर जाता है तो कुछ फसल में नुकसान होता है। पानी निकालने के लिये कुछ उपाय सरकार सोच रही है। यों तो जल्दी ही पानी निकल जाता है लेकिन आसानी से निकल जाय इसके लिये उपाय सरकार सोच रही है।

*९--श्री श्रीचन्द--सरकार ने इस ग्राम को इस तबाही से बचाने के लिये अब तक क्या कोई कार्यवाही की है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मुख्य इंजीनियर, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को आदेश दे दिया गया है कि वे जिलाधीश से परामर्श करके इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।

आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क में लगे मजदूरों की मजदूरी मिलने में विलम्ब

*१०--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के दुबारी, मझवारे आदि सड़कों पर टेस्ट वर्क में जो मिट्टी डाली जा रही थी उसमें मजदूरों की मजदूरी १०, १० दिन तक नहीं दी जाती रही है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क्स पर मजदूरी साधारणतया सप्ताह में एक बार वितरित की जाती थी। एकाध बार दो एक जगह अतिवृष्टि, वितरण करने वाले कर्मचारियों की आकस्मिक बीमारी अथवा अन्य अपरिहार्य दशाओं में दो चार दिन की देरी हो गई थी।

*११-१३--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--[७ जनवरी, १९५३ के लिये संख्या ३--५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१४--श्री हरि प्रसाद (जिला पीलीभीत)--(अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ १८२ पर]

*१५-१७--श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)--[१६ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

लगान वसूली के लिये नायब तहसीलदारों की नियुक्ति

*१८—श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या मालमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो नायब तहसीलदार तीस की संख्या में समाचारपत्रों द्वारा विज्ञापन देकर लगान वसूली के लिए एक कमेटी द्वारा नियुक्त किये गये हैं वे किन-किन जिलों के निवासी और अलग अलग से क्या योग्यता रखते हैं?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापन देकर मालगुजारी वसूली के लिये, कमेटी द्वारा ३० नायब तहसीलदार निर्वाचित किये गये थे। इनके अतिरिक्त ९ और नायब तहसीलदार कमेटी की रिजर्व सूची में से नियुक्त कर दिये गये ह। इन सब के निवास स्थान और योग्यता की सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४० पर)

श्री महाराज सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो समाचारपत्रों में तीस का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उसके अतिरिक्त जो ९ और नायब तहसीलदार बढ़ाये गये हैं उसमें राजनैतिक पीड़ित, पिछड़े हुए वर्ग और हरिजनों के लिये क्या स्थान थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य— जो बाहर से नायब तहसीलदार लिये गये हैं उनमें अब तक ३९ बाहर से लिये जा चुके हैं। तीस पहले लिये जा चुके थे। लेकिन कुछ जगह और खाली हो गई थी। इसलिये ९ और लिये गये। उनमें शेडयूल कास्ट्स के ९ हैं, बैकवर्ड क्लासेज के ६ पोलिटिकल सफरर्स के १६ और बाकी ८ हैं। शेडयूल कास्ट्स का जो रिजर्वेशन है उनको उसी के हिसाब से लिया गया, वैसे बैकवर्ड क्लास और पोलिटिकल सफरर्स का भी खयाल किया गया।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन उम्मीदवारों ने अर्जियां दी थीं उनको इंटरव्यू के लिये क्यों नहीं बुलाया गया ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जो विज्ञापन अर्जियां इनवाइट करते हुए निकाला गया था उसमें साफ कर दिया गया था कि कि सबको नहीं बुलाया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वे क्या कारण थे इन्टरव्यू के जिनसे अखबारों में यह निकाल दिया गया था कि वह सब इन्टरव्यू के लिए नहीं बुलाए जायंगे ?

श्री चरण सिंह—क्योंकि मालूम था कि दरख्वास्तें कई हजार आयेंगी और अगर सबको बुलाया गया तो कई महीने इंटरव्यू में लगेंगे।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या तरीका उनके सेलेक्शन का उस कमेटी ने अख्तियार किया ?

श्री चरण सिंह—तरीका यह किया गया कि जिनको उन्होंने अधिक से अधिक योग्य समझा उनको निमंत्रित किया और फिर इंटरव्यू में उनसे बात करने के बाद वह जिस नतीजे पर पहुंचे उस तरीके से उन्हें सेलेक्ट कर लिया।

*१९—श्री महाराज सिंह—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लगान वसूली के लिये जो नायब तहसीलदारों की आवश्यकता का विज्ञापन समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया था, उसके आधार पर कुल कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुईं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---विज्ञापन के पश्चात् २५-८-५२ तक (जो कि भूमि व्यवस्था कमिश्नर के दफ्तर में आवेदन-पत्र के पहुंचने की अन्तिम तिथि थी) कुल ५,५७१ दरख्वास्तें प्राप्त हुईं ?

*२०-श्री महाराज सिंह---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लगान वसूली के लिए जो नायब तहसीलदारों का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, उसके आधार पर कितने प्रार्थना-पत्र हरिजनों के, राजनीतिक पीड़ितों के, पिछड़े हुए वर्ग के प्रार्थियों के प्राप्त हुए ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---हरिजनों (परिगणित जातियों) के १४३, राजनीतिक पीड़ितों के २२९ तथा पिछड़े हुये वर्ग के प्रार्थियों के १५० प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये।

जौनपुर जिले में लगान वसूली के सम्बन्ध में नियुक्तियां

*२१---श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार जौनपुर जिले के मालगुजारी वसूली के सम्बन्ध में निम्नलिखित कर्मचारियों को, जो वहां के जिला अधिकारियों द्वारा चुने गये हैं, एक फ़ेहरिस्त मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

	कुल संख्या
(१) नायब तहसीलदार	---
(२) अमीन	---
(३) क्लर्क	---
(४) चपरासी	---

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मालगुजारी की वसूली के लिये जिलाधीश जौनपुर द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों की एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४२)

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि चुने गये कर्मचारियों की संख्या ७ नायब तहसीलदार ९४, अमीन, २४ क्लर्क और १९७ चपरासियों में से कितने हरिजन किस अनुपात से रखे गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---नायब तहसीलदार में तो सब ग्रेज्युयेट और ला-ग्रेज्युएट्स रखे गये हैं। परिगणित जाति का एक इंटरमीडियेट परीक्षा पास था वह है और अमीन में से ५ परिगणित जाति के हैं। क्लर्क में २ परगणित जाति के हैं और चपरासियों में १९ परिगणित जाति के हैं।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार यह बतालाने की कृपा करेगी कि जो नायब तहसील, बार लिए गए हैं उनमें हरिजनों की कितनी अप्लीकेशंस थीं और किस किस योग्यता की थीं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---नोटिस की आवश्यकता है।

उत्तम नस्ल के लिये विदेशी जानवर

*२२---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अब तक कुल कितने सांड तथा सुअर विदेशों से केवल नस्ल के हेरफेर के लिए मंगाये गये हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---कोई सांड तथा सुअर विदेशों से नहीं मंगाया गया है।

*२३---श्री बाबूनन्दन---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुल कितने नस्ल उपरोक्त जानवरों के सम्बन्ध से बढ़े ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह प्रश्न नहीं उठता ?

*२४-२६---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---[१५ जनवरी, १९५३ के लिये संख्या १६-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२७---श्री राम लखन---[हटा दिया गया।]

*२८---श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)---[२६ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

माल मुहकमे के अफ़सरों को हल्के में दौरा करने को आदेश

*२९---श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि माल मुहकमे के अफसरों को हल्के में दौरा करने के सम्बन्ध में कोई आदेश हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां। माल महकमे के अफसरों को हल्के में दौरा करने के नियम मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स (Manual of Government Orders) के अध्याय १६ तथा रेवेन्यू मैनुअल (Revenue Manuae.) के खंड ८३२ में दिये हुये हैं। सब डिवीजनल आफिसर्स (Sub-Divisionai Officers) के दौरा करने के सम्बन्ध में एक आदेश, १९४७ में जारी हुआ था। वह अब भी लागू है परन्तु इस वर्ष जमींदारी उन्मूलन अधिनियम (Zamidari Abolition Act) के लागू होने के कारण सरकार ने विशेष आज्ञायें जारी की हैं। दोनों आदेशों की प्रतिलिपि सदस्य की सूचनार्थ नत्थी हैं ?

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४३ पर)

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू हो जाने के बाद गांव के झगड़े बहुत ज्यादा खड़े हो गये हैं जिनको तय करने के सम्बन्ध में भी पुराने आदेश में हुक्म जारी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है कि अपने दौरे में जो झगड़े हों उनकी भी देखभाल करें।

श्री गेंदा सिंह---क्या इस वर्ष जो एस० डी० ओज० लोग दौरा करेंगे वह दौरा पहले की तरह से ६ हफ्ते का होगा ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, अब एक महीने का दौरा होगा ? कारण यह है कि जमींदारी उन्मूलन के सिलसिले में जो कम्पेन्सेशन का काम हो रहा है उससे उनको अधिक फुर्सत नहीं है। इसलिये एक महीने का दौरा है।

* * * *

पीलीभीत में पटवारियान एसोसियेशन द्वारा कार्य बन्द करने की चेतावनी

*१४---श्री हरि प्रसाद (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि जिला पीलीभीत के पटवारियान एसोसियेशन ने पटवारियों द्वारा काम बन्द किये जाने की चेतावनी दी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

नोट---तारांकित प्रश्न १४ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां, जिला पटवारी एसोसियेशन पीली भीत ने दिसम्बर, १५, १९५२ ई० से पटवारियों द्वारा एक साथ त्यागपत्र देने की चेतावनी दी थी लेकिन वह काम कर रहे हैं । पूरनपुर तहसील में कुछ पटवारियों ने त्याग पत्र तहसील में दिये थे जिनमें से ६ स्वयं पटवारियों ने और बाकी उनके प्रतिनिधि ने वापस ले लिये और हाकिम परगना तक कि जहां वे दिए जाने चाहिये थे भी न पहुंच सके। पटवारियों की परिवेदनायों पर जिला अधिकारी ध्यान दे रहे हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पटवारियों ने त्यागपत्र किस मांग को ले कर दिया था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--वैसे तो हड़ताल हुई नहीं । कुछ त्यागपत्र अवश्य आये थे, लेकिन उनकी मांग यह थी कि पांच मील के अन्दर के भी भत्ते उनको दिये जांय और कुछ उनके जो सुपीरियर आफिसर्स थे उनके बारे में शिकायतें थीं इसलिये वे त्यागपत्र दिये गये थे।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या इस मांग पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह--अब तक नियम यह है कि पांच मील के अन्दर अगर आफ़िसर काम करता है तो उसको डेली एलाउन्स नहीं दिया जाता है । लेकिन जेड ए० एफ० के सिलसिले में पटवारियों को चाहे वे पांच मील के अन्दर ही क्यों न रहते हों भत्ता दिया गया । तो उनकी मांग यह है कि उनको पहले की भांति जो कम्पेन्सेशन के सिलसिले में काम कर रहे हैं उनको भत्ता दिया जाय । यह मांग गवर्नमेंट के विचाराधीन है ।

श्री गेंदा सिंह--क्या यह सही है कि पीलीभीत जिले भर के पटवारियों की ५० मांगें थीं और उनमें से अधिकांश मांगे वहां के जिलाधीश ने स्वीकार कर ली हैं ?

श्री चरण सिंह--गवर्नमेंट को यह इल्म नहीं है कि वे मांगे जो सारे सूबे भर के पटवारियों की थीं वे ५० की तादाद तक पहुंच गयी हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय माल मंत्री जी बता सकते हैं कि पीलीभीत के पटवारियों को तहसील पर ठहरने, रुकने और बैठने का इंतजाम सरकार की ओर से है ?

श्री चरण सिंह--जी हां, काम करने के लिये उनको स्थान दिया गया है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि पटवारियों को काम रोकने के लिये कौन व्यक्ति और कौन संस्थायें प्रोत्साहित कर रही हैं ?

श्री चरण सिंह--जो पार्टियां एलेक्शन के मैदान में हार गयीं उन्होंने पटवारियों को इस काम के लिये प्रोत्साहित करना शुरू किया ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतालाने का कष्ट करेंगे कि पटवारियों की ऐसी शिकायतें हैं कि कानूनगो उनसे कुछ माहवारी मांगते हैं ?

श्री चरण सिंह--कुछ जगहों के पटवारियों की यह शिकायत है ।

श्री सीता राम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पटवारियों के असंतोष की बात कब तक दूर कर दी जायगी ?

श्री चरण सिंह--असंतोष तो दुनिया में किसी व्यक्ति और किसी वर्ग का पूर्णतया कभी भी दूर नहीं हो सकेगा। बाक़ी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि पटवारियों के असोसियेशन के आदमी माननीय मालमंत्री जी से मिलना चाहते थे ?

श्री चरण सिंह—जब उन्होंने मिलने की इच्छा प्रकट की थी तो मैं उनसे मिलना चाहता था लेकिन मैं बाहर चला गया था । अब मुझे मालूम हुआ है कि वहफिर मिलने यहां आये हुये हैं ।

अतारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले की बंजर तथा कृषि योग्य भूमि

१—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कितनी एकड़ भूमि पर खेती होती है और कितनी एकड़ भूमि ऐसी है जो बंजर है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जौनपुर जिले में सन् १९५१-५२ के आंकड़ों के अनुसार ६,९७,३५२ एकड़ भूमि पर खेती होती थी और १,७२,८९८ एकड़ भूमि बंजर थी ।

आजमगढ़ जिले में सिंचाई के साधन

२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने पक्के कुयें हैं और उन कुओं से कितनी एकड़ जमीन सींची जाती है ?

श्री चरण सिंह—आजमगढ़ जिले में कुल ४९,८५५ पक्के कुयें हैं और उनसे लगभग ४,१७,५४४ एकड़ जमीन सींची जाती है।

३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री को यह ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के बहुतसे कुओं में इस वर्ष पानी नहीं रहा है ?

श्री चरण सिंह—आजमगढ़ जिले में लगभग १,८८६ कुवों में इस वर्ष सिंचाई के लिये पानी नहीं था ।

४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने तालाब और नदियां हैं एवं उन नदियों और तालाबों के पानी से पम्पिंग प्लान द्वारा सिंचाई कराने का विचार है तथा तालरतोय के मुख्य द्वार हाहानाले को बांध कर सिंचाई के काम में लाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री चरण सिंह—आजमगढ़ जिले में ताल और पोखरों की संख्या ६,४०६ है और छोटी बड़ी नदियों की संख्या १७ है, उपयुक्त तालाब और नदियों से सिंचाई के लिये कृषि इन्जीनियरिंग विभाग में १५ पम्पिंग प्लांट इस जिले के लिये निर्धारित किये गये हैं । हाहानाला को बांध कर सिंचाई के काम में लाने के मसले पर सरकार विचार कर रही है ।

अस्सी जिले में पटवारियों की हड़ताल के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—श्री झारखंडे राय जी का काम रोको प्रस्ताव उस रोज की यानी पिछली बैठक में स्थगित कर दिया गया था । उस संबंध में कोई अधिक स्पष्टीकरण मेरे पास न तो उनकी तरफ से और न सरकार की ही तरफ से आया है। मैं श्री झारखंडे राय जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या वहां अभी हड़ताल जारी है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—जी हां, अभी हड़ताल जारी है.....

श्री अध्यक्ष—मैं उनके इस प्रस्ताव को 'इन आर्डर' करार देता हूं और वह उसे पेश कर सकते हैं सदन की इजाजत प्राप्त करने के लिये।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हड़ताल तो २६-२७ तारीख को ही खत्म हो गई है और उन्होंने सारे जिले में काम करना शुरू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—चूंकि इसमें मतभेद है। वह कहते हैं कि हड़ताल अभी जारी है। इसलिये मैंने उनको इजाजत दे दी है। अब सदन तय कर लेगा कि उनको इजाजत दी जाय या न दी जाय। मेरे पास कोई सूचना नहीं आयी है।

श्री चरण सिंह—मैं बड़ी खुशी से सूचना भेज देता। मैं इसका अर्थ यह समझे था कि मुझे इसकी सूचना बाजाप्ता आप के पास भेजना नहीं बल्कि मैं समझा था कि माननीय सदन के सामने मुझे स्पष्टीकरण करना होगा।

श्री अध्यक्ष—खैर आयन्दा इस बात का ख्याल किया जाय कि जब मैं किसी प्रस्ताव को स्थगित करूं तो यह जरूर अपेक्षा करता हूं कि मुझे इत्तिला मिल जाय इससे पहले कि मैं इन आर्डर संबंधी फैसला करने के लिये यहां आऊं। जब मुझे इत्तला नहीं मिलती है तो मैं समझता हूं कि किसी को कुछ और कहना नहीं है।

श्री झारखंडे राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्ती जिले में जो १,१०० पटवारियों ने हड़ताल की है.....

श्री अध्यक्ष—मैं यह कहना चाहता हूं कि माल मंत्री जी ने कह दिया है कि पटवारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। अगर आप भी समझते हैं कि हड़ताल खत्म हो गयी है तब तो सदन का समय न लिया जाय।

श्री झारखंडे राय—अध्यक्ष महोदय, अभी हड़ताल खत्म नहीं हुई है। अभी समाचार पत्रों से मालूम हुआ है कि हड़ताल खत्म नहीं हुई है और बस्ती जिले के पटवारी असोसियेशन और उसके पटवारियों के असोसियेशन के तमाम प्रमुख नेता और कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं और उन्होंने भी इस बात को बतलाया है कि अभी तक पटवारियों की हड़ताल खत्म नहीं हुई है बल्कि जारी है। बस्ती जिले में पटवारियों की जो हड़ताल चल रही है अध्यक्ष महोदय, वह वहां के पटवारियों के असोसियेशन के मातहत और आदेश के मुताबिक हुई है। सारे सूबे में पटवारियों का एक असोसियेशन है जिसका नाम "उत्तर प्रदेशीय पटवारी असोसियेशन है" यह १४ वर्ष से काम कर रहा है। उस की ओर से प्रान्तीय सरकार के पास भी एक मेमोरेंडम भेजा जा चुका है जो छपा हुआ है। श्रीमन् आप उसको देख भी सकते हैं जिसकी तरफ से माननीय मालमंत्री जी से, लैंड रिफार्म कमिश्नर साहब से एक डुपुटेशन मिल चुका है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी नवम्बर में बस्ती गये थे तो बस्ती के पटवारियों के असोसियेशन की तरफ से उनके सामने उनकी तकलीफ और उनकी मांगें रखी गयी थीं। जिलाधिकारियों के सामने भी वे अपनी तकलीफ और मांगों को बराबर रखते चले आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके अलावा जो खास कारण हड़ताल का है वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पटवारियों की बाबत यह सर्वविदित है कि वे जनता से काफी घूस लेते हैं...

श्री अध्यक्ष—आप तो बहुत डिटेल में जा रहे हैं। आप को सदन के सामने यह सिद्ध करना है कि आप के प्रस्ताव के लिये क्योंकर अनुमति दी जाय यानी सदन को आपके प्रस्ताव पर क्यों अनुमति देनी चाहिये। इसके बाद जब बहस होगी तब आपको बहुत सी बातें कहने का अवसर होगा। जो महत्वपूर्ण बातें हों उनका ही आप जिक्र करें।

श्री झारखंडे राय---मैं इस सदन से इस लिये इसकी अनुमति चाहता हूं कि पटवारियों ने जो हड़ताल की है इसका दायरा बढ़ सकता है और हमारे सूबे के और हिस्सों में भी यह हड़ताल फैल सकती है क्यों कि पटवारियों का जो संगठन है वह प्रान्तीय आधार पर है। बस्ती जिले के अन्दर पहले हरैया तहसील में यह हड़ताल शुरू हुई थी फिर इसके पश्चात् इसका दायरा और बढ़ गया और खलीलाबाद बस्ती, बांसी और डुमरियागंज तहसीलों में भी यह फैल गई और जो चीज एक जगह पर थी वह सारे जिले में फैल गयी। यह कोई अनहोनी बात नहीं है क्योंकि उनका संगठन व्यापक है और उनके नेता सारे प्रान्त का दौरा कर रहे हैं। इन पटवारियों के मामले को लेकर दूसरी जगह के पटवारी भी इनकी सहानिभूति में हड़ताल कर सकते हैं और फिर यह चारों तरफ फैल सकती है। तो इससे प्रान्तीय सरकार को और जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आज कल जमींदारी अबालीशन संबंधी काम हो रहा है और ये पटवारी मुआविजे संबंधी बहुत सा काम कर रहे हैं। इससे उन सब कामों में दिक्कत पड़ सकती है और सरकारी मशीनरी जो इस समय काम कर रही है वह ठप्प पड़ सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सदन को इस विषय में जरूर आज्ञा प्रदान करनी चाहिये। पटवारियों की हड़ताल के संबंध में मैंने उस दिन भी बताने की कोशिश की थी। अगर आज भी आपकी आज्ञा हो तो मैं तफसील के साथ और बतला सकता हूं। पटवारियों को मजबूर हो कर रजिस्ट्रार कानूनगो और गिरदावर कानूनगो को और तहसील-दार और नायब तहसीलदार को घूस देनी पड़ती है। अगर वह सौ रूपया लेता है तो ९० रुपया उसको इन लोगों को देना पड़ता है। (एक ध्वनि आप चाहते हैं कि इनको सौ रुपया ही मिले) मैं तो चाहता हूं कि वह कुछ भी न लें और न किसी को कुछ दें पटवारियों को ११-१२ रुपया तो मजबूरन ही सालाना रजिस्ट्रार कानूनगो को देना पड़ता है.....

श्री अध्यक्ष---जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही आप बतलायें। बहुत अधिक डिटेल मे जाने की जरूरत नहीं है।

श्री झारखंडे राय---मैं सदन के सामने यह साफ साफ कहना चाहता हूं कि यह हड़ताल ऐसी है जिसके फैलने का अंदेशा है और उनको मजबूर हो कर यह हड़ताल करनी पड़ी है। इस लिये इस हड़ताल की तरफ मैं सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं कि वह इस प्रस्ताव पर बहस होने के लिये अपनी अनुमति प्रदान करे ताकि उनकी मांगें मंजूर हो जायं और उनकी तकलीफ दूर हो जांय।

श्री चरण सिंह---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मेरे पास बस्ती के जिलाधीश की चिट्ठी जो २७ तारीख को चलकर २८ तारीख के सवेरे आई है उसके अनुसार २६ और २७ तारीख दोनों दिन जिले भर के पटवारियों ने काम किया है। लिहाजा इस वक्त वहां पर कोई हड़-ताल नहीं हो रही है। इसलिये इस एडजर्नमेंट मोशन के लिये कोई आधार रह नहीं जाता। दूसरे मुझे यह निवेदन करना है कि इस तरह की छोटी मोटी हड़ताल कर्मचारियों की अपनी मांगों के सिलसिले में चलती ही रहती हैं और सरकार भी उन पर विचार करती ही रहती है। मेरी राय में यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इतनी पब्लिक इम्पारटेन्स की हो और अरजेंट हो जिसके लिये हाउस को एडजर्न कर के विचार किया जाय। ऐसी हड़तालें ऐसे कई छोटे मोटे मसलों को लेकर हो चुकी हैं और फिर उसके बाद काम भी शुरू हो गया, इसलिये यह कोई नई या अरजेंट बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि इन मांगों का ताल्लुक पटवारी असो-सियेशन की मांगों से कुछ भी नहीं है और यह जो बस्ती जिले की पटवारियोंकी हड़ताल थी इस का कोई संबंध पटवारी असोसियेशन की आम मांगों से नहीं है क्योंकि यह हड़ताल एक पट-वारी को मोअत्तल करने पर कार्यवाही करने के खिलाफ यह हड़ताल हुई थी, इसलिये भी बस्ती की इस हड़ताल की पब्लिक इम्पार्टन्स नहीं है और न यह अरजेंट है क्यों कि यह कोई नई चीज नहीं है जिसकी कोई पब्लिक इम्पारटेन्स हो, न यह कोई किसी क्लास की मांग है जिसका कोई कामन रीजन रहा हो। इसके अलावा जब कि अब हड़ताल मौके पर नहीं रह गयी है तो उसके बारे में विचार करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है।

श्री अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य इस पक्ष में हों कि इस पर विचार करने की अनुमति दी जाय वह कृपा करके अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जायं ।

(केवल १५ सदस्य खड़े हुये ।)

श्री अध्यक्ष—केवल १५ सदस्य ही खड़े हुये हैं इसलिये अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसके लिये ३६ की आवश्यकता थी ।

दूसरा प्रस्ताव श्री गैंदा सिंह जी का है वह कल लिया जायगा दो दो प्रस्ताओं पर एक साथ सदन का आज समय लेना मैं उचित नहीं समझता ।

युक्त प्रान्तीय कृषि आयकर नियम, १९४९ के नियम २५ में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि मेज़ पर रखना

माल मंत्री (चरणसिंह)—मैं संयुक्त प्रांतीय कृषि आय कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार युक्त प्रान्तीय कृषि आय कर नियम, १९४९, के नियम २५ में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं ।

*उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५२ (क्रमागत)

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) अधिकार जारी रखने के (संशोधन) विधेयक, १९५२ के संबंध में जैसा कि मैंने उस दिन निवेदन किया था कि यह प्रस्ताव केवल इसकी अवधि एक साल के लिये बढ़ाने के बारे में है । सब से पहले कोरिया युद्ध के बाद जब कि दवाओं की क़ीमत बढ़ गयी थी तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार एक आर्डिनेन्स बढ़ती हुई क़ीमतों को रोकने के लिये यहां पर लागू किया गया था और उसके बाद सन् ५० में एक बिल के द्वारा उस आर्डिनेन्स को जारी रखा गया था, फिर सन् ५२ में उसकी अवधि को ३१ जनवरी, सन् ५३ तक के लिये बढ़ा दी गई थी । अब चूंकि केन्द्र में कमोडिटी कंट्रोल कमेटी बैठी हुई है और बहुत मुमकिन है कि वह कमेटी इस प्रकार की वस्तुओं के कंट्रोल के बारे में अपनी रिपोर्ट दे और चूंकि कमोडिटी कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ३१ जनवरी, सन् ५३ तक आने की कोई आशा नहीं है इसलिये इस बात की आवश्यकता हुई कि इसकी अवधि को बढ़ाया जाय और इसी कारण से मैं इस विधेयक को सदनके सामने पेशकर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि जहां तक इस विधेयक के सिद्धांत का प्रश्न है उसको तो यह सदन स्वीकार कर चुका है क्योंकि ड्रग्स पर प्राइस कंट्रोल है और इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी अवधि बढ़ाने के लिये सदन अपनी अनुमति देगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (ज़िला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अधिनियम के संबंध में संशोधन विधेयक माननीय सभासचिव जी ने पेश किया है उसका समय बढ़ाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । इसके द्वारा पिछले जमाने में काफ़ी फायदा हुआ है । जब कि मनुष्य के जीवन के लिये बहुत सी उपयोगी औषधियों के कण्ट्रोल की आवश्यकता थी और जिनका उचित दामों पर मिलना कठिन हो गया था तो इस विधेयक ने मरीजों की सहायता की । लेकिन हम लोगों को इसके बारे में एक आशंका है । इस सदन में इससे पहले मेरे द्वारा पूछे एक अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय सभा सचिव ने यह कहा था कि ड्रग कन्ट्रोल ऐक्ट, १९५० के मातहत एक ड्रग कंट्रोलर है । अध्यक्ष महोदय उस समय यह सवाल सभासचिव जी से पूछा गया था कि इसमें यह साफ होना चाहिये कि यह आयुर्वेदिक प्रणाली की दवाइयों पर ड्रग कण्ट्रोल का नियंत्रण लागू नहीं होगा ।

---

*२२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

परन्तु उस पर यही उत्तर मिला था कि ड्रग ऐक्ट, १९४० आयुर्वेदिक दवाओं पर भी लागू है मैं ड्रग ऐक्ट, १९४०, की यह धारा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context,—

the Board means the Drugs Technical Advisory Board constituted under section 5;

'drug' includes all medicines for internal or external use for human beings or animals and all substances intended to be used for or in the treatment, mitigation or prevention of disease in human beings or animals, other than medicines and substances exclusively used or prepared for use in a accordance with Ayurvedic and Unani systems of medicine."

इस धारा से साफ जाहिर है कि ड्रग ऐक्ट की सीमा से यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयों को निकाल दिया गया है। अंग्रेजों के जमाने में तो जो रवैया इन प्राणालियों के साथ रहा वह समझा जा सकता है। वे तो यह चाहते थे कि खूब दवाइयां हमारे देश में इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी से आवें और वे लोग हमारे देशोंसे फ़ायदा उठावें। लेकिन इसबीच में समय की गति के साथ आयुर्वेदिक प्रणाली ने प्रगति की और यहां तक कि जिस तरह से अंग्रेजी दवाइयों के एम्प्यूल्स इनजैक्शन्स के लिये तैयार होते हैं उसी तरह से हमारे यहां भी आयुर्वेदिक आधार पर इंजेक्शन्स तैयार किये जा रहे हैं। यू० पी० में ही ३,४ फर्म्स हैं जिन्होंने ऐसे एम्प्यूल्स तैयारकिये हैं। अगर्चे इस ऐक्ट में साफ है कि यह आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों पर लागू नहीं होगा लेकिन ड्रग कंट्रोलरसाहब ने इस तरह के आदेश जारी किये, मालूम नहीं वे सरकार के आदेशसे थे या खुदही, किउनसे लाखों रुपयेके एम्प्यूल्स उन्होंनेजब्त करलिए ड्रग कंट्रोलर साहेब एलोपैथी हैं। जब हमारे प्रदेश में आयुर्वेदिक प्रणाली के लिये कोई कंट्रोल नहीं है तो फिर आयुर्वेदिक सिस्टम से तैयार हुई दवाइयों पर क्यों रोक लगाई गयी, यह बात समझ में नहीं आती। हमने १९५० के प्रादेशिक ऐक्ट को भी देखा है उससे भी पता चला कि आयुर्वेदिक दवाइयों पर वह लागू नहीं है। ऐसी हालत में झांसी वगैरह में एम्प्यूल्स तैयार किये गये और जिन्हें प्रदेश के वैद्यों ने बहुत उपयोगी पाया है और उनका नतीजा संतोषजनक रहा है उन्हें क्यों कंट्रोलर साहब ने इसके अन्दर ले लिया जिससे उनका मामला खटाई में पड़गया। और उन फ़र्मों को काफी नुकसान पहुंचा है।

इस तरह से जहां तक इस ड्रग्स ऐक्ट का ताल्लुक है उसके द्वारा आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के साथ स्टेपमदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है और यह कहा जा सकता है कि इस विषय में या प्रान्तीय सरकार की नीति असफल रही है। इसलिये उसको एक ऐसा अमेंडमेंट लाना चाहिये था कि इस ड्रग ऐक्ट का कोई पोर्शन आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों से भी संबंधित होता। माननीय मंत्री जी केवल मौजूदा ऐक्ट को एक साल के लिये बढ़ाना चाहते हैं और तब तक के लिये जब तक कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जो कायदे कानून बनाये जा रहे हैं वे तैयार हो जायं लेकिन हम चाहते हैं कि इन प्रणालियों के साथ जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है वह दूर कर दिया जाय और इस प्रकार हमारी जो आशंका है वह निर्मूल हो जाय।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, इस समय आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों का प्रश्न नहीं है। मैंने पहले ही श्रीमान् से निवेदन किया कि कमोडिटी कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने वाली है। चूंकि उस रिपोर्ट के ३१ जनवरी तक आने की कोई संभावना नहीं है इसलिये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से अगर वह रिपोर्ट आ जाय तो विचार करने में सहायता मिलेगी और अमेंडमेंट कानून उसके बाद लाया जा सकेगा जिस वक्त दूसरा ऐक्ट सदन के सामने आयेगा उस समय इन सब बातों पर विचार हो सकेगा। मैं समझता हूं कि एक साल से पहिले ही सेंट्रल कमोडिटी कंट्रोल कमेटी की ओर से रिपोर्ट आ जायगी

और यहां पर एक दूसरा विधेयक लाया जा सकेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार से राज्य सरकार की मंशा यह नहीं है कि देशी प्रणालियों के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जाय। इसके बजाय देशी प्रणालियों को वह हर तरह से प्रोत्साहन दे रही है, खोज के लिये, शिक्षा के क्रम में सुधार करने के लिये, प्रांत के अन्दर औषधालय कायम करने के लिये बराबर प्रयत्न किया जा रहा है और बजट के अन्दर उसके लिये धनराशि को बढ़ाया गया है जो कि आयुर्वेदिक प्रणाली की उन्नति के लिये आवश्यक है। इसके लिये एक चीज यह भी बड़ी आवश्यक है कि आजकल विज्ञान की जो नई नई खोज हो रही हैं उनसे हमें लाभ उठाना है। आयुर्वेदिक दवाओं के जो इंजेक्शनस हैं उनका भी विश्लेषण होना है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी देखना है कि आयुर्वेदिक दवायें और दूसरी दवाओं से मंहगी तो नहीं पड़तीं। लेकिन जो प्रश्न इस समय सदन के सामने है वह केवल इतना ही है कि कमोडिटी कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट आने तक इसकी मियाद और बढ़ा दी जाय। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके बारे में दूसरा कानून आयेगा तो हमें भी यहां अपने कानून में उसके अनुसार अमेंडमेंट करना होगा। इसलिये देशी प्रणालियों के लिये अगर कोई असुविधा होगी तो उस समय जो कानून बनायेंगे उसमें उसके लिये विधान कर दिया जायगा जिससे इन प्रणालियों को कोई हानि न हो। अतः मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५२, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खंड १ व २

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५२।

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, १९५० ई० को और आगे प्रचलित रखने के निमित्त उनमें संशोधन करने का विधेयक।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या १४, १९५० ई०

उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० को उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) अधिनियम, १९५२ ई० द्वारा जनवरी, १९५३ ई० तक जारी रखा गया था;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ७, १९५२ ई०।

और यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम को ३१ जनवरी, १९५४ ई० तक और प्रचलित रखने की व्यवस्था की जाय;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—समय समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) ऐक्ट, सन् १९५० ई० की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५३" के स्थान पर संख्या "१९५४" रखी जाय।

मूल अधिनियम का प्रचलित रहना। उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या १४, १९५० ई०।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १,२ और प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसी दास---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने के) (संशोधन) विधेयक, १९५२, को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औषधि (नियंत्रण) (अधिकार जारी रखने का) (संशोधन) विधेयक, १९५२ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-सूची के क्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष---अब मेरे पास एक सूचना आई है कि विधेयकों का कार्यक्रम इस तरह लेना चाहिये। इसमें शायद सरकार की तरफ से और विरोधी दल की तरफ से, दोनों की रजामन्दी है। सुझाव इस प्रकार है :--- जहां तक इस विधेयक का संबंध है जो अभी पारित हुआ है उसके बाद यू० पी० फायर सर्विस वाला ले लिया जाय। उसके बाद यू० पी० फेमिन रिलीफ वाला लिया जाय। उसके बाद मुस्लिम वक्फ लिया जाय। उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी वाला विधेयक लिया जाय। उसके बाद उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज वाला लिया जाय। उसके बाद नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश वाला विधेयक और उसके बाद यू० पी० जमींदारी विनाश और भूमिव्यवस्था (संशोधन) विधेयक लिया जाय। यह बात अगर सही है तो मैं कार्यक्रम इसी प्रकार रखूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सभी पक्षों में किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---इसमें जरा सा संशोधन है।

श्री अध्यक्ष---पहले यह तो मालूम होना चाहिये कि सभी पक्षों में इस विषय पर कोई आपत्ति नहीं है तब आप अपना संशोधन दीजिये।

(एक छण के अनन्तर)

किसी को आपत्ति नहीं है, अब रामनरेश जी अपना संशोधन इसमें रख सकते हैं।

श्री राम नरेश शुक्ल---इसमें बात हो गई है और विरोधी दल भी इससे सहमत है कि जमींदारी विनाश विधेयक अब नम्बर सात पर हो जायेगा और नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश नम्बर ८ पर होगा।

श्री अध्यक्ष---क्या इसमें विरोधी दल को कोई आपत्ति नहीं है?

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---जी नहीं।

श्री अध्यक्ष---सरकार को कोई आपत्ति नहीं है?

(एक क्षण के अनन्तर)

नहीं है। तो अब नम्बर ७ को ८ पर कर दिया जायगा।

*उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

---

*२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

श्रीमन्, देखेंगे कि यह बड़ा छोटा सा विधेयक है। इसमें केवल दो बातें हैं। जो पुराना कानून सन् १९४४ का फायर सर्विस ऐक्ट का बना था जब कि यहां गवर्नर का शासन था उसके अनुसार चार प्रकार के आफिसर्स हुआ करते थे। १ ड्राइवर्स और फायरमैन। २ लीडिंगफायरमैन ३ फायर स्टेशन सेक्न्ड आफिसर्स। ४ फायर आफिसर्स। इन चार का जिक्र इस कानून में है लेकिन जिस वक्त वह कानून सन् ४४ में बना था उसी वक्त तीन रीजनल आफिसर्स कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ में रख दिये गये थे। फायरसर्विस में आदमी नेशनल फायर सर्विस लन्दन की जो हैं उससे आदमी बुलाकर कंट्रैक्ट बेसिस पर रखे जाते थे। जब वे छोड़ गये तो पबलिक सर्विस कमीशन की राय से आदमियों की नियुक्ति की गई। अब इस विधेयक में यह है कि जो चीज सन् १९४४ से चली आती थी उसको रेग्यूलराइज कर दिया जाय और इसमें अब पांच प्रकार के आफिसर्स रखे जाने का प्राविजन है।

१. ड्राइवर्स और फायरमैन। २. लीडिंग फायरमैन।

३. फायरस्टेशन सेकेन्ड आफिसर्स ४. फायरस्टेशन आफिसर्स।

और पांचवां जो रीजनल आफिसर्स रखे गये थे उनकी जगह पर अब चीफ फायर आफिसर्स कर दिया गया है। एक चीज तो इसके अन्दर यह है।

दूसरी एक चीज और है। जो पुराना कानून था उसमें एक कमी थी जिसकी वजह से बहुत दिक्कत पड़ती थी। आजकल शहर बढ़ते चले जा रहे हैं। मकान भी बहुत होते जाते हैं और आग लगने का डर भी इसी हिसाब से बढ़ता जाता है। बहुत से गोदाम हैं, कारखाने हैं। उनमें बहुत सा सामान रखा होता है। तो आग लगने के जो पुराने नियम हैं उनमें कोई इस किस्म का अधिकार नहीं है कि किसी के प्रेमिसेज को जब आग लगे देखा जा सके। इतना ही है कि उससे कहा जाय कि आप इन्फार्मेशन दीजिये और अगर वह इन्फार्मेशन न दे तो उसके लिये कोई सजा नहीं हो सकती और उसकी गलती से, लापरवाही से आग लग जाय, लाखों का नुकसान हो जाय, लोगों की जानें चली जायं लेकिन उसके लिये कोई रोकटोक नहीं है। तो इसमें रखा गया है कि फायर आफिसर्स को इस बात का अधिकार है कि वह किसी खास प्रेमिसेज की आग से रक्षा करने के लिये उसमें जा सके और विजिट कर सके और अगर कोई शख्स रोके अपने प्रेमिसेज में जाने से तो उसको सजा देने का प्रबंध किया गया है। तीन महीने तक उसको सजा हो सकती है और पांच सौ रुपये जुर्माना हो सकता है।

यह इस कानून के अन्दर बहुत ही उपयुक्त चीज है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश और उसके नागरिकों का फायर सर्विस संगठन की कितनी आवश्यकता होती है और उसकी कितनी महत्ता है यह सारा संसार देख चुका है। लेकिन हमारे प्रदेश में पिछले छः सालों से कांग्रेसी सरकार है, उसके बावजूद भी आज तक फायर सर्विस के संगठन में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। हमारी सरकार सम्भवतः यह समझती है कि इस सर्विस के लोग जब तक आग न लगे तब तक वह बेकार ही रहते हैं। इसलिये इस पर ज्यादा खर्च करना और इस सर्विस को आग्रेनाइज करना और एक्सटेंड करना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जैसे बाढ़, मकानों का गिरना और आग लगना उनमें शहरों में एक एक आग में गवर्नमेंट और जनता का उतना नुक्सान हो जाता है जितना कि सरकार पूरी फायर सर्विस पर एक वर्ष में खर्च करती है। अभी थोड़े दिनों की बात है और माननीय उद्योग मंत्री को अच्छी तरह मालूम होगा कि अभी यू० पी हेंडीक्रेफ्ट्स में आग लग गई थी। अनुमान यह है कि लगभग दो लाख रूपये की बरबादी हो गयी।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

और उसमें देर या सवेर फायर सर्विस ने काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक हमारे प्रदेश के केवल पांच टाउन्स में फायर सर्विस आर्गनाइजेशन है, और एक दो में जैसे बरेली में शायद म्युनिसिपैलिटी की तरफ से है। बनारस, आगरा, लखनऊ, कानपुर, और इलाहाबाद इन पांच शहरों में सिर्फ अब तक फायर सर्विस का संगठन हो चुका है और बाकी प्रदेश के शहरों में जिन में बड़े बड़े शहर भी हैं अब तक फायर सर्विस का संगठन नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, फायर सर्विस के साथ साथ दो तीन इक्विपमेंट्स की बहुत बड़ी जरूरत होती है। माननीय गृह मंत्री जी जानते होंगे कि हमारे यहां वाटर टैंकर सिर्फ एक नया है जो कानपुर में है। इलाहाबाद को जो वाटर टैंकर दिया गया है वह पुराना है और ठीक काम नहीं करता। वाटर टैंकर की आवश्यकता उन स्थानों पर पड़ती है जहां पर वाटर पाइप कनेक्शंस आसानी से मौजूद नहीं होते। लड़ाई के जमाने से इन दस सालों के अन्दर शहरों का बहुत विस्तार हुआ। मिसाल के तौर पर आप लखनऊ शहर को ही ले लीजिये। यहां पहले तीन चार लाख की आबादी थी और अब दस बारह लाख की हो गई है। आमतौर से शहर के आस पास शहरों का विस्तार हुआ है और चूंकि पाइप कनेक्शंस ऐसे हैं जिन में यह ख्याल नहीं किया गया कि आबादी का विस्तार होगा और आसपास दुगनी तिगुनी आबादी हो जायगी। नतीजा यह है कि जब फायर सर्विस के लोग आग लगने के बाद पहुंचते हैं तो वह ढूंढने लगते हैं कि पाइप कनेक्शन है या नहीं है, अगर पहुंचे भी देर से तो नतीजा यह होता है कि वहां पानी न मिलने की वजह से बिलकुल उसका आना व्यर्थ हो जाता है। वाटर टैंकर के टैंक में आठ सौ या एक हजार गैलन पानी भरा रहता है और वह वाटर टैंकर फायर ब्रिगेड एक्विपमेंट के साथ जाता है, तो फौरन पानी तालाश करने की जरूरत नहीं होती जब लोग आठ सौ या एक हजार गैलन पानी से वह आग बुझायेंगे तब तक दूसरे लोग पाइप कनेक्शन तलाश कर लेंगे। परन्तु इतना महत्व के होते हुए भी सिर्फ दो शहरों में ये वाटरटैंकर्स हैं, कानपुर और इलाहाबाद में। और वह भी इलाहाबाद में जो वाटर टैंकर है वह काम नहीं देता। तो ऐसी हालत में इतना आवश्यक संगठन होते हुये भी दो जगह वाटर टैंकर्स की व्यवस्था ना काफी है। जब कि लड़ाई के बाद और रिफ्यूजीज के इनफ्लक्स के कारण हमारे नगरों की आबादी बहुत बढ़ गई है तो प्रांतीय सरकार को यह न सोचना चाहिये कि जब तक कहीं आग नहीं लगती है तब तक यह संगठन बेकार रहता है। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है। आज जितने भी उन्नतिशील मुल्क हैं वहां इस संगठन को बड़ी महत्ता दी गयी है और इतना विस्तार है कि जरा भी खतरा हुआ कि इस सर्विस के लोग फौरन पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने पर बहुत सरल ढंग से अपना काम पूरा कर देते हैं।

जिन अफसरों का माननीय गृह मंत्री जी ने जिक्र किया उसके अलावा करीब १५ या १०, १२ फायरमैन हर ब्रिगेड के साथ रहते हैं। इन फायरमैन की योग्यता बिलकुल सिविल पुलिस के कांस्टेबिल की तरह है। आमतौर पर जब आग लगती है तो खबर देने वाला खुद ही घबरा जाता है और ठीक तरह से खबर नहीं दे पाता। मोहल्ले का ठीक एलोकेशन नहीं बता पाता। और दूसरी तरफ अगर टेलीफोन आपरेटर की व्यवस्था न हो तो नतीजा यह होता है कि मेसेज ठीक तरह से रिसीव नहीं किया जा सकता और देर हो जाने से बहुत नुक्सान की सम्भावना है। दिल्ली और कलकत्ता का मिसाल माननीय मंत्री लेंगे, तो वहां काफी सुशिक्षित टेलीफोन आपरेटर्स हैं और हर एक एक्सचेंज में तीन तीन और चार चार हैं। अगर टेलीफोन आपरेटर्स का काम यदि साधारण फायरमैन के जरिये से लिया जाय तो फायर सर्विस की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। साथ ही साथ तीसरी बात जिसका विधेयक में जिक्र किया गया है और माननीय मंत्री ने भी कही वह फायर स्टेशन आफिसर के संबंध में है। फायर स्टेशन आफिसर आम तौर पर सिविल पुलिस के इंस्पेक्टर की रैंक के

होते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहों में काफी फर्क रहता है। स्टार्ट तो दो सौ दोनों का है, लेकिन अंत में फर्क पड़ जाता है। मैं समझता हूं कि सिविल पुलिस के इंस्पेक्टर से फायर स्टेशन आफिसर की महत्ता कम नहीं है। इस लिये उनकी तनख्वाहें में फर्क नहीं होना चाहिये और उनका एक ग्रेड होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त जहां तक मेरी जानकारी है, जहां जहां फायर स्टेशंस हैं वहां फायर-मैनों की तादाद बहुत कम है। अगर ३० व्यक्ति किसी जगह हैं तो कुछ व्यक्ति उनमें से छुट्टी चले जाते हैं और कुछ किसी और कारण से नहीं आते तो वहां सिर्फ दस बारह रह जाते हैं जो फायर के समय काम आ सकें। उनका काम, किसी का आग बुझाना और पानी ढूंढना और जबकि वाटर टैंकर्स की व्यवस्था नहीं है और पाइप कनेक्शंस नहीं हैं म्युनिसि-पैलिटी के तो उनको तालाब वगैरा से, कहीं से भी पानी लाने की आवश्यकता पड़ जाती है तो फायर मैन की तादाद भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है जिससे कि वह ठीक तरीके से काम कर सकें।

आखिरी बात जिस की ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि फायर सर्विस जब तक आग न लगे, और फ्लड्स और हाउस को लैप्स के ऐक्सिडेंट्स न हों तब तक वह बेकार रहते हैं और उनके एक्विपमेंट से दूसरा काम लिया जाया करता है। मिसाल के तौर पर अगर लखनऊ में पुलिस लाइन की परेड होगी तो वहां की पुलिस लाईन अपने बजट के मुताबिक जो खर्चा है वाटरिंग वगैरा का वह न करके वह फायर सर्विस को रिक्वीजीशन कर लेती है और खाली वक्तों में यह तमाम एक्विपमेंट उसमें लगता है और उसके फलस्वरूप हजारों फीट पाइप बरबाद हो जाता है और डिलीविरी पाइप्स और जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं वह बरबाद होते हैं। तो फायर सर्विस के पाइप्स और एक्विपमेंट का जो नुक्सान होता है उसकी पूर्ति तो दूसरे पुलिस बजट से होनी चाहिये और अगर वह नहीं होती तो नतीजा यह होता है कि जैसा एक्विपमेंट होना चाहिये वह वैसा नहीं रहता इनके काम की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त ये एक्विपमेंट नाकाफी होते हैं और ठीक तरह से काम नहीं करते।

तो इस फायर सर्विस के संगठन की महत्ता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रांत के सभी बड़े बड़े शहरों में उसकी व्यवस्था होनी चाहिये और साथ ही साथ हम यह भी निवेदन करेंगे कि यह संगठन जहां तक भी सम्भव हो सरकार अपने अधिकार में न ले कर के म्युनिसिपैलिटीज़ के जरिये से चलावे और उसमें काफी मात्रा में रुपये की ग्रांट दे कर उनको इस बात की जिम्मेदारी दे तो बहुत ही उचित होगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय त्रिपाठी जी ने जो बातें कहीं, मैं सिद्धांत रूप से उन में से अधिकांश से सहमत हूं। कोई कारण नहीं है कि प्रदेश के केवल उन पांच नगरों में जिनको कैबाल टाउंस कहा जाता है, कानपुर लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, और बनारस में ही आग से रक्षा का प्रबंध किया जाय। यहां आग न लगे तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस तरह का इंतजाम तो कहीं भी हो सकता है और हर जगह प्रबंध होना चाहिये, इस विषय में कोई दो रायें नहीं हैं।

और यह भी मैं उनसे सहमत हूं इस बात से कि यह समझना कि जो लोग फायर सर्विस में रखे गये हैं वे बिल्कुल बेकार से लोग हैं और कभी आग लगी तो काम हुआ नहीं तो मुफ्त में तनख्वाह पाते हैं ऐसी बात नहीं है। उनके लिये बहुत से काम हैं और वे काम में लगाये जा सकते हैं। जो हमारा सेक्शन २२ है उसमें लिखा हुआ है:

"upon any rescue, salvage or other work for which its training appliances or equipment render it suitable."

तो वे समाज के और उपयोगी कामों में लगाये जा सकते हैं। मैं इस वक्त ठीक तो नहीं

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

कह सकता कि इन व्यक्तियों से काम लिया जा रहा है या नहीं लेकिन लिया जा सकता है यह मैं जानता हूं। इसका एक थोड़ा सा इतिहास है। पहले तो यह काम बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलिटीज करती थीं फिर देखा गया कि उनका काम असंतोषजनक था। उनके पास पैसे कौड़ी की भी कमी थी कि प्रबंध व्यवस्था करें और देख भाल करें। तो वह तो चला नहीं। फिर गवर्नमेंट ने उनसे अपने हाथ में प्रबंध ले लिया उनको कुछ कंपेंशेशन दे दिया और एक कारण इस बात का कि हम ज्यादा शहरों में नहीं फैला सके यह भी है कि उनका जो इक्विपमेंट था वह बहुत पुराना था, हर चीज उनकी खराब थी, मशीन खराब थी, रबर पाइप्स तक नहीं थे। तो हमने उसको बहुत सी जगहों में रिप्लेस कर दिया और हम आशा करते हैं कि अगर कुछ रुपये पैसे का प्रबंध हो सका तो हम जरूर इसको और शहरों में फैलायेंगे। मैं फिर इसकी आशा करता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है वह जरूर मंजूर होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फ़ायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १—४

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १९४४ में संशोधन करने के निमित्त

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १९४४ में संशोधन करना आवश्यक है, अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४ की धारा ४ का संशोधन।

२—यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १९४४ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ में शब्द

"(1) Fire Station Officers, (2) Fire Station Second Officers, (3) Leading Firemen, and (4) Drivers and Firemen"

के स्थान पर निम्नलिखित रक्खे जायं:

"(1) Chief Fire Officers,
(2) Fire Station Officers,
(3) Fire Station Second Officers,
(4) Leading Firemen and Drivers and
(5) Firemen".

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४ की धारा ५ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

5. (1) The superintendence and Control of the U. P. Fire Service shall vest in the Inspector General of Police, and subject to the general control of the Inspector General of Police, in the District Superintendent of Police within the area of his jurisdiction.

(2) The State Government may appoint such officers as it may think fit to assist the Inspector General of Police and the Superintendent of Police in the discharge of their duties.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (1) and (2), the Chief Fire Officer, Fire Station Officers and Fire Station Second Officers shall exercise such administrative powers and perform such administrative functions as may be prescribed."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४ में नई धारा १९ ए का रक्खा जाना।

४—मूल अधिनियम की धारा १९ के बाद निम्नलिखित नई धारा १९—ए के रूप में रख दी जाय :

19—A (1) The Chief Fire Officer or any officer authorized by the Superintendent of Police in the behalf may enter and inspect any land, premises or building for the purpose of determining whether the precautions against fire required tpo be taken on such land, premises and building under any law the time being in force have been so taken.

(2) If any person voluntarily obstructs, offers any resistance to or impedes or otherwise interferes with any Officer acting in the course of his duty under sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine up to Rs.500 or with both."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १,२,३ और ४, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश फैमीन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९५२

गृह मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फैमिन रिलीफ फंड संशोधन विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय। यह बहुत छोटा सा विधेयक है और बिल्कुल जाब्ते की चीज है। जो हमारा फेमिन रिलीफ के संबंध का कानून है उसमें आवश्यक है कि कोई भी वित्तीय वर्ष जब खत्म हो तो उसके आखिरी दिन उस

*२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

फंड में जो सिक्योरिटीज बचती हों उनका बाजार भाव के मुताबिक जो कुछ मूल्य हो ा की अगर वह ५५ लाख रु० से कम होती हों तो ५५ लाख की रकम पूरा स्टेट के रेवेन्यू में से जितने रुपये की जरुरत हो उसमें डाल दिया जाय। दर था और अब तक हम बराबर ऐसा करते रहे हैं। लेकिन अब जो हमारा ाना है उसके अनुसार हमारे लीगल ऐडवाइजर्स ने कहा है कि उससे काम लेक एक कानून बनाना होगा कि जिससे हम ऐसा कर सकें।

uPerintende-ice. powers nd Functions

"It is hereby declared that any sums required for purposes of secttion 2 shall be charged on the Consolidated Fund of the State."

स्टेट के फंड में से वह रुपया जो ५५ लाख पूरा करने के लिये जरूरी है निकाला जा सके इसके लिये एक कानून बनाने की आवश्यकता है। यही इसका उद्देश्य है और मैं आशा करता हूं कि यह स्वीकार होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमान्, मैं आप की आज्ञा से माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पिछले बजट अधिवेशन के अवसर पर हमारी ओर से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था कि जहां बजट के और आर्थिक दृष्टिकोण हैं वहां पर बहुत सी वैधानिक असंगतियां भी रह हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और जो प्रसंगति रह गयी थी जिसके अनुसार जो कांटिजेंसी फंड और स्टेट के कंसालिडेटेड नमें कुछ विभ्रम पैदा होता था, वह भ्रम दूर किया गया। हमें यह भी आशा ट भविष्य में, हमने जो बजट अधिवेशन के मौके पर कमजोरियां बतलायी थीं, ... भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित होगा और उनके लिये भी माननीय मंत्री जी यहां कोई विधेयक प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे।

"Power to search premises.

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई खास बात निवेदन नहीं करनी है इस संबंध में।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फ़ेमीन रिलीफ़ फ़ंड (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १ व २

उत्तर प्रदेश फैमीन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९५२

यू० पी० फैमीन रिलीफ फंड ऐक्ट, १९३६ में संशोधन करने का विधेयक

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०,१९३६

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यह आवश्यक है कि यू० पी० फैमीन रिलीफ़ फ़ंड ऐक्ट, १९३६ में संशोधन किया जाय;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१---(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश फैमीन रिलीफ़ फंड (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—यू० पी० फैमीन रिलीफ़ फंड ऐक्ट, १९३६ की धारा ७ की उपधारा के बाद निम्नलिखित की उपधारा (३) के रूप में जोड़ दिया जाय :

यू० पी० ऐक्ट संख्या (२) १०,१९३६ की धारा ७ की उपधारा (२) का संशोधन।

"(3) It is hereby declared that any sums required for the purposes of sub-section (2) shall be charged upon the Consolidated Fund of the State".

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड १,२ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फ़ेमिन रिलीफ़ फ़ंड (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फ़ेमीन रिलीफ़ फ़ंड (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि यह पहले आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक ले लिया जाय। मैंने माननीय चौधरी साहब से इसके लिये कह दिया है और आशा है कि उन्हें कोई एतराज नहीं होगा।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—मुझे कोई एतराज नहीं है।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२, पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। मेरी राय में जिस विधेयक पर विचार करने के लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी हमसे निवेदन कर रहे हैं, उस पर विचार करने के लिये यह सदन कांपिटेंट नहीं है। विधान की धारा ३७२ की उपधारा १ की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:

"Notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in article 395 but subject to the other provisions of this Constitution, all the law in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority."

[अनुच्छेद ३९५ में निर्दिष्ट अधिनियमितयों का निरसन होने पर भी किन्तु इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत राज्य क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधि उसमें तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि सक्षम विधान मंडल या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा बदली, या निरसित या संशोधित की जाय] तो श्रीमन् यहां पर जो अधिकार विधान के अनुसार मिले हैं अमेंडमेंट के लिये वे एक काम्पिटेंट लेजिस्लेचर को मिले हैं।]

*२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मेरे विचार से यह लेजिस्लेचर इस विधेयक को पास करने के लिये काम्पिटेंट नहीं है। इसके तीन कारण हैं। पहला विधान की धारा १६२ के अनुसार। उसमें यह है--

"Subject to the provisions of this Constitution the executive power of a State shall extend to the matters with respect to which the Legislature of the State has power to make laws."

[इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में उस राज्य के विधान मंडल को विधि बनाने की शक्ति है।]

[तो स्टेट की एग्जीक्युटिव पावर केवल उतनी ही है जितने के लिये स्टेट लेजिस्लेचर क़ानून बना सकता है तो हमारी जो विधान सभा है वह केवल उत्तर प्रदेश के लिये ही क़ानून बना सकती है। इसलिये इस स्टेट की एग्जीक्युटिव पावर केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। आगरा यूनिवर्सिटी का पांच प्रदेशों से संबंध है, विंध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्यभारत, भोपाल और अजमेर। इसके बाद मैं आप का ध्यान विधान की धारा २४३-ए की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके अनुसार पार्ट ए स्टेट्स के लिये वही क़ानून बनाये जा सकते हैं जिसके बारे में एक्सक्ल्यूसिव पावर्स स्टेट लेजिस्लेचर को हों और उसमें केवल उन्हीं लिस्ट के अनुसार हम ऐक्ट बना सकते हैं जो कि शेड्यूल में लिस्ट २ में दी गयी हैं। लेकिन उस लिस्ट में जो बातें दी गयी हैं वे केवल स्टेट अपनी टेरीटरी के लिये या पार्ट आफ़ दि स्टेट के लिये ही बना सकती है। तो इसके अनुसार भी हम चाहते हैं, श्रीमन्, और विधान की धारा २४६ (३) में भी यह है--

"(3) Subject to clauses (1) and (2), the Legislature of any State specified in Part or Part B of the First Schedule has exclusive power to make laws for such State or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in List II in the Seventh Schedul."

[खण्ड (१) और (२) के अधीन रहते हुये प्रथम अनुसूची के भाग (क) में या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य की विधान मंडल को सप्तम अनुसूची की सूची (२) में (जो इस संविधान में "राज्य सूची" के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में ऐसे राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बनाने की अनन्य शक्ति हैं]

तो केवल इस स्टेट, उत्तर प्रदेश के लिये या इसके एक हिस्से के लिये हम विधान बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ राधाकृष्णन् कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि आगरा यूनिवर्सिटी का जुरिस्डिकशन इस प्रान्त के बाहर भी है और इस बात की आवश्यकता है कि केवल उत्तर प्रदेश के लिये ही कोई यूनिवर्सिटी बननी चाहिये। सम्पूर्णानन्द कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें भी लिखा हुआ है कि इस लेजिस्लेचर का एक्सक्लूसिव अधिकार आगरा यूनिवर्सिटी के ऊपर नहीं है और उसको एक इटरमिजियेट यूनिवर्सिटी माना है जो कि आल इंडिया और प्राविंशयल यूनिवर्सिटी के बीच की होती है। इस संबंध में मैं आप की आज्ञा से धारा २४८ की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List."

[संसद को ऐसे किसी विषय के बारे में जो "समवर्ती सूची" अथवा "राज्य सूची" में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।]

मेरे विचार से विधान की धारा २४८ यहां पर लागू होती है और अगर इस आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक की आवश्यकता है तो पार्लियामेंट ही इस प्रकार का विधेयक ला सकती है। आज तक जितने कमीशन बने हैं उन सबने आगरा यूनिवर्सिटी के इस प्रकार के दायित्व को माना है। तो मैं आप से आग्रह करूंगा कि आप इस प्रकार की व्यवस्था दें कि यह अवैधानिक हो और यह सदन इस पर विचार न करे।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है उस रोज मैं उपस्थित नहीं था भवन में । लेकिन यह प्रश्न भवन के सामने प्रस्तुत हुआ था आर्डिनेंस के संबंध में और भवन का यह निश्चय हो चुका था कि यह लेजिस्लेचर काम्पीटेंट है । उस वाद विवाद में ऐडवोकेट जनरल ने भी अपनी राय दी थी । तो मैं समझता हूं कि यह जो प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया गया है इसका इस विधेयक से इस समय कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---उसमें तो मैंने कुछ फ़ैसला भी दिया होगा । मैं ज़रा उसके काग़ज़ात मंगा लूं । उसके बाद इस पर निर्णय हो सकता है क्योंकि फ़ैसला मैंने ज़रूर दिया होगा । क्या माननीय गृह मंत्री इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्रीमन्, उस दिन शिक्षा मंत्री जी की अनुपस्थिति में मैं ही इस सवाल को गवर्नर महोदय की तरफ से ले रहा था और मुझे याद है कि यह व्यवस्था हुई थी आप की तरफ से कि यह सवाल लिया जा सकता है और इस पर काफी बहस हुई और सदन ने निर्णय किया । यदि ऐसी व्यवस्था नहीं हुई होती तो निर्णय तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते थे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, चूंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी अनुपस्थित थे इस लिये उनको कुछ गलतफहमी हो गयी है । जो हमने निवेदन किया था उस पर हमने आपकी व्यवस्था नहीं मांगी थी । उस दिन आर्डिनेंस के मुताल्लिक़ हमने एक प्रस्ताव रखा था और उसी पर सदन में वाद विवाद हुआ था और एक बहुमत से निश्चय हुआ था और आप की ओर से उस पर कोई व्यवस्था नहीं हुई थी । अगर माननीय मंत्री जी मानते हैं कि आप की तरफ से व्यवस्था हुई थी तो ऐसी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---यह बात बिल्कुल सही है जो माननीय नारायण दत्त जी कह रहे थे कि मुझसे व्यवस्था नहीं ली गयी थी क्योंकि प्रश्न यह नहीं था कि कोई विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हो सकता है या नहीं । उस रोज यह प्रश्न था कि एक आर्डिनेंस जारी कर दिया गया और जो आर्डिनेंस जारी कर दिया गया तो उसको क्या सदन अस्वीकार (डिसअप्रूव) करता है। अस्वीकार करने के लिये जो कारण और बहस पेश की गयी उसमें यह तर्क भी पेश किया गया कि उसके अवैधानिक होने के कारण सदन उसको स्वीकार न करे । उस रोज उसके वैधानिक और अवैधानिक का यह प्रश्न नहीं था कि सदन विधेयक पर विचार कर सकता है या नहीं, उसको अधिकार है या नहीं, क्यों कि सदन के सामने यह विचार करने का प्रश्न ही नहीं था कि इस तरह का कोई विधेयक पारित किया जाय । जो क़ायदे के अनुसार आर्डिनेंस जारी होते हैं वह सदन के सामने आते हैं और किसी भी सदस्य को अधिकार है कि वह सकल्प लाये कि जो आर्डिनन्स जारी किया गया है उसको किन्हीं कारणों से सदन नामंजूर करता है तो इन कारणों मेंयह बात कही थी इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर फैसला अध्यक्ष की तरफ से हुआ है । इसलिये अगर गृह मंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी, इसके ऊपर जो वैधानिक आपत्ति उठाई गयी है, उसके ऊपर अगर जवाब देना चाहें तो फिर से जवाब दे सकते हैं ।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमान् जी, मुझे सम्भव है कि कोई ग़लतफहमी रही हो लेकिन जहां तक वैधानिक प्रश्न का सवाल है यह प्रस्तुत विधेयक उसी आर्डीनेंस पर अवलम्बित है जिसके लिये उस दिन वाद विवाद हुआ । जहां तक वैधानिक प्रश्न का संबंध है उसमें एडवोकेट जनरल की राय ली गयी थी और आप ने भी उनकी राय सुनी होगी तो वह प्रश्न इस कारण पैदा नहीं होता है कि मैं कांस्टीट्यूशन में वह धारा तो नहीं बदला सकता इस समय । लेकिन सिर्फ दो यूनिवर्सिटी के लिये एक्सेप्शन किया गया है बनारस और अलीगढ़ के बारे में । अगर कांस्टीट्यूशन में यह कहा गया होता कि आगरा यूनिवर्सिटी का क्षेत्र विस्तृत है और प्रांत भी इसमें सम्मिलित है इस कारण प्रांतीय लेजिस्लेचर को ला बनाने का अधिकार नहीं है तो कान्स्टीट्यूशन की इसी धरा में आगरा यूनिवर्सिटी के निस्बत एक एक्सेप्शन ज़रूर होता ।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक के जरिये इस प्रान्त के बाहर किसी क्षेत्र के लिये कोई लेजिस्लेचर बना रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह युक्ति भी ग़लत है अगर किसी कालेज को एफिलियेशन का संबंध है तो वह कालेज टेरिटोरियल नहीं हो सकता। इसमें जो धारा नारायणदत्त जी ने आप के समक्ष रखी है उसमें केवल यह है कि प्रान्तीय धारासभा अपने प्रान्त के बाहर किसी टेरीटरी के लिये कोई क़ानून नहीं बना सकती लेकिन इसमें तो टेरीटरी का कोई प्रश्न उठता ही नहीं, न यह विधेयक यह चाहता है कि प्रान्त के बाहर किसी टेरीटरी के निस्बत कोई क़ानून बनाया जाय। सिर्फ उसमें प्रश्न इतना ही है कि आगरा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनीवर्सिटी है जिसके कालेजेज प्रान्त के बाहर भी हैं तो उसका एफिलियेशन इज नाट ए लेजिस्लेचर फार टेरिटरी। इसलिये मैं समझता हूं कि नारायण दत्त जी की तरफ से जो आपत्ति पेश की गयी है वह निर्मूल है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति इस सदन के सामने श्री नारायण दत्त जी ने रक्खी है मेरे विचार में वह उचित नहीं है। उनको भ्रम केवल इसलिये हुआ है कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अन्दर कुछ ऐसे कालेज और संस्थायें भी आ जाती हैं जो इस प्रांत के बाहर हैं और उनका इस प्रांत के बाहर होना एक इस प्रकार का विषय है जो कि हमारे सदन के अधिकार के परे कर देता है। मेरे ख्याल में यह धारणा उचित नहीं है। आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट इसी सदन में बनाया गया था और उसमें संशोधन करने का अख्तियार पूरी तरह से इस सदन को है। अगर आइटम नंबर ११ देखा जाय तो उसमें स्पष्ट रूप से इस सदन को अधिकार दिया गया है।

"Education including universities, subject to the provisions of entries 63, 64, 65 and 66 of List I and entry 25 of List III."

लिस्ट वन जो है कि पार्लियामेंट के अधिकार की लिस्ट है उसमें लिस्ट नंबर ६३ इस प्रकार से है।

"The institutions known at the commencement of this Constitution as the Benares Hindu University, the Aligarh Muslim University and the Delhi University and any other institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance."

इसका अर्थ केवल इतना ही है बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित जितनी बातें होंगी वे इस प्रांत के अधिकार के परे होंगी। आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित जितनी समस्यायें हैं वे इस सदन के अधिकार के अन्तर्गत हैं मेरे मित्र नारायण दत्त जी ने आर्टिकिल नम्बर २४८ का भी हवाला दिया जो इस प्रकार है:—

"Parliament has exclisive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the Concurrent List or State List."

अगर कोई विषय स्टेट लिस्ट के अन्तर्गत नहीं है तो उसमें पार्लियामेंट को पूरा अधिकार हो जाता है कि वह उस विषय से संबंधित क़ानून बनाये लेकिन जो विषय इस समय हमारे सामने है वह ऐसा विषय है जो आइटम नम्बर ११ के अन्दर आता है और इस सदन को पूरा अधिकार है कि उस विषय पर कानून बनाये, क्यों कि कानून बना हुआ है और उस कानून को संशोधित करने का भी इस सदन को पूरा अधिकार है इस प्रान्त के बाहर कुछ संस्थायें हैं जिन्होंने अपने आप को यूनिवर्सिटी से एफिलियेट किया है। उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है कि कल अगर वह एफिलियेशनको तोड़ना चाहें, अगर उनके यहां अपनी यूनिवर्सिटी बने और उसमें वह शामिल होना चाहें तो उनको पूरी स्वतंत्रता है और वह वैसा कर सकते हैं। उनको एक प्रकार से पूरी स्वतंत्रता है और वे स्वयं अपनी इच्छा से आगरा यूनिवर्सिटी के अन्दर आते हैं और उनके अनुशासन से अपने आप को बान्धते हैं। अगर वह कल को चाहें कि इस अनुशासन से बाहर हो जायं तो उनको बाहर होने की पूरी स्वतंत्रता है लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी के जो नियम

हैं उन नियमों के बनाने और उनमें रद्दोबदल करने का पूरा अधिकार इस सदन को है और इस प्रांत की सरकार को है । ऐसी स्थिति में जो संशोधन यहां पर रखा गया है उसमें किसी प्रकार से वैधानिक बाधा नहीं है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपका कहना बिलकुल ठीक है कि इसके पहले जब यह प्रश्न यहां पर आया था तो आप से व्यवस्था मांगने की सूरत पैदा नहीं हुई परन्तु थोड़े से हेरफेर के साथ उस प्रश्न का रूप वही था जो आज है । यदि आर्डिनेंस बनाना अवैधानिक था तो क़ानून बनाना भी अवैधानिक है । यदि कानून बनाने का अधिकार हमको नहीं है तो आर्डिनेन्स बनाने का अधिकार भी गवर्नर को नहीं है । गवर्नर के आर्डिनेंस का स्थान वही होता है जो कि एक क़ानून का होता है । इसलिये मैं यह जरूरी समझता हूंकि जो फैसला सदन ने किया है उस आर्डिनेंस के संबंध में प्रत्यक्षरूप से न सही लेकिन अप्रत्यक्षरूप से इस कानून के संबंध में भी लागू होता है । उस दिन मैंने, २,४ बातें पेश की थी । वह किताबें तो मैं आज नहीं लाया हूं परन्तु मैं आप का ध्यान इन २,३ बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं । कांस्टीट्यूशन में जो कांकरेन्ट लिस्ट दिखाई गयी है उसके अनुसार यह सही है कि हमारा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जाता है । इसका मतलब यह है कि हम दूसरे प्रदेश के लोगों के लिये कोई क़ानून नहीं बना सकते हैं लेकिन अगर दूसरे प्रदेश का रहने वाला कोई आदमी खुद हमारे किसी घेरे के अन्दर आता है तो उसके लिये कानून बनाने का हमको पूरा अधिकार है । हम मद्रास, मध्यप्रदेश या विन्ध्य प्रदेश के लिये कोई कानून नहीं बना सकते हैं लेकिन मद्रास, राजस्थान या विन्ध्य प्रदेश का कोई आदमी उत्तर प्रदेश में आकर रहता है और वह फिर यहां रह कर अपने को हमारे किसी घेरे में डालता है तो फिर वह स्वयं हमारे घेरे के अन्दर आता है । इसलिये यदि उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय के साथ वह अपने को एफिलियेट करता है तो हम उसको इसके लिये मजबूर नहीं करते हैं कि यहां आये और हमारे विश्वविद्यालय से अपने को एफिलियेट करे। तो यह इस बात का प्रमाण है कि वह हमारे बनाये हुये कानून को मानता है और इस तरह से वह अपने को हमारे जुरिस्डिक्शन के अन्दर डालता है ।

दूसरी बात यह है कि हमारे पास इसकी नजीर है और प्रेसिडेंट हैं और यह एक बहुत बड़ी चीज होती है । उस दिन मैंने दो नजीर का जिकर किया था । एक नजीर तो यह है कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश की सरकार का एक डिपार्टमेंट है तो संस्कृत की आचार्य और शास्त्रीकी परीक्षा लेता है । वह डिपार्टमेंट सोलहों आना उत्तर प्रदेश की सरकार के अधीन है। उसकी एक कमेटी है जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ही नियुक्त करती है उसका एक कोर्स है वह भी उत्तर प्रदेश की सरकार ही निर्धारित करती है और इन सब परीक्षाओं की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ही होती है किन्तु इन परीक्षाओं का सम्बन्ध उन तमाम पाठशालाओं से हैं जो राजस्थान में हैं, विन्ध्यप्रदेश में हैं, मध्यभारत में हैं और वे इन परीक्षाओं के संबंध में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बनाये हुये नियमों के अनुसार काम करते हैं। किसी तरफ से आज तक कोई सवाल कांस्टीट्यूशन के बनाने के पहले या बाद को पैदा नहीं हुआ ।

दूसरी बात यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में २,३ साल हुये कुछ संशोधन किये गये हैं लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं, न गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ही ने कोई एतराज किया और न किसी और के तरफ सेही कोई सवाल आया। यह दो नजीर ऐसी हैं जो इस बात काप्र माण है कि इस सदन को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह इस आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन करने के लिये पूरा कांपिटेंट है। एक बात का और मैंने जिक्र किया था कि मान लिजिये कि हम कांपिटेंट नहीं हैं तो फिर सवाल यह होता है कि फिर कौन है । अगर यह समझा जाय कि आगरा यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र के बाहर है तो फिर हमारे उत्तर प्रदेश के बहुतसे कालेजेज हैं जिनका संबंध उस यूनिवर्सिटी से है । मैं यह अपनी राय नहीं दे रहा हूं ।

वह खराब हो या अच्छा हो लेकिन थोड़ी देर को अगर मान लिया जाय और उत्तर प्रदेश के लोगों की राय हो जाय कि वहां के नियम खराब हैं और यह बात सब की समझ

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

में आ जाय कि आगरा यूनिवर्सिटी का विधान अच्छा नहीं है तो फिर ऐसी हालत में क्या किया जाय । गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो लिस्ट है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है और न गवर्नमेंट आफ इंडिया को ही इस बारे में कोई अधिकार है, इस के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश या राजस्थान किसी को भी इस प्रकार का अधिकार नहीं है। तो फिर किसी ऐसी हालत में एक ही तरीका रह जाता है कि कांस्टीट्यूशन में एक दफा हो जिस के मातहत जिन स्टेट्स के जूरिसडिक्शन में एक या २ कालेज भी हों वह सब मिलकर गवर्नमेंट आफइंडिया से प्रार्थना करें कि वह आगरा यूनिवर्सिटी के लिये कानून बनाये और उस हालत में गवर्नमेंट आफइंडिया बना सकती है और उन तमाम स्टेट्स में से एक की भी रजामन्दी न हो तो कानून बन ही नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि कितने कालेज किस प्रदेश में हैं लेकिन अगर उन सब में से एक कालेज भी अगर अड़ जाय तो सारा सुधार का काम रुक जायगा। इसलिये मैं कहता हूं कि हमें इस बात को समझना चाहिये कि कानून आदमी के लिये होता है आदमी कानून के लिये नहीं होता और इस तरह से किसी की आपत्ति की वजह से काम को रोकना कोई अकलमन्दी नहीं है। इसलिये मेरा ख्याल है कि यह स्टेट और यह सदन आगरा यूनिवर्सिटी के लिये काननून बनाने के लिये कामपिटेण्ट है।

श्री अध्यक्ष---यह आपत्ति उपस्थित की गई है कि जो अधिनियम आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में है उस के ऊपर कोई संशोधन करके कायदे बनाना इस सदन के लिये अवैधानिक होगा। इसी प्रकार का प्रश्न, जब आर्डिनेंस इस सदन के सामने पेश हुआ था उपस्थित किया गया था और सदन कुछ बहस करने के बाद और एडवोकेट जनरल की राय मालूम करने के बाद इस निश्चय पर पहुंचा कि इस सदन को कायदा बनाने का और महामान्य राज्यपाल को इस प्रकार का आर्डिनेंस निकालने का अधिकार है और महामान्य राज्यपाल का अधिकार वही है जो कि इस सदन का कायदा बनाने का अधिकार है और इस से अधिक विशेष अधिकार उन को नहीं है, अगर महामान्य राज्यपाल को अधिकार है तो इस सदन को भी अधिकार है यह अहीत किया जायगा या एज्यूम (Assume) किया जायगा। तो जहां तक सदन की राय है यह स्पष्ट हो जाता है कि महामान्य राज्यपाल को आर्डिनेंस निकालने का अधिकार है, यह बात सदन ने मानी है और इस का अर्थ यह निकलता है कि इस सदन को विधेयक का भी उतना ही अधिकार है। लेकिन प्रश्न उठाया गया है मेरी राय के लिये कि अध्यक्ष इस पर निर्णय दें। अब तक प्रथा यह रही है कि कभी तो अध्यक्ष इस सम्बन्ध में फैसला देते रहे हैं और कभी अध्यक्ष ने यह निश्चय किया है कि वह कानूनी झगड़े में नहीं पड़ें क्योंकि अन्त का जो फैसला साधारणतया होता है वह सुप्रीम कोर्ट का होता है यानी अन्ततोगत्वा वहीं का फैसला माना जाता है, इसलिये अध्यक्ष कानूनी झगड़ों में नहीं पड़े। यदि सदन ठीक समझता है कि अधिकार है तो जिम्मेदारी सदन ले और सरकार ले, जो कानून को पेश करती है। साधारणतया यही एक तरीका मैं ठीक समझता हूं लेकिन चूंकि इस सम्बन्ध में स्पष्ट रास्ता दिखलाई देता है इस लिये इस मामले में मैं थोड़ी सी व्यवस्था भी दे देना चाहता हूं। मैंने एडवोकेट जनरल की राय भी सुनी, श्री नारायण दत्त जी का भाषण भी सुना, और उसके ऊपर माननीय गृह मंत्री व माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो उत्तर दिया और विशेष कर माननीय शिवनाथ काटजू ने जो स्पष्टीकरण दिया उसको भी मैंने गौर से सुना।

एक तो मोटा सा सिद्धांत मैं यह रखना चाहता हूं कि जहां सदन के अधिकार का सवाल है जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि सदन को अधिकार नहीं है, तब तक मैं समझता हूं कि उस की प्रतिष्ठा इसी में कायम है कि सदन को अधिकार है यह मान लिया जाय। उसके अधिकार को संकुचित करने के पक्ष में मैं नहीं हूं। जहां पर मतभेद हो तो साधारणतया मैं अपने दिल में यह निर्णय करता हूं कि इस सदन को पूर्णरीति से अधिकार

है यह तो एक आम सिद्धांत हुआ। लेकिन कानूनी दृष्टि से भी यदि देखा जाय तो जो लिस्ट बनाई हुई है किसी विधान सभा के अधिकारों की, वह संविधान में स्पष्ट रीति से दी हुई है। इस लिस्ट में जितने कानून बनाने के अधिकार हैं वे किसी न किसी फेहरिस्त में जरूर आ जाते हैं और यही एडवोकेट जनरल ने भी कहा है। यह कहना कि किसी कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आगरा यूनिवर्सिटी एक त्रिशंकु की तरह लटकने वाली है, न इसमें है न उसमें है, न केन्द्र में है, न प्रांत में है, और एक बीच में लटकने वाली चीज है चूंकि उसका अधिकार क्षेत्र इस प्रांत के बाहर जाता है, तो यह कहना रिपोर्ट वालों की कवि-कल्पना कही जा सकती है। लेकिन जहां तक कानूनदां लोगों का सवाल है, वे कानून की ही दृष्टि से किसी चीज की जांच करते हैं और इसकी जांच करते हुये यह स्पष्ट है कि संविधान की किसी न किसी फेहरिस्त में जो अधिकार हैं वे आने ही चाहियें। संविधान में स्पष्टतया दिया हुआ है, कि शैड्यूल ७ में, स्टेट लिस्ट में, कि "एजूकेशन इन्क्लूडिंग यूनिवर्सिटीज" यह बिलकुल स्पष्ट है। अनुच्छेद २४८ का हवाला दिया गया। काटजू साहेब ने कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टेट लिस्ट में न हो या कान्करेंट लिस्ट में न हो, उसके लिये पूर्णरीति से अधिकार केन्द्रीय धारा सभा को है। लेकिन जब स्टेट लिस्ट में मौजूद है तो स्पष्ट है कि स्टेट को इस विषय में कानून बनाने का अधिकार होगा। केन्द्रीय फेहरिस्त २ शेड्यूल ७ में पैरा ६३, ६४, ६५ और ६६ में कोई आगरा यूनिवर्सिटी का नाम एक्सैप्शंस में नहीं है न वह कोई नेशनल इम्पार्टेन्स की चीजों में हो गई है। ऐसी अवस्था में यह शंका करना कि इस सदन को अधिकार नहीं है, केवल केन्द्र की पार्लियामेंट को है यह कानून की दृष्टि से अनुचित होगा।

दूसरी बात यह है कि यदि तर्क से यह कहा जाय कि चूंकि किसी कानून का असर जो हम बनाते हैं बाहर भी पड़ता है, इसलिये कोई कानून बनाया ही न जाय, तब तो मैं समझता हूं कि इस सदन को बन्द ही कर देना पड़ेगा। हरएक कानून का कुछ न कुछ असर बाहर पड़ेगा। जो इस प्रांत में आवेंगे और जो बाहर वाले इस प्रांत के कानून से लाभ उठाना चाहेंगे वे उठाते हैं और यहां यूनिवर्सिटी के लिये जो कानून बनें उसके अनुसार जो कालेज एफीलियेट करना स्वीकार करें, अपनी इच्छा से, वे करें और जो नहीं चाहें वे अपने लिये दूसरी अपनी यूनिवर्सिटी बना लें। लेकिन चूंकि उन्होंने एफीलियेट कर लिया है इसलिये यह कहना कि उनको एक विशेष अधिकार हो गया कि इस सदन के अधिकार छिन कर केन्द्रीय विधान सभा में चले जावेंगे? यह उचित नहीं है। चूंकि कुछ बाहर के कालेज इस यूनिवर्सिटी में शामिल होने के लिये तैयार हुये, इसलिये इस सदन के अधिकार केन्द्र को नहीं जा सकते। सदन की प्रथा, कानूनी दृष्टि और तर्क से भी मैं यह उचित समझता हूं कि इस सदन को इस तरह के कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है और इस संबंध की आपत्ति को निराधार करार देता हूं।

श्री हर गोविन्द सिंह--श्रीमान्, जो प्रस्तुत विधेयक किन्ही दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण होते हुये भी इतना छोटा है कि मैं समझता हूं कि भवन का अधिक समय इसके पारित करने में न लगना चाहिये। आपको यह मालूम ही है कि इस विधेयक के पूर्व यह आवश्यकता पड़ी कि एक आर्डिनेंस जारी किया जाय और यह विधेयक संपूर्णतः उसी पर अवलंबित और आधारित है। उसमें उसी विषय की धारायें हैं। यह जरूर है कि शिक्षा संस्थाओं के बारे में किसी को भी आर्डिनेंस पास करना हर्ष की बात नहीं हो सकती लेकिन कुछ अवस्था ऐसी आ गई थी जिसके कारण यह जरूरी हुआ कि इस वक्त वहां के उप-कुलपति का चुनाव रोक दिया जाय। जहां तक आगरा यूनिवर्सिटी के ऐक्ट में संशोधन का प्रश्न था यह बात पहले ही सरकार के समक्ष थी कि १९३७ में इस भवन ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके बारे में एक कमेटी नियुक्त की गयी जो हमारे पूर्व अधिकारी आजकल गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठी। उस कमेटी के सुपुर्द यह काम था कि जो इस प्रांत की यूनिवर्सिटीज हैं यानी लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा के बारे में जो ऐक्ट्स हैं उनके, वातावरण को तथा उनकी कार्यव्यवस्था को देखें तथा उसके बाद जो संशोधन उन ऐक्ट्स में होने

[श्री हरगोविन्द सिंह]

चाहिये उन पर अपनी राय प्रकट करे। १९३७ में उस कमेटी ने अपनी दो उप समितियां बनाई थीं, एक लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में और दूसरी आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में। उन कमेटियों ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया। १९४२ के आंदोलन के कारण उस कमेटी की रिपोर्ट कानूनन छप न सकी लेकिन कमेटी ने जो अपनी सिफारिशें की थीं वे हमारे सामने किताब के रूप में हैं, यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कमेटियों की कार्यवाही होती है अंतिम बार वह संपूर्ण सदस्यों के सामने नहीं पढ़ी गई। सन् १९४२ के बाद वार छिड़ जाने से कोई कार्यवाही उस पर न हो सकी। १९४६ में जब यह भवन फिर बैठा तो हमारे पूर्वाधिकारी ने फिर एक यूनिवर्सिटी रिप्रेजेन्टेशन कमीशन बैठाया। जिसमें यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आदि थे। यह कमीशन इस लिये बैठाया गया जिससे यह मालूम किया जा सके कि ऐक्ट्स में किन दशाओं में संशोधन किया जाना चाहिये। इसी दरमियान में आपको मालूम होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन राधाकृष्नन जी की अध्यक्षता में बनाया। यह ठीक ही था कि जब तक कि इस कमेटी की शिफारिशें न आ जातीं तब तक कोई संशोधन बिल उपस्थित न किया जाय। अब राधाकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है। प्रश्न भी बड़ा गूढ़ है इसलिये जल्दी में कोई बिल नहीं लाया जा सकता। आगरा यूनिवर्सिटी के पुराने कानून के अनुसार वहां के वाइस चांसलर का कार्यकाल १२ दिसम्बर को खत्म हो रहा था। अतः इस समय केवल दो प्रश्न सरकार के सामने उपस्थित थे एक तो यह कि आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का चुनाव हो जाने दिया जाय और उसके बाद जब संशोधन बिल इस भवन से निकले तो उसके अनुसार जो परिवर्तन होने हों उनको कर दिया जाय। दूसरा रास्ता यह था कि उस चुनाव को स्थगित कर दिया जाय और जब इस भवन से एक विधेयक निकल जाय तो संशोधक बिल के अनुसार ही वहां का चुनाव कराया जाय। तो मैं चाहता हूं कि इस समय आगरा यूनिवर्सिटी की व्यवस्था के बारे में, उसमें क्या अच्छाइयां हैं, और क्या खराबियां हैं। उसके बारे में यह भवन यदि समय का व्यय न करे तो अच्छा है क्योंकि हमारा मूल विधेयक जब भवन के सामने प्रस्तुत होगा उस समय भवन के सभी सदस्यों को अवसर मिलेगा कि वह अपने विचारों को उस संबंध में प्रकट करें। हो सकता है कि इसमें दो विचार हों कि चुनाव जिस प्रकार से हो रहे थे उसको होने दिया जाता और उसके बाद विधेयक जब अधिनियम के रूप में आ जाता तो उसके अनुकूल चुनाव फिर दोबारा कर लिया जाता। दूसरी तरफ यह भी कहा जा सकता है कि जो व्यवस्था चल रही है, तीन वर्ष तक जिस तरह से यह वाइस चांसलर रहे उनके कार्य काल में यदि और इजाफा कर दिया जाय और इसी बीच में संशोधन बिल पास करके उसके द्वारा चुनाव कर लिये जायं तो कोई हर्ज नहीं होगा। तो यही कारण था कि सरकार ने यही निश्चय किया कि यह ठीक न होगा कि चुनाव हो जाने के बाद दूसरा चुनाव फिर निकट भविष्य में कराया जाय और उचित यही होगा कि वर्तमान उपकुलपति का कार्यकाल थोड़े दिनों के लिये बढ़ा दिया जाय जिसमें कि मूल विधेयक इस भवन से पास हो जाने के बाद जब अधिनियम के रूप में आवेगा तब वह चुनाव कर लिया जावेगा। तो इतना ही एक छोटा सा प्रश्न था और इसीलिये उस आर्डिनेंस के जारी करने की आवश्यकता हुई कि १२ दिसम्बर को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो सिर्फ आर्डिनेंस के जरिये यह किया गया कि उनका चुनाव रोक दिया जाय जब तक कि आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक अधिनियम के रूप में नहीं आ जाता। इस समय मैं समझता हूं कि इतना ही कहना पर्याप्त होगा और मुझे आशा है कि भवन से शीघ्रता के साथ वह छोटा सा विधेयक पारित कर दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, इस प्रश्न पर कुछ बोलने के पूर्व मैं यह सूचना माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि जो आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में दिया हुआ है--

"A fresh election of Vice-Chancellor at a time when extensive amendments in the main Act are in contemplation is likely to cause various difficulties."

तो वह "वेरियस डिफीकल्टीज" क्या हैं अगर इस पर माननीय मंत्री जी प्रकाश दें तो विचार प्रकट करने में सुविधा रहेगी।

श्री अध्यक्ष--अब मैं दोबारा तो भाषण करने की इजाजत नहीं दे सकता लेकिन अगर जवाब के रूप में आप कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं।

श्री हर गोविन्द सिंह--"वेरियस डिफीकल्टीज" तो यह है कि वहां किस प्रकार से कितने का सिनेट रखा जाय, वाइस चांसलर का चुनाव किस प्रकार से हो, एक्जीक्यूटिव कौंसिल कितने की हो, ऐकेडेमिक कौंसिल कितने की हो। यह सब प्रश्न ऐसे हैं जो बड़े जटिल हैं। यदि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें, राधाकृष्नन् कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, या हमारे यहां जो यहां के मुझसे पूर्वाधिकारी के सभापत्वि में कमेटी मुक़र्रर हुई थी उसकी रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें यह नहीं कहा जा सकता....

श्री नारायण दत्त तिवारी--यह मेरे सवाल का उत्तर तो नहीं है। मेरा प्रश्न तो यह था कि वर्तमान ऐक्ट के अनुसार चुनाव होने में क्या डिफीकल्टी है?

श्री हर गोविन्द सिंह--वह तो मैंने पहले ही बता दिया कि वर्तमान ऐक्ट से यदि चुनाव हुआ होता तो यह आवश्यकता पड़ती कि अगर यह भवन इस विधेयक को पास करता तो उस समय आप यह निश्चित करते कि वह चुनाव अब दूसरे प्रकार से कराया जाय। तो यह आवश्यकता होती कि एक चुनाव अब कराया जाय और एक अधिनियम के बाद। तो यह डिफिकल्टी गवर्नमेंट नहीं लेना चाहती थी।

श्री अध्यक्ष--माननीय नारायणदत्त तिवारी, अगर आप बोलना चाहते हैं तो अपना भाषण शुरू करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के द्वारा इस विधेयक के प्रस्तुत करते समय मुझे विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अंकित वे शब्द याद आ रहे थे, "बी वेरी बोल्ड, बी नाट टू बोल्ड"। यह बात मुझे विश्वविद्यालय का एक पुराना विद्यार्थी होने के नाते याद आ ही पड़ी।

ठीक है, यूनिवर्सिटी में सुधार होना चाहिये। शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिये। लेकिन जिस ढंग से माननीय मंत्री जी ने अपने कार्याकाल के आरम्भ में आर्डिनेंस के द्वारा, क्योंकि उन्होंने आर्डिनेंस का जिक्र किया, सुधार करना शुरू किया, वह भी "बी नाट टू बोल्ड" की परिभाषा में आते हैं।

श्रीमन्, वैसे विधेयक छोटा सा है और उसमें इतना ही है कि उपकुलपति का कार्यकाल एक वर्ष के लिये, दिसम्बर, १९५३ तक बढ़ा दिया जाय। लेकिन इसका महत्व बहुत ही बड़ा है और जो आधारभूत सैद्धांतिक प्रश्न इस विधेयक में आते हैं वह विचारणीय है। वे प्रश्न क्या विचारणीय हैं मैं आप की आज्ञा से सदन के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा और मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि चाहे आज का दिन हमारा उन सिद्धांतों पर विचार करने में लगे लेकिन उस पर हम अवश्य विचार करें ताकि माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार को इस बात का मौका मिले कि उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये वह आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट जो लाना चाहती है लाये। प्रश्न हमारे सामने इस विधेयक को विचार करते हुये यह है कि यूनिवर्सिटीज के ऊपर सरकार का कितना अधिक नियंत्रण होना चाहिये आया यूनिवर्सिटी आटोनामस, स्वायत्त अधिकारिणी होनी चाहिये या नहीं अथवा वह कितनी सीमा तक राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिये चाहे वह प्रदेशीय राज्य हो उसके नियंत्रण में कितनी रहे। एक सैद्धांतिक प्रश्न तो यह उठता है। दूसरा प्रश्न यह है कि उपकुलपति का निर्वाचन किस पद्धति के अनुसार हो जब कि वह यूनिवर्सिटी अफीलिएटिंग हो।

कम से कम यह दो सैद्धान्तिक प्रश्न उठते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर । यह सब एक विषयान्तर बहस हो रही है । इसमें इस विधेयक से इससे कोई संबंध नहीं है । एक ऐक्ट इस विधान सभा से पास हुआ है उसमें संशोधन का सवाल है। यूनिवर्सिटी अटानोमी क्या है, होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये, यह तो बाद को जब मूल विधेयक आयेगा तब आप कह सकते हैं । लेकिन यहां तो इसका कोई प्रश्न है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष---सिद्धांतों के बारे में जब कोई प्रश्न उठता है तो जनरल डिस्कशन में उस पर बहस हो सकती है । जिस सिद्धांत के ऊपर यह विधेयक भवन के सामने लाया गया है अगर उसको कोई माननीय सदस्य नहीं मानते तो अपना सिद्धांत भी पेश करेंगे इसलिये कि जिस सिद्धांत के ऊपर यह विधेयक सामने आया है उस सिद्धांत को गलत साबित करना चाहते हैं । वह इस तरह का तर्क कर सकते हैं और मैं इसकी इजाजत देता हूं । वह अवैध नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो, श्रीमान्, मैं निवेदन कर रहा था उपकुलपतियों के निर्वाचन पद्धति के संबंध में । जिस पद्धति का अनुसरण आगरा विश्वविद्यालय करता है वह आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट के सेक्शन ९ में दिया है--

"The Vice-Chancellor shall be an honorary officer elected by the Senate from among three persons recommended by a majority of the members of the Executive Council present at a meeting subject to the approval of the Chancellor.

The term of office shall be three years."

तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट के मुताबिक उपकुलपति आनरेरी होंगे और उनका चुनाव इग्जिक्यूटिव काउंसिल के बहुमत के द्वारा तीन नामों में से सिफारिश किये गये नामों में से जो वहां की सीनेट होगी वह उनका चुनाव करेगी और कार्यकाल तीन साल का होगा । तो हमारे माननीय मंत्री जी अपने इस विधेयक के द्वारा उस तीन साल को बढ़ा कर एक साल और चार साल करना चाहते हैं। श्रीमन्, यह पद्धति क्या है ? क्या यह सरकार के द्वारा नामांकन करने की है ? अगर माननीय मंत्री जी यह चाहते थे कि वर्तमान उपकुलपति का कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया जाय तो क्या वह सिनेट के मेम्बर नहीं थे । इसी आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक के अनुसार हमारे विधान मंडल के प्रत्येक माननीय मंत्री आगरा यूनिवर्सिटी की सिनेट के सदस्य हैं और वह सिनेट की मीटिंग बुला सकते थे और उसमें प्रस्ताव ला सकते थे कि वर्तमान उपकुलपति को ही चुना जाय । अगर हम इसके लिये कल्पना कर लें कि हमारे मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रियों का आगरा यूनिवर्सिटी की सीनेट के अन्दर कोई प्रभाव नहीं रहा, या आगरा यूनिवर्सिटी की जितनी ऐकेडेमिक बाडीज हैं उनमें कोई प्रभाव नहीं रहा, तो ऐसा तो हम विश्वास नहीं कर सकते । फिर ऐसी कौन सी अनावश्यक परिस्थिति थी कि इस विधेयक के अन्दर जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक इस विधेयक को लाकर एक एक साल का कार्यकाल बढ़ाना उपयुक्त समझा गया । मैं तो इसको स्पष्ट सरकार के द्वारा इस विधेयक के जरिये वर्तमान उपकुलपति की नामजदगी कहता हूं । यह विधेयक के द्वारा वर्तमान उपकुलपति को नामीनेट करना है और नामिनेशन की प्रथा सिद्धान्त के रूप में यूनिवर्सिटी के आटोनामी के सिद्धांत के खिलाफ जाती है । यह क्या गारण्टी है, इसे कैसे मान ले कि अगर विधान के अनुसार चुनाव होता तो वर्तमान उपकुलपति नहीं चुने जाते और अगर नहीं चुने जाते और उनकी जगह दूसरे महानुभाव चुने जाते तो वह उनसे अयोग्य होते । यह कल्पना की चीज नहीं है । सभी चीजें सम्भव हो सकती हैं प्रश्न यह उठता है कि आखिर इसएक वर्ष के कार्यकाल के बढ़ा देने से क्या सुधार होता है ? क्या

कोई ऐक्ट में तब्दीली आती है या माननीय मंत्री ने जो कमीशन की रिपोर्ट में इसका वर्णन "आगरा यूनिवर्सिटी में पार्टीबाजी " या जो "पैक्ट" के नाम से उसमें किया ....

श्री हरगोविन्द सिंह–Why do you put into my mouth things which I did not say? [जो बातें मैंने नहीं कहीं हैं उनको मेरे सर क्यों थोपते हैं ?]

श्री अध्यक्ष---जो बात उन्होंने नहीं कही उसका आप जिक्र क्यों करते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---उन्होंने कमेटी का नाम लिया । उसी कमेटी की रिपोर्ट में यह चीज है । तो वहां की जो वैरियस डिफिकल्टीज हैं उनकी ओर मैं इशारा कर रहा था । क्योंकि कौंसिल में जो भाषण उन्होंने दिया उसका थोड़ा अंश मैं पढ़ देना चाहता था । क्योंकि आप जानना चाहते हैं....

श्री हरगोविन्द सिंह---मैं उसे नहीं जानना चाहता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अगर आप नहीं जनना चाहते तो न सही । आपने नरेन्द्र देव कमेटी या सम्पूर्णानन्द कमेटी का जिक्र किया था । इसलिये मैंने "पैक्ट" का नाम लिया । फिर भी मैं इतना तो अवश्य कहना चाहूंगा कि इस प्रकार एक साल का कार्यकाल बढ़ा देना यह यूनिवर्सिटी के आटोनामी के सिद्धांत के विपरीत जाता है। जैसे राधाकृष्न कमीशन का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया, उसनें स्पष्ट शब्दों में कहा है यूनिवर्सिटी की आटोनामी के संबंध में---

" Exclusive control of education by the State has been an important factor in facilitating the maintenance of totalitarian tyranny. "

इस प्रकार के शब्दों में उन्होंने इस तरह के कामों की निन्दा की है। आगे वह कहते हैं,---

" Our Universities should be released of the control of politics."

यह आप पेज ५० और ४८ में देख सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इंग्लैंड में जो यूनिवर्सिटियों की इज्जत है वह केवल इसी लिये है कि वहां पर सरकार उन्हें अपने सदस्यों के निर्वाचन का पूरा पूरा अधिकार देती है। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन की सिफारिशों के अनुसार ही आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालयों को बनाया गया था और सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ने इसी लिये स्टेट कंट्रोल को यूनिवर्सिटीज में कम करने के लिये तीन प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये थे, स्टेट्यूट आर्डिनेंस और रेगुलेशन। अगर माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर जाता तो इस प्रकार के विधेयक को लाने की आवश्यकता न पड़ती कि इस प्रकार से वाइस चांसलर के टर्म को एक्सटेंड करें। मैं मानता हूं कि किसी विश्वविद्यालय के जीवन के लिये उपकुलपति का बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार सारे आकाश के नक्षत्रमंडल का सूर्य केन्द्र माना जा सकता है, इसी प्रकार यूनिवर्सिटी मंडल में उपकुलपति का स्थान है। ऐकेडेमिक मामलों में या एग्जिक्युटिव मामलों में जो जनता से सम्पर्क रखते हों या सरकार से उन सब में उपकुलपति का दायित्व सब से महत्वपूर्ण होता है। यह मैं मानता हूं । इस बात को मानता हूं लेकिन ऐसे महत्व पूर्ण स्थान के लिये सरकार को ऐसे असाधारण कदम उठाने पड़ें मैं इस बात को नहीं मान सकता। अगर इस बात की आवश्यकता सरकार को थी और सरकार यह चाहती थी कि वहां प्रबंध ठीक हो और वहां के प्रबंध में सुधार हो तो इसके लिये वाइस चांसलर्स के चुनाव की ओर सरकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिये थी, जितनी वहां की खराबियां थीं उनकी ओर, चाहे भले ही वह खराबी शिक्षा प्रणाली की हों, एग्जामिनर्स के रखने की प्रणाली में हों, या चाहे वह प्रणाली गलत तरीके से चुनाव प्रणाली हों, उनकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये था न कि वाइस चांसलर का टर्म बढ़ाने की ओर। आखिर मैं जानना चाहता हूं कि एक साल में हमारे वर्तमान उपकुलपति क्या कर लेंगे। किस प्रकार वह यूनिवर्सिटी का सुधार

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कर पायेंगे। क्या जब पिछला चुनाव हुआ था क्या उसी सिद्धांत पर उसी सिद्धांतों की परम्परा के अनुसार वे नहीं चुने गये थे जिसका संकेत हम और माननीय मंत्री जी दोनों करते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह---आप करते हैं, मैं तो नहीं करता।

श्री नारायण दत्त तिवारी---आप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---आप मुझको संबोधित करके अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो मैं निवेदन कर रहा था, माननीय मंत्री जी आज अपनी भावनाओं में बहुत कुछ ब्रेक लगा रहे हैं। वह उनको खोलना नहीं चाहते। ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके विचारों में कुछ परिवर्तन हो गया है क्योंकि पहले तो वह बहुत तेज थे। लेकिन आज मालूम पड़ता है कि वह बहुत लीनियेंट हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष---आप पानी महाराज का रोल मत प्ले कीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मैं तो आपके ही द्वारा श्रीमन्, कह रहा हूं। तो इस बीच में उनके विचारों में कुछ परिवर्तन हो गये हैं। उनके आर्डिनेंस निकालने के कारण कुछ सुधार हो गया है, आगरा युनिवर्सिटी में, कुछ दो दलों में समझौता हो गया है तो वह इस विधेयक को वापस ले लें। अगर वह इससे संतुष्ट हैं तो ठीक है। विधेयक तो माननीय मंत्री जी ला रहे हैं। मैं अपने असन्तोष के कारण विधेयक नहीं ला रहा हूं। माननीय मंत्री जी ला रहे हैं। तो श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री जी का यह कदम जो आगरा युनिवर्सिटी एक एफिलिएटिंग बाडी है उसमें उससे किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। पहली बदकिस्मती तो हमारी यह है कि आगरा युनिवर्सिटी अब भी एफिलियेटिंग युनिवर्सिटी है। जितनी भी युनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट हैं आज तक जितनी भी कमेटियां बनी हैं उन सबकी यही मांग रही है कि इस प्रकार की एफिलिएटिंग युनिवर्सिटी जैसे आगरा युनिवर्सिटी है यह न रहे। यह आगरा युनिवर्सिटी..

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न सम्मुख नहीं है। जब ऐक्ट आयेगा तब यह बातें कह सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मुझे जरा पूरा कर लेने दें तो मैं स्पष्ट कर दूं। आखिर वाइस-चांसलर साहब आगरा में एक दफ्तर रजिस्ट्रार का कायम करके किस प्रकार सुधार करेंगे, किस प्रकर हमारे जो कालेजेज गोरखपुरसे लेकर मिर्जापुर, अलमोड़ा, और राजस्थान अजमेर विन्ध्य प्रदेश तथा भोपाल तक फैले हुये हैं उन सबका इससे कैसे सुधार हो सकता है। मैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि बजाय इसके कि एक साल के लिये टर्म बढ़ायें वह इस प्रकार की जो सिफारिशें थीं उनको लागू करते जिनमें कहा गया है कि वाइस चांसलर सिनेट के द्वारा चुना जायगा, एक्जीक्यूटिव के तीन अलग अलग नामों की सिफारिशों पर चांसलर के अप्रूवल के मुताबिक। अगर ऐसा करते इसके अनुसार चुनाव कराते तो चुनाव भी हो जाता सरकार को युनिवर्सिटी के मामले पर दखल देने की आवश्यकता भी न पड़ती और न हमको वैधानिक आपत्ति उठाने की या इस प्रकार के सुझाव देने की आवश्यकता पड़ती। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा उन्हें स्वयं आर्डिनेंस के जरिये दखल देने से दुख होता है, ठीक है, जरूर दुख होता है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। फिर मैं जानना चाहता हूं कि इतना दुख होते हुये भी ऐसी कौन सी बात थी कि ऐसा असाधारण कदम आगरा युनिवर्सिटी के बारे में उठाना पड़ा। इसको तो उन्हें स्पष्ट करना ही चाहिये था। जब मैंने आपकी आज्ञा से कागजात मांगे इस सम्बन्ध के कि कौन से कागजात हैं जिनके ऊपर यह आधारित है तो उस पर माननीय मंत्री जी का जो उत्तर मिला वह सुनाने लायक है। मैंने लिखा था कि जितने भी इस सम्बन्ध में कागजात हैं जिनके ऊपर यह विधेयक आधारित है यानी जिनके कारण यह असाधारण कदम उठाना पड़ा है, वह कागजात हमको देखने दिये

जायं तो माननीय मंत्री जी ने उस पर लिखा कि प्रस्तुत विधेयक इससे पूर्व जारी किये गये आर्डिनेंस पर अवलंबित है, इस लिये किसी संबंधित कागज का प्रश्न नहीं उठता। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी की राय पर और इस सदन की राय पर छोड़ना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक जिसकी सारे प्रांत में ही नहीं बल्कि बाहर भी चर्चा है उसके संबंध में क्या कोई संबंधित कागज होगा ही नहीं। आर्डिनेंस का भी तो किसी कागज से सम्बन्ध होगा। मैं हैरत में रह गया जब मैंने उनका जवाब देखा। आखिर किसी कागज पर आर्डिनेंस जारी हुआ होगा और फिर उस आर्डिनेंस पर यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। लेकिन माननीय मंत्री जी इस सदन को अपने विश्वास में लेना उपयुक्त नहीं समझते क्योंकि अगर उन्होंने मेरे ऊपर यह कृपा नहीं की कि वे मुझे कागजात दिखलाते तो उन्होंने इस सदन पर भी यह कृपा करना उचित नहीं समझा।

मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं कि राधाकृष्नन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था कि ऐसे किन्हीं महानुभाव को उपकुलपति नहीं बनाना चाहिये जो कि उस पद में खड़े होने के लिये उम्मीदवार हों। यूनिवर्सिटी के अन्दर पार्टी बाजी खत्म करने के लिये सबसे बड़ा सिद्धांत जो राधाकृष्नन कमीशन ने बनाया था वह यह था कि जो लोग अपने को उम्मीदवार घोषित करें वही लोग वाइस चांसलर के पद के अयोग्य माने जायं। अगर इस सिद्धांत के अनुसार माननीय मंत्री जी चले होते तो मैं समझता हूं कि बिना इस प्रकार के विधेयक को लाये और बिना इस प्रकार का अवैधानिक कदम उठाये ही सिनेट के द्वारा ही और आगरा यूनिवर्सिटी की जो बाडी आज कल काम कर रही है उनके द्वारा ही माननीय मंत्री जी काफी सुधार कर लेते श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं योरोप की यूनिवर्सिटीज की तरफ जहां कि वाइस चांसलर के चुनाव के संबंध में कितनी उदारता सरकार के द्वारा बरती जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संसार की किस यूनिवर्सिटी के लिये आज तक इस प्रकार का आर्डिनेंस निकला या इस प्रकार का कोई विधेयक लाया गया जिसके अनुसार कोई टर्म वाइस चांसलर की सरकार ने बिना सिनेट या एक्जिक्यूटिव कौंसिल की राय के बढ़ाई हो, यहां इस संबंध में क्या किसी एफिलियेटेड कालेज ने कोई राय दी, क्या सिनेट ने कोई प्रस्ताव पास किया या एक्जिक्यूटिव कौंसिल ने कोई प्रस्ताव पास किया कि वाइस चांसलर का टर्म बढ़ाया जाय? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिना किसी एफिलिएटेड कालेज की सिफारिश के ऐसा क्यों किया गया। मैं समझता हूं कि वाइस चांसलर की भी कोई चिट्ठी इस संबंध में नहीं आयी है क्योंकि जो हमारे पास कागज है उसके अनुसार वाइस चांसलर की भी चिट्ठी नहीं आयी कि टर्म बढ़ा दिया जाय। यदि ऐसा होता तो माननीय मंत्री जी कमसे कम यह कहते कि वाइस चांसलर की चिट्ठी आयी है और उसके अनुसार ऐसा हुआ है। तो इतना असाधारण कदम उठाना बिना किसी यूनिवर्सिटी बाडी की सिफारिश के, मैं समझता हूं कि यह संसार के इतिहास में, शिक्षा संबंधी इतिहास में कभी नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो फिर माननीय मंत्री जी इसको छोटा सा विधेयक बतलायें और कह दें कि यह कोई इम्पार्टेन्स नहीं रखता, इसमें कोई सिद्धांत की बात नहीं है, मैं समझता हूं कि श्रीमन् यह बिलकुल गलत है।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक मैंने देखा संसार के इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण मिलने एक प्रकार से असम्भव हैं जिसमें कि हम यह देखें कि सर्वोच्च शिक्षा संस्थाओं पर इस प्रकार सरकार अपने ही द्वारा बनाये गये अधिनियमों और विधेयकों की धाराओं पर कुठाराघात कर के अपने अधिकरों के विरुद्ध कार्य करके उनके साधारण संचालन में भी हस्तक्षेप करे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर भले ही विधेयक को बनाने की जिम्मेदारी हमारी इस उत्तर प्रदेश की विधान

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सभा या विधान परिषद् की हो लेकिन फिर भी क्या यह शालीनता का तकाजा नहीं था, इनसानियत का तकाजा नहीं था एक अच्छे शासन प्रबंध का तकाजा नहीं था कि इस प्रकार की सिफारिश करने के पहले और इस प्रकार के विधेयक को सदन के सामने लाने से पहले सरकार उन सभी प्रांतीय सरकारों से राय भी ले लेती जो कि इससे संबंधित थीं जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित गवर्नमेंट कालेज अजमेर है जिसका कि पूरे तरीके से शुरुआत से ले कर आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट सारा खर्चा बर्दाश्त करती चली आ रही है। सन् १९५०--५१ में वहां का खर्चा २४,८५९-१५-६ था जो कि सारे का सारा गवर्नमेंट आफ इंडिया की मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन ने दिया। मैं जानना चाहता हूं कि जिन वाइस चांसलर का कार्य काल बढ़ाया गया क्या वह गवर्नमेंट कालेज अजमेर के वाइस चांसलर नहीं हैं। क्या यह चीज गवर्नमेंट आफ इंडिया, मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन से पूछी गयी ? इसी तरह इंदौर क्रिश्चियन कालेज है जिसकी चौथायी ग्रांट मध्य भारत की गवर्नमेंट देती है। होल्कर कालेज, इंदौर है जिसका सारे का सारा खर्चा मध्य भारत की गवर्नमेंट देती है। सन् १८९१ में इस कालेज की बुनियाद पड़ी थी। तबसे लेकर आज तक लगातार इसका सारा खर्चा सरकार बर्दाश्त करती चली आयी है। यहां---

"All teachers of the college are state servants. Their conditions of service are prescribed by the service rules of the State. Higher appointments are made by the Ministers or the Cabinet in accordance with the graded scales based on salaries. The college has no separate fund; all fees and other funds are paid into the State treasury and the annual funds are provided for by the State budget."

तो मध्य भारत गवर्नमेंट का ही एक तरह से होल्कर कालेज है जो आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार का विधेयक लाने से पहले क्या मध्य-भारत गवर्नमेंट से सलाह की थी कि हम आपके द्वारा नियन्त्रित संचालित और आर्थिक रूप से प्रचालित कालेज के वाइस चांसलर के लिये इस प्रकार का एक आर्डिनेंस लाने जा रहे हैं ? ऐसे ही विक्टोरिया कालेज, ग्वालियर है जहां का सारा खर्चा वहां की सरकार देती है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, इंदौर है। इसका भी सारा खर्चा मध्य भारत गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट हमीदिया कालेज, भोपाल है। इसका सारा खर्चा गवर्नमेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन देती है। दरबार कालेज, रीवां है। इसका दायित्व भी मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन, गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऊपर है। महाराजा कालेज, छतरपुर है। इसका भी खर्चा वहां की सरकार देती है। इतने कालेज हैं जो कि आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। और जिनके वाइस चांसलर का टर्म हम लोग आज इस विधेयक के द्वारा एक साल के लिये बढ़ाने जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी को यह शोभा नहीं देता था कि अगर सिनेट ने कोई सिफारिश नहीं की, एग्जीक्युटिव कौंसिल ने कोई सिफारिश नहीं की तो इस विधेयक को लाने से पहले उनसे भी राय तो ले लेते कि हम ऐसा विधेयक लाने जा रहे हैं जबकि उन स्टेट्स से हमारा संबंध अच्छा रहा, जब हमारा उन प्रांतीय सरकारों से संबंध अच्छा रहा है? उस अच्छे संबंध को मजबूत बनाने के लिये क्या यह आवश्यक नहीं था कि हम उनकी भी राय ले लेते ? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रीमन्, मैं तो यह समझता हूं कि अगर इसी प्रकार का कदम माननीय मंत्री जी आगरा युनिवर्सिटी के बारे में उठाते रहे और आगरा युनिवर्सिटी के संबंध में जो अधिनियम भविष्य में बनाये जायंगे या विधेयक लाये जायेंगे उनके बारे में अगर इन सब सरकारों से उन्होंने राय न ली तो मैं समझता हूं कि वह बड़ा भारी अहित करेंगे। इससे कोई अच्छाई नहीं होने वाली है कि बिना उनकी राय लिये इस सदन के अन्दर एक विधान आगरा युनिवर्सिटी के बारे में बना दें। मैं यह समझता हूं कि आगरा युनिवर्सिटी के भविष्य के लिये भी यह हानिकारक ही साबित होगा। इसी के साथ साथ मैं एक और निवेदन कर देना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है

जिस प्रकार कि इलाहाबाद और लखनऊ है उसी प्रकार से आगरा युनिवर्सिटी स्टेट युनिवर्सिटी नहीं है। यह कालेज की एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी है। हमारे प्रांत की सरकार आगरा यूनिवर्सिटी के लिये केवल ६१ हजार ७०० रूपया ग्रांट देती थी और इस साल इसको बढ़ाकर १,२५,७०० रूपया कर दिया गया है। लेकिन बाहर के कालेजेज जो स्टेट के बाहर हैं वहां से ३४,२०,०९९ रूपये के लगभग वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के आफिसेज को मेनटेन करने के लिये आता है।

हम देखते हैं कि जहां पर हमारी स्टेट इलाहाबाद और लखनऊ युनिवर्सिटी के लिये लाखों पर खर्च करती है तो वहां पर इस आगरा युनिवर्सिटी के लिये केवल इसी वर्ष सवा लाख रूपया मंजूर किया है। जब हमारी सरकार इसकी उतनी आर्थिक सहायता नहीं करती है जितनी कि करना चाहिये तो इतना बड़ा कदम उठाना मेरी समझ में नहीं आता है। हमारी सरकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को १३,४२,००० रूपया देती है और लखनऊ युनिवर्सिटी को १२,६२,००० रूपया देती है। इस तरह से इनका १।१२ भाग आगरा युनिवर्सिटी को मिलता है। लेकिन हमारी युनिवर्सिटी सुधार की योजना आगरा युनिवर्सिटी से ही शुरू की जाती है।

श्रीमान् जी, यह एक अनोखी मिसाल है जो हमारे शिक्षा मंत्री महोदय करने जा रहे हैं। अब सवाल यह कि अगर चुनाव हो जाता तो क्या नये विधेयक के बनाने में सरकार को कुछ अड़चन पड़ती। हमारे मंत्री जी का कहना है कि अगर चुनाव हो जाता तो बहुत सी कठिनाई पैदा हो जाती। लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि क्या कठिनाइयां पैदा हो जातीं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि चुनाव हो जाने के बाद कोई आफ़त नहीं आ जाती कि सदन कानून न बना पाये। हमारे मंत्री जी ने अखबारों में एक बयान में स्पष्ट किया था कि जैसे ही नया ऐक्ट पास होगा नया चुनाव होगा। जैसे आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट पास करेंगे... ...

श्री हरगोविन्द सिंह—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर "ही इज मिस कोटिंग मी। आई नेवरसेड दैट" (श्रीमन् नें एक विधान का प्रश्न उठाता है। वे मुझे गलत कोट कर रहे हैं। मैंने वह नहीं कहा था)। मैंने यह कहा था कि अगर यह प्राविजन होगा तो इलेक्शन होगा। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि किसी चीज को पढ़कर और समझकर ही उद्धरण देना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय अभी मैं खड़ा हूं। जब मैं बैठ जाऊं तब उनको बोलना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने तो स्पष्टीकरण कर दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं। कोई नया ऐक्ट बनेगा तो उसमें वाइस चांसलर के चुनाव की नयी पद्धति होगी। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी इतने योग्य हैं कि वह इसको अवश्य बदलेंगे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर वाइस चांसलर के चुनाव की परम्परा क्या है। जब हम इंग्लैंड की युनिवर्सिटी को देखते हैं तो वहां पर वाइस चांसलर का चुनाव कोर्ट की सिफ़ारिश के अनुसार गवर्नमेंट की राय के अनुसार चांसलर करता है। जितनी भी युनिवर्सिटीज इंगलैंड में हैं उन सबकी पद्धति इसी प्रकार की है कि कोर्ट चुनाव करती है और एक्जीक्यूटिव कौंसिल सिफ़ारिश करती है। लेकिन वहां की पद्धित और यहां की पद्धति में बहुत फर्क है। जो आगरा युनिवर्सिटी ऐक्ट में पद्धति है उसमें बड़ा फर्क है। इंग्लैंड में जो वाइस चांसलर का चुनाव होता है वह इसी के अनुसार होता है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल की सिफ़ारिश पर कोर्ट चुनाव करे तो तीन बातें होती हैं।

पहले तो एक छोटी कमेटी बैठती है और वाइस चांसलरी के लिये जो विभिन्न उम्मीदवार हैं उनके योग्यता के बारे में, उनकी निष्ठा और चरित्र के बारे में, जनता

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

में उनके चरित्र के व्यक्तिगत प्रभाव के बारे में विचार होता है और वह निर्देश देती है कि कौन सा व्यक्ति वाइस चांसलर बनाया जाय ।

दूसरी बात जो वाइस चांसलर के बारे में है ब्रिटेन में वह यह है कि वाइस चांसलर का एक निश्चित कार्यकाल नहीं होता तीन या चार साल का । वहां पर जब तक रिटायरिंग पीरियड तक ५५ साल की अवस्था तक नहीं हो जाता तब तक वह वाइस चांसलर बना रहता है और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यूनिवर्सिटी बाडीज में जो अलग अलग संस्थायें हैं सिनेट या कोर्ट वगैरह उनमें टीचर्स बहुत कम होते हैं। इसलिये वहां के वाइस चांसलर के चुनाव प्रणाली और यहां के वाइस चांसलर के चुनाव प्रणाली में बहुत बड़ा फर्क है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज ने जो बहुत सालों और अनुभवों के बाद जो वाइस चांसलर के चुनाव की योजना बनाई है उसको माननीय मंत्री देखते और आज जो यह आर्डिनेंस लाने के बजाय उसके आधार पर जो कि आज इंग्लैंड में है उसे लाये होते तो वाइस चांसलर के चुनाव में एक बहुत बड़ा सुधार होता। लेकिन मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमने यहां पर यह भी निश्चित कर दिया है कि तीन साल से अधिक समय के अवधि के लिये वाइस चांसलर कार्य नहीं करेंगे यहां तक कि सम्पूर्णानन्द कमेटी में इसे स्पष्ट भी कर दिया गया है कि अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद ५ साल तक कोई व्यक्ति जो वाइस चांसलर रहा हो वह वाइस चांसलर के चुनाव के लिये खड़ा नहीं हो सकता। जब ५ साल बीत जायं तभी वह दोबारा खड़ा हो सकता है। यह सिफ़ारिश इसलिये थी कि जो वर्तमान वाइस चांसलर हो वह अपने कार्यकाल में अपने दोबारा चुनाव की कोशिश में कोई ऐसा कार्य न करें जिससे पार्टीबाजी बढ़े। श्रीमान् मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान उपकुलपति हैं उनके आगे के टर्म को बढ़ाने के लिये कहां तक सम्पूर्णानन्द कमेटी की सिफ़ारिश के अनुसार विचार किया है, इसे वह स्वयं जानें। जब उन्होंने कह दिया कि ५ साल के अन्दर उनका रिइलेक्शन नहीं हो सकता तो किस प्रकार वह कह सकते हैं कि सम्पूर्णानन्द कमेटी जो सन् २६ में बैठी थी उसकी सिफ़ारिशों के अनुसार काम करने जा रहे हैं। उसकी सिफ़ारिश में स्पष्ट था कि आगे जो वाइस चांसलर होंगे वे आनरेरी होंगे, माननीय मंत्री जी बतलायें कि सन् २६ में कैनन डेवीज के बाद जो वायस चांसलर हुये हैं उनमें से कितने आनरेरी हुये हैं। कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट था

"The word 'honorary' has been interpreted to mean that the post is not a paid post, but that persons in the service of the affiliated colleges are eligible. The object of the legislature was to give a real choice to the executive council. The Senate can only select one out of the three persons acceptable to the majority of the executive council: and the minority of the executive council have no right to forward the name of its candidate. The voting machine has frustrated the intentions of the legislature."

आज भी श्रीमान् जो वाइस चांसलर हैं, उनकी मैं आलोचना नहीं करना चाहता, उनकी योग्यता में मुझे पूर्ण विश्वास है, हमें कोई शिकायत नहीं है, हममें साहस नहीं कि हम उनकी योग्यता पर लांछन लगा सकें, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जब यूनिवर्सिटी ऐक्ट, २६ में साफ़ लिखा हुआ है, पैरा ९ में जिसको हम अमेंड करने जा रहे हैं कि केवल आनरेरी जो व्यक्ति होंगे वही वाइस चांसलर्स हो सकेंगे। और उस कमेटी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आनरेरी शब्द का अर्थ अवैतनिक है लेकिन वह वायस चांसलर कौन है। जो एफिलियेटेड कालेज से वेतन पाते हैं। वह तो अवैतनिक नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि लगातार इतने वर्ष तक जो इस ऐक्ट की अवहेलना हो रही है कि अवैतनिक ही वायस चांसलर न होकर वैतनिक वाइस चांसलर हो रहे हैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी का क्या ध्यान रहा है? श्रीमन्, जो उपकुलपति

है जहां तक मैंने सुना है और रिपोर्ट देखने से मालूम हुआ है सेंट जौन्स कालेज के प्रिन्सिपल हैं जो कालेज आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड है तो क्या वह आनरेरी माने जायं। क्या वह पेड प्रिन्सिपल जो कि एफिलियेटेड कालेज के प्रिंसिपल हैं लगातार कई वर्षों तक वाइस चांसलर नहीं चुने गये हैं। यह विधान की अवहेलना बराबर हो रही है और अवैतनिक वाइस चांसलर न हो कर बराबर वैतनिक वाइस चांसलर बनाये जा रहे हैं। इस प्रकार की बातों पर प्रकाश डालने के लिए माननीय मंत्री जी चुप रहते हैं लेकिन टर्म बढ़ाने के लिये तो बहुत जल्दी आर्डिनेंस आजाता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस अधिनियम को संशोधित करें और इस सदन के अन्दर एक नया विधेयक लायें। जब तक आप इन धाराओं को बदल नहीं देते तब तक आप कैसे इस बात का दावा कर सकते हैं कि जो नई धारा आप बनायेंगे उनकी मान्यता हो पायेगी। श्रीमन्, एक समय था जब भारतवर्ष के कुलपति और उपकुलपति हमारे विद्यालयों के आचार्य सरकार को बनाते थे। इस बात को इतिहास बतलाता है कि पहले हमारे विद्यालयों के आचार्य और विश्वविद्यालयों के आचार्य इतने अधिक माने जाते थे कि सरकार के मंत्री और मंत्रीगण उनसे सब प्रकार की सलाह लिया करते थे लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है आज की सरकार और विशेषकर हमारी प्रान्तीय सरकार यूनिवर्सिटी को और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक मैटर बनाना चाहती है और उनको स्वतंत्रता नहीं देना चाहती श्रीमन्, मैं आपके सामने राधाकृष्णन रिपोर्ट के कुछ उद्धरण रखना चाहता हूं जिसमें यह है कि—

"We must resist in the interests of our own democracy the trend towards governmental domination of the education process."

उन्होंने इस बात को महसूस किया कि सरकार की इस प्रकार की नीयत हो सकती है। शिक्षा-विचारकों का ऐसा विचार है कि सरकार ने जो चुनाव किया है उससे यह मालूम हो सकता है कि सरकार का इरादा उनको अपने नियन्त्रण में लाने का है। किसी सिद्धांत के रूप से नहीं बल्कि शासन प्रबंध के कारण वह अपने हाथ में उसको लेने का उसका ट्रेन्ड है और यह बहुत ही खतरनाक है। आगे चलकर उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि—

"Higher education is undoubtedly an obligation of the State but State aid is not to be confused with State control over academic policies and practices. Intellectual progress demands the maintenance of the spirit of free enquiry. The respect in which the Universities of Great Britain are held is due to the freedom from governmental interference which they enjoy constitutionally and actually. Our universities should be released from the controal of politics."

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस राधाकृष्णन रिपोर्ट का मैंने जिकर किया है उस कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई है वे सब क्यों माननीय मंत्री जी की आंखों से ओझल हो गईं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि राधाकृष्णन का जो कमीशन था उस की नियुक्ति सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा हुई थी, इतना ही मेरा अपराध था कि मैंने यह कहा था कि यह बिल इससे पहले इस लिये नहीं आ सका कि यहां पहले वह कमेटी मुकर्रर हो चुकी थी और फिर यह कमीशन नियुक्त हुआ था इसी कारण से जानबूझकर इस बिल को रोका गया था। परन्तु इस तरह से जो कहा जा रहा है कि मैंने यह नहीं पढ़ा और वह नहीं पढ़ा इससे हाउस का समय नष्ट किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, क्या इसी तरह के प्वाइंट आफ आर्डर हुआ करते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—आप भाषण जारी रखें जो। अनावश्यक चीजें हैं उन को जहां तक हो न कहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं चाहता हूं कि इसके लिये उचित व्यवस्था दी जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार के बेकार के प्वाइंट आफ आर्डर रेज न किये जायं।

श्री हरगोविन्द सिंह---जो कुछ श्रीमन्, मैंने कहा वह स्पष्ट नहीं हो सका। मैंने राधाकृष्नन् कमेटी की रिपोर्ट से कुछ नहीं कहा था और न कोई उद्धरण ही दिया था और न किसी सुझाव के बारे में ही कुछ कहा था। मेरे बारे में कहा जा रहा था कि यह चीज नहीं देखी वह चीज नहीं पढ़ी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह आक्षेप की बात है। मेरा कहा है यह कहकर भवन के सामने उद्धरण देना ठीक नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है या आप प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं? यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---मैं जरा सा अर्ज कर दूं कि प्वाइंट आफ आर्डर कब उठाया जाता है और कब नहीं उठाया जाता क्योंकि सदन को मालूम होगा कि इसी विषय को लेकर सदन में कई बार बवंडर खड़ा हो चुका है। अगर इसी तरह से मंत्री लोग पर्सनल एक्सप्लेनेशन देंगे और उसमें १५ १५ मिनट का समय लेंगे तो समय का बड़ा दुरुपयोग होगा।

श्री उपाध्याय---माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमान्, मैंने जरूर धृष्टता की कि माननीय मंत्री जी की सेवा में राधाकृष्नन कमेटी के उद्धरण रखे। यह उनकी इच्छा है कि वह उन को सुनें या न सुनें, उनको अंगीकार करें या न करें, परन्तु उनकी विद्वत्ता में जिसमें मैं कोई शंका नहीं करता अगर यही ठीक है कि वह उसको न मानें तो मैं इस में कोई ऐतराज नहीं करता। माननीय सदन का विशाल बहुमत अपने हृदय से इस से सहमत होगा जो मैंने निवेदन किया कि यूनिवर्सिटी एकनामी के बारे में और वाइस चांसलर की नियुक्ति के बारे में जो सिफ़ारिश है वह स्वीकार होनी चाहिये, क्योंकि केवल उस कमीशन ने ही नहीं बल्कि सम्पूर्णानन्द कमेटी ने भी इस संबंध में अपना विचार प्रकट किया है जब कि उस के सामने बहुत से गवाहों और विचारकों ने उसके सामने अपने सुझाव रखे कि वाइस चांसलर का नमांकन होना चाहिये। आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी रिपोर्ट के पेज १९१ पर कहा गया है कि--

"In our opinion these advantages are more than counter-balanced by the fact that the Vice-Chancellor so appointed will not fit in with the idea of an autonomous university. And unless he is armed with special powers over-riding the Executive Council, there will be endless possibilities of conflict."

यह नरेन्द्रदेव कमेटी की सिफ़ारिश है जिसका अभी माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया था कि वह भी रिपोर्ट बनी थी। मैं सम्पूर्णानन्द कमेटी का फैसला भी उनकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। आगे चलकर मैं फिर राधाकृष्नन कमीशन के पेज ४२२ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे लिये भविष्य के लिये भी चेतावनी होगी। उन्होंने कहा है कि इन दी स्टेट यूनिवर्सिटी :--

"In the State universities as it is, the Vice-Chancellor is externally appointed. After careful consideration we reject this idea. The feeling, in the first place is that a Vice-Chancellor for whose appointment the University is responsible will find it easier to gain the respect and confidence of his colleagues. Secondly, that it is really a part of the University's duty to learn how to choose its own Vice-Chancellor and that, therefore, to deprive it of its duty would be a counsel of despair."

श्रीमन्, राधाकृशनन् कमीशन की यह स्पष्ट राय है कि किसी भी हालत में वाइस चांसलर की नामजदगी नहीं होनी चाहिये। मेरी राय में वाइसचांसलर की टर्म १ साल बढ़ाना वर्तमान चांसलर को नामजद करना है। मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं कि आखिर वाइस चांसलर की नामजदगी से या १ साल उसकी अवधि बढ़ाने से हम आगरा यूनिवर्सिटी की कितनी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी में, जैसा कि मैंने देखा और जैसा कि कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है, एक पैक्ट है। वह वाइसचांसलर के चुनाव में बहुत दिलचस्पी लेता है। वह अपने मन के अनुसार वाइस चांसलर के उम्मीदवारों को खड़ा करता है इसलिये कि कुछ पोस्ट्स या कुछ एग्जामिनरशिप्स वगैरा मिल जावें। मैं माननीय मंत्री जी से यह बात जानना चाहता हूं कि वाइस चांसलर की अवधि बढ़ाने से क्या यह पैक्ट टूटता है नहीं टूटता है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को केवल सिद्धांतों पर ही भाषण करना चाहिये। इन छोटी छोटी बातों पर समय लेना उचित नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, श्रीमन्, मैं तो केवल एक सिद्धांत की ही बात कह रहा था कि मेरी दृष्टि में कौन सुधार इस बिल से हो सकते हैं। मैं कल्पना भी तो कर सकता हूं कि आखिर किन सुधारों को देखते हुये माननीय मंत्री जी यह विधेयक लाते हैं तो कुलपति के चुनाव में पैक्ट भी जरूरी था। कोई भी वाइस चांसलर का चुनाव बिना पैक्ट के नहीं हो सकता था। इसलिये मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं कि मैं २,४ मिनट में उस पैक्ट के बारे में अपनी राय बता सकूं।

मैं निवेदन कर रहा था कि यह पैक्ट क्या है जिसके अनुसार अब तक वाइस चांसलर का चुनाव होता रहा है। जो वहां के बड़े विद्वान हैं, या जिन्होंने वहां की सीनेट में भाग लिया है, उसका जिक्र पेज २९९ में इस प्रकार है --

"The party is territorial and professional. It is not a party in the correct sense of the word but a block, group or a pact; essentially it is a teachers' organisation with its headquarters at Rajputana."

तो इसमें यह स्पष्ट है कि राजपूताना और मध्य भारत के जो एफीलियेटेड कालेजेज हैं वहां के टीचर्स ने यह ख्याल किया कि हमारा अल्पमत है और अगर हम लोग एक होकर काम नहीं करेंगे तो आगरा यूनिवर्सिटी में हमारी पूछ नहीं होगी। इस ख्याल से उन्होंने यह निश्चय किया कि वे सब मिलकर एक ही उम्मीदवार को वोट दें। और इसलिये इस पैक्ट का समावेश हुआ। इस पैक्ट ने काम क्या किया? मध्य भारत और राजस्थान में यह पैक्ट क्या काम करता था? यह वहां की यूनिवर्सिटी या एफीलिएडेड कोलेजेज के वोटर्स और प्रिंसिपल्स से मिल कर अपने उम्मीदवार खड़ा करता था और उस ठहराव के अनुसार ही वह अपने कैन्डीडेट को सपोर्ट करता था। इस इतिहास को हमारे लिये जान लेना अत्यंत आवश्यक है। इसलिये अगर माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि हम आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में विचार करें तो वे हमको बतलायें की वहां की स्थिति क्या है और आगरा यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों में क्या परिवर्तन हुये हैं? क्या वह इस प्रकार का विधेयक लाकर आगरा यूनिवर्सिटी में जो पैक्ट है उसको तोड़ पायेंगे? विधेयक लाने के कुछ कारण होते हैं, कुछ प्रयोजन होते हैं, गोल बात नहीं होती अगर माननीय मंत्री जी कोहरे को बतला दें और कहें कि यह तो पहाड़ है तो उसको हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं। माननीय मंत्री जी साफ बतलायें कि कठिनाई क्या है? इस चुनाव का क्या असर पड़ेगा? पैक्ट कहां तक टूट सकेगा? चुनाव प्रणाली में कितना बदलाव होगा? मैं समझता हूं कि कोई स्पष्ट प्रभाव इन बातों से पड़ने वाला नहीं है चाहे सरकार नामांकन करे या सरकार द्वारा अवधि बढ़ा दी जाय। और जो गोल बात कह कर हमें समझाया जाता है तो हम उस कुहरे को पहाड़ नहीं कह सकते। संपूर्णानन्द

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि वहां पर दलबंदी है। संपूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ ३०९ पर यह लिखा हुआ है कि।

"There is a gang of inter-university crooks which helps and maintains the activities of these parties in every University."

पेज ३०८ पर यह लिखा हुआ है --

"Not some but most elections are done on party lines in all the three Universities."

पेज ३०७ पर यह लिखा हुआ है --

"Its evil effects were first noticed at Agra but they no doubt exist in far more aggravated form at Lucknow and Allahabad."

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जिस पार्टीबन्दी को वे तोड़ना चाहते हैं, वाइस चांसलर का जो वह सुधार करना चाहते हैं, वह उसी यूनिवर्सिटी में ही नहीं है बल्कि प्रांत की हर यूनिवर्सिटी में वह मौजूद है, यह संपूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है और गवाहों के जो बयान हैं उनमें साफ बताया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो सक्रिय कदम आप आगरा यूनिवर्सिटी के लिये उठाना चाहते हैं क्या उसी प्रकार का कोई कदम आप इलाहाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटीज के लिये भी उठा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष---आप अपनी बहस को आगरा यूनिवर्सिटी तक ही महदूद रखिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह तो मैंने केवल एक बात कही। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा वे आगरा यूनिवर्सिटी को क्या रूप देना चाहते हैं। हम रोजाना सुनते हैं कि हायर एजूकेशन क्लर्कों के बनाने की एक फ़ैक्टरी है, हम अखबारों में यह भी पढ़ते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज को आश्रम होना चाहिये, हमारी यूनिवर्सिटीज रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ाने वाली संस्थायें होनी चाहियें। तो बजाय इसके कि माननीय मंत्री जी यह प्रयत्न करें कि वाइस चांसलर कौन होगा, या रोजाना के शासन प्रबंध में दस्तंदाजी करें, उन्हें उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिये। अगर सरकार यह सोचे कि यूनिवर्सिटीज किन सिद्धांतों पर बनाई जायंगी तो जनता की वे ज्यादा सेवा कर सकेंगे, अपने देश और प्रदेश की ज्यादा सेवा हो सकेगी।

लेकिन यह रोजाना की पार्टी बन्दी में शिक्षा को स्वस्थ बनाने का लक्ष्य नहीं सफल होता है क्योंकि जब सरकार पार्टीबाजी में हिस्सा लेने लगती है तो एक बहुत ही बुरा नकशा हमारे सामने आ जाता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी की इच्छा है और सरकार चाहती है कि वह पार्टीबाजी में न पड़ें लेकिन उससे लोग मतलब क्या निकाल सकते हैं। इससे आगरा यूनिवर्सिटी में ही क्या मतलब निकाला जा सकता है कि सरकार मेजारिटी का साथ न दे कर वहां की माइनारिटी को बैकअप करने के लिये यह सब कर रही है। ऐसा विश्वास हो सकता है। हमें चाहे न हो लेकिन प्रांतीय जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है। क्या इस प्रकार के विधेयक लाने से वह गलतफहमी पुष्ट नहीं होती है? होती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा मैं माननीय मंत्री जी की नियत पर कोई शंका नहीं करता और मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इसे स्वयं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी वहां सुधार करना चाहते हैं और यह चाहते कि हमारी यूनिवर्सिटीज अपने लक्ष्य में पूर्ण हो सकें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारे पास नरेन्द्रदेव, सम्पूर्णानन्द कमेटी और राधाकृष्णन कमेटी के अलावा और कोई ऐसी

कमेटी नहीं है जिसकी सिफारिश के अनुसार काम करें और उन्होंने बार-बार यह जोर दिया है कि यूनिवर्सिटियों के स्वायत्त शासन में कोई दखलंदाजी सरकार को नहीं करना चाहिये। श्रीमन्, जब हम इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो इंग्लैन्ड में सम्राट् जैम्स ने जब आक्फोर्ड यूनिवर्सिटी में दखलंदाजी करना शुरू कर दिया तभी इंगलैंड में सिविल वार शुरू हुआ। वहां पर क्रांति और गृहयुद्ध के सूत्रपात केवल इसीलिये हुये। उसका जो प्रमुख कारण था वह यही था कि उसने आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शासनप्रबंध में दखलंदाजी शुरू की। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिये और कम से कम सदन के हर एक मेम्बरों को इन सभी प्रश्नों पर विचार करना चाहिये कि कहीं पर किसी भी विद्वान को, किसी भी प्रोफेसर को, किसी भी सच्चे कार्यकर्ता को इस प्रकार की गलतफहमी न हो कि सरकार अन्ततः यूनिवर्सिटी को भी अपना एक डिपार्टमेंट बनाना चाहती है। किसी प्रकार से भी यह भावना पैदा होने नहीं देना चाहिये।

श्रीमन्, अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि यूनिवर्सिटी के बारे में एक कहावत मशहूर है। कि इंग्लैंड में हैरो कालेज था और इंग्लैंड में बहुत से कालेजेज पास पास थे। तो एक साहब साइकिल पर जाने लगे। उन्होंने कालेज देखा तो नहीं था कि कैसा है। वे चलते चले गये और हैरो कालेज से दो मील आगे बढ़ गये। दो मील आगे जाकर उन्होंने एक विद्यार्थी से कहा कि हैरो कालेज की बिल्डिंग कहां है। उस विद्यार्थी ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में उनको जवाब दिया कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वहां से तो हैरो २४९९८ मील दूर है लेकिन अगर आप बिलकुल ठीक पीछे मुड़ जाइये जिधर से आ रहे हैं तो कालेज केवल दो मील दूर है। उसी प्रकार मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिये, विश्वविद्यालयों के नवनिर्माण के लिये जिस मार्ग पर आपने आज कदम बढ़ाया है हो सकता है कि उस रास्ते से कुछ सुधार हो जाय लेकिन उत्तरी ध्रुव तक भी यदि आप चले चलेंगे तो भी उस रास्ते से पार्टीबन्दियां बढ़ेंगे, दलबन्दी बढ़ेगी, और जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं वह नाकामयाब होगा। इसलिये आप अपने ऐसे कदमों को वापस लें जिससे यूनिवर्सिटी के स्वायत्त शासन के कार्य में कोई दखलंदाजी न हो और सही प्रेरणा दें और सही मार्ग की ओर उनको प्रेरित करें। अगर हम उन्हीं मार्गों पर जिनका निर्देशन नरेन्द्रदेव सम्पूर्णानन्द कमेटी और राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्टों में है उन मार्गों के अनुसार प्रयत्न करें तो मुझे विश्वास है कि हमारी यूनिवर्सिटियों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। संसार के मशहूर विचारक 'गोथे' ने जैसे कहा था कि मुझे और प्रकाश दो।"

वीर 'अजेक्स' जिस समय ग्रीस में मैदान में जा रहा था तो कहा कि "अगर मेरी मृत्यु होती है तो मेरी मृत्यु प्रकाश में हो ताकि मृत्यु के बाद भी प्रकाश के संसार में जाऊं।' यही प्रवृत्ति सदन की है और शायद माननीय मंत्री जी की भी। तो इस प्रकाश माध्यम को, विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा के माध्यम को देखते हुये उनके रोजाना के शासन प्रबंध में दखल न दे कर, अगर उनको उच्च वातावरण के अनुकूल बना सकें तभी हम को सफलता मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को वापस लें और एक नया विधेयक सदन के सामने लायें जिस के द्वारा आगरा यूनिवर्सिटी का ही नहीं इस प्रांत की यूनिवर्सिटियों का ही नहीं, बल्कि सारे देश की युनिवर्सिटियों को एक नया नेतृत्व मिल सके और हम माननीय मंत्री जी के शासन काल की, सच्चे शब्दों में और उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा कर सकें।

श्री शिवनाथ काटजू—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटा सा विधेयक हमारे सदन के सामने है और इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि उपकुलपति का टर्म कुछ

[श्री शिवनाथ काटजू]

बढ़ा दिया जाय। यह मैं मानता हूं कि इसके ऊपर कुछ सिद्धांतों का संघर्ष है और कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर प्रकाश डाला ही जायगा और उसके ऊपर रोक लगाना भी उचित नहीं था। अगर सिर्फ प्रश्न यही होता कि साल भर उपकुलपति का टर्म बढ़ाया जाय या न बढ़ाया जाय तो जो हमारे सामने समस्या थी सम्भवतः कुछ सीमित होती। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इसके पीछे कुछ सिद्धांतों का भी प्रवेश हो जाता है। यह विरोध की तरफ से कहा गया है कि विश्वविद्यालय में स्टेट कंट्रोल नहीं होना चाहिये और जहां तक स्टेट कंट्रोल का संबंध है मेरा अपना विचार है कि कोई भी आज यह कहने को तैयार नहीं है कि हमारे विश्वविद्यालय सरकार के एक विभाग की तरह से चलाये जायं। उस पर किसी को मतभेद नहीं है। मेरे ख्याल में सरकार का भी यह विचार नहीं है कि हमारे विश्वविद्यालय उसी तरह से चलाये जायं, जिस तरह से कि सरकारी स्कूल और इन्टरमीडियट कालेज चलाये जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यह सवाल आ जाता है कि आटोनामी का क्या अर्थ है। मेरे विरोधी दल के माननीय सदस्य ने अभी इसके ऊपर काफी टीका की। यह भी मानना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय के संगठन में और उसके कार्यक्रम में आटोनामी रहनी चाहिये और गालिबन रहेगी और उस पर भी प्रान्तीय सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार नहीं है। लेकिन आटोनामी के अर्थ क्या हैं। मैं अपने मित्र विरोधी दल के माननीय सदस्य से उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा पूछूंगा कि वह आटोनामी के क्या अर्थ लगाते हैं। अगर आटोनामी के अर्थ यह हैं कि विश्वविद्यालयों में जो कुछ खराबियां हैं वह जारी रहें, और कोई न बोले, अधिकारों का दुरुपयोग हो जिसको नैपोटिज्म कहा जाता है वह हो, करप्शन हो और कोई न बोले और हस्तक्षेप करने के लिये न कहे और इसलिये उसपर रोक लगायी जाय। इसके कहने से विश्वविद्यालय की आटोनामी पर हस्तक्षेप होता है तो मेरे ख्याल में आटोनामी का अर्थ यह नहीं है।

अभी मेरे मित्र ने नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट में से काफी पढ़ा। वह और गहराई से पढ़ेंगे तो वहां यह भी लिखा हुआ है कि एक स्थिति आ जाती है कि सरकार बाध्य हो जाती है उसी उद्देश्य की रक्षा के लिये जिसके लिये कि यूनिवर्सिटियां बनी हैं, हस्तक्षेप करने के लिये और उस हस्तक्षेप का मतलब यह नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी को छेड़ा जा रहा है। नरेन्द्रदेव कमेटी जिस उद्देश्य के लिये बनी थी उसका अर्थ ही यही है कि वहां कुछ गड़बड़ी थी। आज प्रयाग में मथुरा कमेटी की इंक्वायरी हो रही है। थोड़े दिनों में उसकी रिपोर्ट आ जायगी। पिछले साल काशी विश्वविद्यालय में एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी थी। श्रीमन्, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज विश्वविद्यालयों का नियंत्रण, वहां जो कुछ हो रहा है वह केवल उस विश्वविद्यालय के अध्यापक या वहां के सदस्य या वहां के मेम्बरों में ही सीमित नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या है। आज हमारे विश्वविद्यालय एक विशेष स्थान रखते हैं। आज हमारे सामने जिस भविष्य के निर्माण करने का चित्र है उसमें विश्वविद्यालयों का प्रमुख स्थान है। विश्वविद्यालयों में अगर ऐसा वातावरण हो जिससे उन उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार की रुकावट पड़ती हो, चाहे वह प्रांतीय सरकार हो या केन्द्रीय सरकार हो, उसका कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उन रुकावटों को दूर करे और उन बातों को हटाये। अगर विरोधी दल इन समस्याओं से अपनी आंखें बन्द करता है और केवल विरोध की नीति को धारण करके, उससे आंख बन्द करके यह कहे कि नहीं, हमारी यूनिवर्सिटियों में कोई खराबी नहीं है, वह तो बिल्कुल ठीक चल रही हैं, वहां की परिस्थिति बहुत ही आनन्दमयी है। तो श्रीमन्, मैं उनसे कहूंगा कि आप वास्तविकता से बहुत दूर हैं और अगर केवल रिपोर्टों में ही आप चले गये तो उनकी अंधेरी गलियों में ही पड़े रहेंगे और जो कुछ आज हो रहा है उसे आप भूल जायेंगे।

आज हमारे विश्वविद्यालयों में उस शांत वातावरण की कमी हो रही है जिसमें विद्यार्थियों को पलना चाहिये, जहां विद्या और विद्याध्ययन के लिये किसी प्रकार

की रुकावटें विद्वानों के सामने न हों। श्रीमान् मैं एक अनुभव के साथ कह रहा हूं, क्योंकि चार वर्ष से मैं एक विश्वविद्यालय का अध्यापक भी हूं। मुझे वहां की परिस्थितियों का भी कुछ थोड़ा सा ज्ञान है और मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि आज बहुत से ऐसे विश्वविद्यालयों के अध्यापक जिनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि जो पढ़ना चाहते हैं, जो अकैडेमिक माइंडेड हैं, आज उनको यह खटका लग रहा है कि कल अगर कोई रीडरशीप की जगह खाली होगी या प्रोफेसरशिप की खाली होगी तो हमको नहीं दी जायगी बल्कि जो मैजारिटी पार्टी है, उस पार्टी की कृपा कटाक्ष उन पर नहीं है, तो सम्भवतः उनकी हकतलफी की जायगी और दूसरे आदमी जो उनसे कम क्वालिफीकेशन के हैं वह उन पर लाद दिये जायेंगे। और अगर विरोधी दल यह कहता है कि ऐसी बातें नहीं हैं तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उनसे कहूंगा कि जरा देखें कि क्या हो रहा है और इसका असर जिस प्रकार की पार्टीबन्दी और दलबन्दी आज हमारी युनिवर्सिटीज में हैं उनका असर जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके ऊपर पड़ रहा है और मेरा तो अपना विश्वास है कि जो आज इंडिसिप्लिन या जो कुछ खराबियां हमारे विद्यार्थियों में दिखाई पड़ती हैं और जिसका कभी कभी दिग्दर्शन झगड़ों और फसादों में सामने आता है उसकी जिम्मेदारी भी एक खास हद तक उन लोगों के ऊपर है जो आज युनिवर्सिटी को चला रहे हैं। अगर विरोधी दल यह कहता है कि यह सब बातें जारी रहें, यह सब बातें हों लेकिन आटोनामी के नाम पर किसी प्रकार की दखलंदाजी न की जाय और गवर्नमेंट चुप रहे तो श्रीमन्, जनता की तरफ से यह पुकार होगी कि इन खराबियों को दूर किया जाय। आखिर सरकार कौन है। हम जो यहां बैठे हुये हैं हम कहीं आसमान से तो टपके नहीं। हम भी जनता की अवाज लेकर आये हैं और अगर हमारे भाई जो उस तरफ बैठे हुये हैं वह आज जनता की मांग को सुनते हुये उन खराबियों को दूर करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कहा जायगा कि यह युनिवर्सिटी की आटोनामी को डिस्टर्ब किया गया। उसी नरेन्द्रदेव कमेटी में भी यह स्पष्ट लिखा हुआ है, मेरे मित्र मुझसे कहेंगे कि कौन से पृष्ठ पर है तो मैं पृष्ठ तो नहीं बतला सकूंगा लेकिन है उसी रिपोर्ट में। वहां यही समस्या आई और उस समस्या पर नरेन्द्रदेव कमेटी ने विचार किया और वहां यह प्रश्न उठा कि आटोनामी को कहां तक छेड़ा जा सकता है। रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि जनतंत्र में जहां जनता अपने वोट से सरकार को चुनती है तो उस सरकार को जनता की चुनी हुई सरकार को अधिकार हो जाता है कि उन संस्थाओं में जो कि प्रांत में हों या देश में हों और जहां अपने अधिकारों के अन्दर उनकी आटोनामी हो और वह आटोनामी ठीक तरीके से नहीं चलाई जा रही है तो जनता की सरकार को यह अधिकार हो जाता है कि वह हस्तक्षेप करे और उन खराबियों को दूर करे। आप देखते हैं कि हमारे विधान के अन्दर सरकार को अधिकार है कि म्युनिसिपिल कारपोरेशन अगर ठीक तरह से न चलें तो वह सस्पेंड किये जा सकते हैं। आज भी आप को बहुत जगह ऐसी मिसालें मिलेंगी। अगर हमारी प्रांतीय सरकार में भी कुछ बाधा है तो हमारे विधान के अन्दर आज प्रेसीडेंट को, राष्ट्रपति को यह अख्तियार है कि वह कांस्टीट्यूशन को सस्पेंड करें। तो वह यह नहीं कहा जायगा कि आटोनामी को छेड़ा गया। यह तो एक खास खराबी को दूर करने के लिये कदम उठाया जायगा और उठाया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य होता है हमारे अधिकांश मित्र यहां बैठे हुये हैं, उनको, सबको यह अनुभव हुआ होगा कि हमारी जनता जिसमें बहुत से अनपढ़ हैं जिसमें पढ़े भी शामिल थे, स्त्रियां भी शामिल थीं, अपने वैधानिक अधिकार का उपयोग करने के लिये वह आठ आठ दस दस मील चलकर वोट देने के लिये आये और उन्होंने वोट दिया। मैं आश्चर्य से यह कहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालयों में जहां के वोटर्स सब रजिस्टर्ड ग्रेज्युएट्स थे, इससे बढ़कर पढ़े लिखे वोटर्स अपको नहीं मिलेंगे इससे ज्यादा इनलाइटेंड कांस्टीच्युएंसी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वहां क्या हाल है। कि एक काफी हिस्सा ऐसा है जो टेस्ट कराने के झगड़े से अपने आप को बचाने के लिये या बैलेटपेपर को रजिस्ट्री द्वारा भेजने की जहमत से बचाने के लिये ऐसा करता

[श्री शिवनाथ काटजू]

है कि जो आदमी सामने आया उसको अपना बैलेट पेपर दे दिया और उसने बैलेट पेपर में खाना पुरी करके भेज दिया। मैं यह कहूंगा कि अगर विरोधी दल ऐसे एनलाइटेंड एलेक्टर से यह कहे कि आप को अपने अधिकारों को अच्छी तरह से चलाना चाहिये तो ज्यादा उचित होगा और संभव है कि यूनिवर्सिटी की बहुत सारी खराबियां दूर हो जायं। लेकिन आज अनुभव यही कहता है और तजुर्बा यही है कि बहुत सारे रजिस्टर्ड ग्रेजुएट अपने आप को जहमत से बचाने के लिये ऐसा करते हैं और कुछ लोग जिनके पास वक्त है जिनको पार्टी बन्दी का तजुर्बा है, वे अपने आदमी भेजते हैं और वे लोग जाते हैं जिलों में और खाली बैलट पेपर बटोर कर लाते हैं और इसी तरह से मेजारिटीज और माइनारिटीज बनती हैं। आज यूनिवर्सिटीज में जो खराबियां हैं उनको दूर करने का प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय प्रश्न है। अगर हमारी यूनिवर्सिटियां उन्नतमुखी नहीं होतीं और इसी प्रकार पतन की ओर जायंगी तो हमारे नवयुवक जिनसे हमें बड़ी आशायें हैं, उनको यूनिवर्सिटी से कितना लाभ होगा यह स्वयं अनुभव किया जा सकता है। हमारे सामने जो विधेयक है जैसा कि मैंने अभी कहा उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि उपकुलपति की अवधि को एक साल बढ़ा दिया जाय। विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने यह कहा कि सरकार ने यह नहीं बताया कि कौन सी कठिनाइयां थीं जिन को दूर करने के लिये उपकुलपति की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। स्पष्ट है कि कठिनाइयां ऐसी नहीं हैं जिन को यह कहा जाय कि उन कठिनाइयों को दूर नहीं किया जा सकता लेकिन जिसको अंग्रेजी में बैलेंस आफ कांविनिएंस कहते हैं वही यहां सामने आ जाता है। अगर हमारे सामने सरकार एक विधेयक ला रही है जिस के अन्दर आगरा यूनिवर्सिटी के संगठन में कुछ परिवर्तन किया जायगा, तो यदि सरकार समझती है कि उचित यही होगा कि अगला चुनाव नये विधान के अन्तर्गत हो और पिछले चुनाव के अनुसार उपकुलपति चुने गये वे साल भर और रहें, तो इसमें कौन सी खराबी है, कौन सी इमारत ढह जायगी, कौन सा वैधानिक संकट आ जायगा कि जिन संकटों को देखते हुये, और प्रश्नों को देखते हुये मेरे माननीय मित्र ने एक घंटे तक हम लोगों के सामने अपने विचारों को रखा। एक छोटी सी बात है, सरकार समझती है और मेरे ख्याल में उचित भी है कि जब एक नया विधान सामने आ रहा है तो यह एलेक्शन जिसके लिये मेरे माननीय मित्र ने कहा कि एलेक्शन में क्या रखा है, मेरे माननीय मित्र को मालूम होना चाहिये कि एलेक्शन की ट्रेनिंग तो पांच वर्ष पहले से होती है और एलेक्शन के लिये इस प्रकार से उथलपुथल हो जाती है, तो अगर उस उथल पुथल से आगरा यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत कालेजों की रक्षा की जाय और कुलपति की अवधि को एक साल बढ़ा दिया जाय तो इसमें कोई खराबी नहीं है बल्कि अच्छाई है। इन बातों को देखते हुये मैं इस विधेयक का समर्थन करताहूं और आशा करता हूं कि भविष्य में जब बड़ा विधेयक आयेगा तो उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी और सरकार इस पर पूर्ण विचार रखेंगे कि भारत का जनतंत्र यह चाहता है कि हमारे विश्वविद्यालय स्वतंत्र रूप से चलें उनमें स्टेट कंट्रोल न हो और विधेयक का तात्पर्य केवल इतना ही रहेगा कि जो खराबियां आज कल यूनिवर्सिटीज में आ गई हैं उनको दूर किया जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो दो ही भाषण हुये हैं इतने बड़े बिल पर और अभी समय भी ज्यादा नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---इसीलिये सदन की राय ले लेना चाहता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—सदन की राय तो विरोध में ही जायगी लेकिन अभी तो दो ही भाषण हुये हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—यह तो महज छोटा सा बिल है । इस पर बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, प्रार्थना यह है कि जब बहुमत दल विरोधी दल के अधिकारों का हरण करता हो अपने बहुमत के जोर से तो आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिये और मेरी प्रार्थना है कि अभी इस प्रश्न को उपस्थित न करें।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा, श्री मदनमोहन जी को बोलने का और मौका देता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि आज दो भाषणों के बाद ही इधर से क्लोजर मूव कर दिया गया और इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिस पर अभी इस सदन में बहुत कम बहस हुई है। माननीय सदस्य जो इलाहाबाद से आये हैं उन्होंने कम से कम इस बिल के यहां आ जाने से एक हमें सलाह दी कि विरोधी दल वाले उन ग्रेजुएट्स को अभी सिखायें कि कैसे उन्हें वोट देना चाहिये जिसका कि इस बिल से कोई भी संबंध नहीं था। और अगर हम सचमुच में ग्रेजुएट्स को यह सिखायें कि अपने वोटों को कैसे देना चाहिये तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पक्का विश्वास है कि कोई कांग्रेसवाला यहां कम से कम उस सीट से तो चुन कर नहीं आ सकता है। माननीय सदस्य इलाहाबाद ने कहा कि हम मानते हैं कि यूनिवर्सिटीज में आटोनामी हो, कौन ऐसा है जो आज यह कहता है कि यूनिवर्सिटीज में आटोनामी न हो। पर उसके बाद ही उन्होंने यह कह दिया कि साहब, यूनिवर्सिटी में तो बड़ी भारी गड़बड़ है, अगर इस गड़बड़ को दूर नहीं किया जायगा तो हम अपना पूरा फ़र्ज अदा न करेंगे। एक छोटे से बिल को लेकर जिसको छोटा कहा जा रहा है जिसके अनुसार केवल ३१ दिसम्बर, १९५३ तक मियाद बढ़ायी जा रही है, कितना छोटा है, लेकिन उसमें जो बातें भरी हुई हैं जिसके बारे में कहा जा रहा कि आगरा यूनिवर्सिटी में गड़बड़ है जिसमें अगर दखल नहीं दिया गया तो बड़ा गजब हो जायगा, गवर्नमेंट को दखल देना चाहिये, उसका कोई अमेंडिंग बिल आज इस सदन के सामने नहीं आया ।

श्री हरगोविन्द सिंह—यही तो नारायणदत्त जी ने समझाया ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं यह नहीं कहता हूं कि जिसने भी समझाया हो। आज जब हम यह जानना चाहते हैं कि चुनाव १२ दिसम्बर तक हुये क्यों नहीं, तो क्या रात को ही हमारे माननीय मंत्री जी ने कोई सपना देखा कि आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का चुनाव एक आर्डिनेंस लागू करके एक साल के लिये मुल्तवी करो?

अगर किसी वाइस चांसलर का चुनाव हो गया होता १२ तारीख को तो जैसा कि हमारे इलाहाबाद के सदस्य ने कहा कि प्रलय हो जाती और बड़ा जुल्म हो जाता। क्या जरूरत पड़ी थी कि जब इसके चुनाव का समय होने को आगया था तो फिर चुनाव क्यों नहीं किया गया और क्यों एक साल की मियाद बढ़ा दी गई। यह इस लिये किया गया उपाध्यक्ष महोदय कि दुनियां को यह दिखाने के लिये कि हम भी वाइस चांसलर के अप्वाइंटमेंट में दखल रखते हैं और जिसको हम चाहेंगे उसको बना सकते हैं। जो आजकल हमारे चांसलर हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है जिसके बारे में इलाहाबाद के माननीय सदस्य ने भी कहा है । अगर यह बात सच है और आगरा यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी है, करप्शन है और पार्टी पोलिटिक्स है

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

तो मैं समझता हूं कि वाइस चांसलर जिनके जमाने में यह सब गड़बड़ी हुई है उनको एक साल की मियाद और देना कहां तक ठीक है। उनको क्यों मियाद दी जा रही है। ऐसे लोगों को तो हटाया जाना चाहिये था। आप ऐसे आर्डिनेंस लाइये और दूसरे आदमी का अप्वाइंटमेंट करिये। आज तो गवर्नमेंट ने उसी आदमी को रखा है जिसके बारे में कहा जाता है कि आगरा यूनिवर्सिटी में करप्शन है, गड़बड़ी है, वहां का स्टैन्डर्ड बहुत गिर गया है।

मुझे तो बड़ा दुःख हुआ और मैं तो आशा करता था कि हमारे परिपूर्णानन्द जी भी कुछ जरूर कहेंगे जिन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में काफी कहा है। मैं उनकी बात सुनना चाहता था। शायद जब बड़ा बिल आयगा तब वह उस पर बोलेंगे। लेकिन कब तक वह रुके रहेंगे। हम कहेंगे तो उन्हें जोश आयगा ही। लेकिन क्योंकि क्लोज़र मूव हो गया है। इसलिये हमें डर है। फिर भी मैं माननीय उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि श्री परिपूर्णानन्द जी अवश्य अपनी राय इस पर दे दें।

हमारे कुछ मित्रों ने हमें बतलाया कि हमारी खुशकिस्मती है कि आज आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इसी विधान सभा के सदस्य हैं और कांग्रेस टिकट पर हैं नहीं तो उनको मियाद क्यों मिलती। अगर नहीं होते तो न जाने कब के निकाल दिये गये होते। गड़बड़ी उन्हीं के वक्त में हुई है और उनको रखना भी जरूरी है क्योंकि वह निकाल न दिये जायं और आगे भी ऐसी स्कीम बनेगी कि वह हमेशा के लिये वहां पर कायम रहें। इसीलिये आज वायस चांसलर के चुनाव को पोस्टपोन किया गया। आज जो बातें भी माननीय सदस्य इलाहाबाद ने कहीं मैं उन सबसे सहमत हूं सिर्फ इस बात को छोड़कर कि विरोधी दल फिजूल समय बर्बाद करने के लिये कुछ न कुछ कह रहा है। मैं बतलाने जा रहा हूं। कि मंत्री जी जब बिल बनायेंगे तो उसमें काफी सोचने विचारने का मौका मिलेगा। लेकिन वह इस बात का ख्याल रखें कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी कायम रहे। यह न हो कि जैसा कि यहां बहुमत है उसी का आदमी वहां भी मुकर्रर कर दिया जाय।

कुछ सदस्य---बनारस में क्या है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---इसी लिये मैं कहता हूं क्योंकि वहां की यूनिवर्सिटी आपके कब्जे के बाहर थी। अगर वह आपके कब्जे में होती तो वहां आप यही करते और अलीगढ़ में भी आप कुछ न कर सके। अगर वह यूनिवर्सिटी आपके हाथ में होती तो आप अवश्य करते। लेकिन खैर जो कुछ भी हो। हम समझते हैं कि जिस प्रकार से हम चाहते थे कि आगरा यूनिवर्सिटी के अन्दर क्या कारण है। जैसा कि बिल के उद्देश्य में है कि---

"The working of the Agra University Act during the last few years has disclosed several difficulties."

डिफिकल्टीज के बारे में इस सदन में कुछ नहीं कहा वाइस चांसलर का चुनाव जिस तरीके से होता है वह गलत है अगर इस पर कुछ प्रकाश डाला जाता कि इस कारण से चुनाव एक साल के लिये रोक दिया गया है तो बात समझ में आती। आगे कहते हैं---

"A fresh election of Vice-Chancellor at a time when extensive amendments in the main Act are in contemplation is likely to cause various difficulties."

क्या डिफिकल्टीज हो जातीं। मान लीजिये कि आज जो वर्तमान वाइस चांसलर हैं उनके स्थान पर दूसरे वाइस चांसलर हो जायं तो क्या डिफिकल्टीज एराइज होंगी इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया। अगर वह इसको समझा देते कि ये कारण थे, यही कहते कि हमारी पार्टी का वाइस चांसलर नहीं रहेगा तो उसे भी हम मान लेते।

साल भर का और उनको मौका दिया जा रहा है ताकि वह अपनी पार्टी मजबूत कर लें। अगर ऐसा भी वह कुछ बतलाते कि ये डिफिकल्टीज हैं और इसी से एक साल तक चुनाव रोका जा रहा है तो हम उसको मान लेते। यह बहुत छोटी चीज है। इसके लिये आर्डिनेंस निकला, इसके लिये काफी बहस हुई लेकिन जिस उद्देश्य से इसको किया गया है उसकी झलक तक हमारे सामने नहीं आई। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत समय न ले कर और उन सब बातों को न दोहरा कर जिनको कि माननीय नारायणदत्त और शिवनारायण जी ने अपने भाषणों में कह दी हैं, मैं सिर्फ इस बात को जरा माननीय मंत्री से फिर पूछना चाहूंगा कि वह आखिर में अपनी डिफिकल्टीज बतलायेंगे जो अगर वाइस चांसलर का चुनाव करा लिया जाता तो उनके सामने आतीं। यह मैं मानता हूं कि बहुमत आपके साथ है। आप इसे पास तो करवा ही लेंगे। जहां तक आगरा यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटीज की खराबियों का ताल्लुक है जब बड़ा बिल आयेगा उस वक्त उन पर जो कहना होगा कहूंगा। आज इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष ने मुझे इस पर कुछ कहने का अवसर दिया, लेकिन मैं फिर आशा करूंगा कि माननीय परिपूर्णानन्द जी भी इस पर अवश्य प्रकाश डालेंगे।

श्री निहालुद्दीन (जिला बदायूं)—जनाबे सदर, आज का बिल ऐसा था कि जिसमें जज़बाती तकरीरें होने की ज़रूरत नहीं थी मगर मालूम ऐसा होता है कि जो पहलू मौजूदा गुफ्तगू का आज रहा उसमें किसी कदर जजबात का माद्दा जायद रहा। बातें दो हैं इस बिल में गौर करने के लिये। पहली यह कि आया इस भवन को युनिवर्सिटी बिल को अमेंड करने का अख्तियार है या नहीं। दूसरा सवाल यह है कि आया अख्तियार है तो जरूरत इस वक्त ऐसी है या नहीं कि दफा ९ जो आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट की है उसको तरमीम किया जाय और तरमीम ऐसी हो कि १ साल के लिये वाइस चांसलर का इन्तखाब न हो। मैं निहायत सफाई से अर्ज करूंगा कि मेरे नजदीक इस विधान को आगरा युनिवर्सिटी ऐक्ट में तरमीम या नया ऐक्ट बनाने का अख्तियार नहीं है। कांस्टीटयूशन की दफा ८ में जो दिया हुआ है—

"Co-ordination and determination of the standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions."

श्री हरगोविन्द सिंह—प्वाइंट आफ आर्डर, चूंकि चेयर की इस पर रूलिंग हो चुकी है इसलिये इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती कि आया यह सदन इस विधान को बना सकता या नहीं।

श्री निहालुद्दीन—मेरे दजदीक रूलिंग इस बात पर हुई कि आया यह बिल इस हाउस के जेरेगौर आ सकता है या नहीं। मगर इस बात पर चेयर की रूलिंग न हो सकती है और न हुई है कि हमारे अख्तियारात कांस्टीटयूशन के अंदर क्या हैं और आया हम उन अख्तियारात को किसी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। रूलिंग सिर्फ इस बात पर हो चुकी है कि यह विधान सदन के सामने ग़ौर के लिये आ सकता है। इस चीज के मुताल्लिक मुझे अर्ज करना नहीं है। मैं तो भवन की तवज्जह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारा काम बड़ी ज़िम्मेदारी का है और जिस पहलू को मैं हाउस के सामने अर्ज करना चाहता हूं अगर उस पर अच्छी तरह से गौर नहीं किया गया तो यकीन मानिये कि हाई कोर्ट के सामने यह कानून जाकर अल्ट्रा वायरस हो सकता है। शिडयूल ७ कांस्टीटयूशन जो है उसके आइटम १, २ और ३ को आप पढ़ें और देखें कि आया उस लिस्ट के मुताबिक यह लेजिस्लेशन होने जा रहा है या नहीं। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि और अपने साथियों की तवज्जह इस तरफ दिलाऊंगा कि मौजूदा बिलशेडयूल ७ की मद ६६ के मातहत आता है—

"co-ordination and determination of standards."

श्री व्रजभूषण मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्वाइंट आफ़ आर्डर उठाया गया था मैं उसके ऊपर आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसको सुनना चाहिये।

श्री निहालुद्दीन—जो कुछ मैं अर्ज करने जा रहा हूं अगर उसके सुनने में थोड़ासा दिमाग को इस्तेमाल किया जाय तो कोई नुकसान नहीं है। मद ६६ के मुताबिक यह लेजिस्लेशन होने जा रहा है। मेरा मतलब यह है कि कोआर्डिनेशन एण्ड डिटर्मिनेशन आगरा युनिवर्सिटी सिर्फ चन्द मजामीन में इम्तहान लेकर कुछ स्टैंडर्ड कायम करती है जिनको यूनीवर्सिटी के बाहर माना जाता है। अलावा इसके इसका काम रिसर्च और टेक्निकल तालीम देने का है। टेक्निकल मैंने इस बुनियाद पर कहा कि वहां पर मेडिकल फैकल्टी भी है। अगर हम पब्लिक के लिये कोई लेजिस्लेशन उसकी बाबत बनाने जा रहे हैं तो हमको शिडियूल ७ की लिस्ट १ दफा ६६ को सामने रखना चाहिये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस ऐक्ट को पढ़ने से यह बिल्कुल साफ़ है कि आगरा युनिवर्सिटी का जो ऐक्ट है वह कोआर्डिनेशन और डिटर्मिनेशन के लिये है किसी हायर एजुकेशन के लिये नहीं है।

इसके बाद दूसरा पहलू जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि आया मौजूदा बिल में कोई तरमीम करना मुनासिबत है या नहीं। आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, सन् १९२६ में पहली मर्तबा बना था और वक्तनफ़वक्तन उसमें तरमीम हुई जो आप आज युनिवर्सिटी कलेंडर में पावेंगे और यह सब उस वक्त हुआ जब कि मौजूदा विधान नहीं बना था। अब विधान बनने के बाद अगर आप ऐक्ट को तरमीम करें या उसकी किसी दफ़ा या मद को तरमीम करें तो आपको देखना होगा कि आपको तरमीम करने का अख्तियार है या नहीं। सूबे उत्तर प्रदेश के लिये यह हाउस कानून बना सकता है मगर यह यूनिवर्सिटी जो आगरा यूनिवर्सिटी कहलाती है उसका काम उत्तर प्रदेश के बाहर भी होता है, उसका सीलेट है उसका कांस्टीटयूशन है और उसमें इस सूबे के कालेजेस भी हैं और बाहर के भी हैं जैसा कि मेरे एक साथी ने तफसील के साथ बताया भी था। मेरे नजदीक सब से पहले आप इस चीज़ पर ग़ौर करें और किसी जज़बाती पहलू से इसको न देखें। अगर आप दफा ९ को तरमीम करते हैं तो यू० पी० के बाहर के जो कालेज हैं क्या उन्हें ऐसा हक है या नहीं कि वह फेडरल कोर्ट में जाकर आपकी तरमीम को चेलेंज करें और वहां से तजवीज़ हासिल करें कि वह विधान के खिलाफ है। अगर ऐसा होता है और जिनको इस पर फैसला देने का मजाज़ है उन्होंने अपनी यह राय दी कि हमने अपने अख्तियार के बाहर जाकर यह तरमीम की है तो यह किसी एक आदमी की ज़िल्लत न होगी बल्कि वह इस सारे भवन की और कुल सूबे की ज़िल्लत होगी।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आज़मगढ़)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सम्मुख जो वादविवाद प्रस्तुत है उसमें बहुत ही छोटा सा प्रश्न यह है कि जो आर्डिनेंस गवर्नर महोदय ने प्रचारित किया था उसे कानूनी रूप दिया जाय और वाइस चांसलर की अवधि एक साल बढ़ाई जाय। केवल इतना ही प्रश्न होता तो अवश्य वैधानिक प्रश्न था लेकिन जैसा कि कहा गया है कि संशोधन का मतलब यही है कि जो कठिनाइयां आगरा यूनीवर्सिटी के कार्य को सरल और सुचारु रूप से चलाने में होती हैं वह दूर की जायं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय ने बड़ी उतावली से यह पूछा है कि यदि वाइस चांसलर का चुनाव हो गया होता तो क्या आफ़त आ गई होती, क्या परिस्थिति बिगड़ गई होती, कौन सी चीज़ थी जो बदल जाती।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन् क्या 'उतावली' शब्द पार्लियामेंटरी है?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसके कहने से कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

श्री पद्मनाथ सिंह—अभी अभी जो भाषण यहां हुये उनसे आप जो बातें वहां के वाइस चांसलर के सम्बन्ध में हुई वह आप जानते हैं, वहां के वाइस चांसलर के प्रश्न को लेकर वहां बड़ी बड़ी गड़बड़ी और पार्टी फीलिंग पैदा हुई हैं जिससे यूनिवर्सिटी के कार्यसंचालन में और वहां के वातावरण में और शान्ति पूर्वक वहां का काम चलाने में बड़ी दिक्कत हुई है। सभी चाहते हैं कि वहां का जो आज विषाक्त वातावरण है उससे हमारा वह विश्वविद्यालय मुक्त हो। अभी हमारे मित्र ने कहा था कि यदि काशी विश्वविद्यालय भी इस सरकार के अधीन होता तो वह वहां का कानून भी बदल देते। यदि उनका मतलब केन्द्रीय सरकार से था तो केन्द्रीय सरकार भी तो कांग्रेस की ही है, यदि व्यक्तित्व का प्रश्न था तो मैं नहीं जानता कि उनका क्या मतलब था लेकिन यदि कोई सरकार इस बात में दिलचस्पी रखती है कि एक ऐसा वाइस चांसलर किसी विश्वविद्यालय में रहे जो काम को सुचारू रूप से चला सके और उसको स्थायी रूप न दिया जाय तो इस में कोई समझ में न आने का प्रश्न नहीं है। कोई भी सरकार जो एक कार्य करना चाहती है वह ऐसे वातावरण के निर्माण की आवश्यकता अनुभव करती है और इसके लिये प्रयत्न करती है कि वह वातावरण तब तक बना रहे जब तक कि उसे स्थायी रूप न दे दिया जाय। यदि यह सरकार यह चाहती है कि सर राधाकृष्णन् या पंडित गोविन्द मालवीय को लेकर के जो खराबियां हुईं वे एक यूनिवर्सिटी में न हों तो आवश्यकता इस बात की है कि वाइस चांसलर के चुनाव से जो क्लीक पैदा हो गई है उसे रोके और शांत वातावरण चल रहा है उसे चलने दे। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न इतना आसान है कि यह किसी की भी समझ में आ जाना चाहिये। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का यूनिवर्सिटी शिक्षा के सम्बन्ध में एक वक्तव्य हुआ था। आचार्य नरेन्द्रदेव जी के वक्तव्य तो बराबर हुआ ही करते हैं। सभी यह कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज की शिक्षा प्रणाली में बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य और बाहर की जनता इस बात को अच्छी तरह से अनुभव करती है कि जो विश्वविद्यालय प्रान्त में चल रहे हैं वे इस तरह से चलें कि उनमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि जो लोग वहां से पढ़ कर निकलें वे योग्य नागरिक हों जो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें। वे समाज के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकें। उनमें संशोधन की आवश्यकता है और ऐसे वातावरण को बनाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। यह कोई बात नहीं है कि एक वाइस चांसलर क्यों नहीं बदल दिया जाता है या चुन लिया जाता है।

दूसरा प्रश्न यूनिवर्सिटी की आटोनामी का है। आटोनामी और डेमोक्रेसी के दो ऐसे रूप हो गये हैं कि उनकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं की जा सकती वैस्टर्न डेमोक्रेसी और ईस्टर्न डैमोक्रेसी का विवाद भी चल पड़ा है। कुछ तो यह कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिये एक पूरी डिक्टेटरशिप की जरूरत है जिससे कि हम डैमोक्रेसी को भविष्य में एक शक्ल दे सकें। इसीलिये रूस में डेमोक्रेसी को असली रूप में लाने के लिये एक डिक्टेटर शिप बना दी है। वेस्टर्न डेमोक्रेसी को एक कैपिटै-लिस्ट या फ़र्जी रूप दिया जाता है। ये १९वीं शताब्दी के शब्द हैं पश्चिम के और उन्हीं पर अपने सिद्धान्त को निर्धारित करने वाली पार्टियां आज इस विधेयक का विरोध करती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज बालिग मताधिकार पर यह सदन चुना हुआ है। यह सरकार भी उसी आधार पर यहां आई है। इसी प्रकार की

[श्री पद्म नाथ सिंह]

सरकार सब से बड़ी सरकार होती है और किसी भी आटोनामी को वह सुपरसीड कर सकती है। कोई भी आटोनामी उसके अधीन होती है। मैं समझता हूं कि जब सरकार शिक्षा के बारे में एक निश्चित मत रखती है और उसे चलाना चाहती है, एक शिक्षा देना चाहती है, तो उसका तो यह निश्चित कर्तव्य है कि शिक्षा के क्रम में वह पूरा हस्तक्षेप करे। यूनिवर्सिटीज में पार्टी क्लीक्स हैं, मिसमैनेजमेंट है और हम लोग जानते हैं कि बहुत परेशानियां हैं। उनमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर विरोधी दल की सरकार भी बनेगी तो उसे एक निश्चित रास्ते पर तो चलना ही होगा, आपको रेग्युलेट करना होगा, कायदे बनाना होगा, उसकी रूप रेखा आपको देनी होगी ऐसी परिस्थिति में हम यह समझते हैं कि जब संशोधन उसी उद्देश्य पर लाया गया है तो इस विधेयक में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह कोई लंबी वादविवाद की बात नहीं हो सकती है। विरोधी दल के माननीय सदस्य इस बात के लिये सहमत हैं और उनके नेता भी इस बात से सहमत हैं कि विश्वविद्यालय में परिवर्तन होना वांछनीय है, वहां पर परिवर्तन की आवश्यकता है। उस दृष्टिकोण से भी जो आज विधेयक प्रस्तुत है उस पर अधिक वादविवाद की आवश्यकता नहीं है। यह बात भी समझ में नहीं आती कि विरोधी दल जो प्रगतिशील बनने का दावा करता है वह कैसे इस चीज का विरोध करता है। आज यह बात तो प्राविंशियल हो गयी है कि आगरा विश्वविद्यालय में मिसमेनेजमेंट है। जब यह बात है तो वह किस प्रकार इस बात को चाहते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी में जो वातावरण चल रहा है वही चलने दिया जाय। विरोधी दर के सदस्यों ने इस विधेयक के सम्बन्ध में पूरी अलिफलैला बयानकर दी। विधवा विवाह से लेकर क्रान्ति तक एक भाषण में कह दिया और ऐसी बातें कह दीं जिनका संबंध न तो इस विधेयक से था और न किसी और बात की ओर ही हमें अग्रसर करता है।

इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहता हूं। अभी अभी निहालुद्दीन साहब ने एक बात कही कि यह कांस्टीटयूशन के खिलाफ है। इस प्रश्न का तो अन्तिम रूप से निर्णय ही हो चुका है इसलिये उसके बारे में कोई बात मैं कहना नहीं चाहता केवल एक बात कह दूं कि पुराने कानून के अनुसार गवर्नर जनरल के परामर्श से १९२६ का आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट बना था और वह १९१९ के कानून के अनुसार बनाया गया था जिसके अनुसार कुछ अधिकार प्राविंशियल लेजिस्लेचर्स को थे और कुछ अधिकार सेंट्रल लेजिस्लेचर्स को थे। कहीं कुछ अंदेशा होता था तो गवर्नर जनरल इस चीज को डिसाइड करता था। इस प्रकार १९२६ का आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट गवर्नर जनरल के परामर्श से बना इसलिये अब विरोधी दल को कोई भ्रम नहीं रह जाना चाहिये कि आज इस कानून को बनाने का पूरा अधिकार इस भवन को है। दूसरी दशा में सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पूरा अधिकार है कि वह ग़लत पास किये हुए कानूनों को इंनकंसिस्टेंट करार दे। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह जो विधेयक सरकार द्वारा प्रस्तुत है और इस विधेयक के सम्बन्ध में जिन सम्मानित सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया है वह कई विभागों में बांटा जा सकता है। पहले तो बिल के समर्थन में बोलने वाले एक सम्मानित सदस्य ने आटोनामी शब्द का अर्थ जानना चाहा। उन्हीं की जानकारी के लिये श्रीमन् हमें यह इतना बड़ा शब्द कोष लाना पड़ा है। कि आटोनामी के मानी क्या होते हैं, इसको हमारे मित्र समझ लें। तो श्रीमन् आटोनामस जहां शब्द प्रयुक्त होता है वहां पर---

"pertaining to or characterised by autonomy ; self-governing; independent of any other organism."

श्रीमन्, मैं काफी अथारिटिव शब्दकोष से यह परिभाषा दे रहा हूं। मगर मैं उन मित्रों की कद्र भी करना चाहता हूं जो तमाम बातें आउट आफ डेट (पुरानी) करके छोड़ देना चाहते हैं। उस पर फिर मैं विशद व्याख्या करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे हमारे उन सम्मानित सदस्यों का भ्रम दूर होना चाहिये जो आटोनामी शब्द को लेकर यह समझ लेना चाहते हैं कि एक तरफ आटोनामी भी रहे और दूसरी तरफ शक्ति भी केन्द्रित रहे। उनका भ्रम इस परिभाषा के देने के बाद दूर हो जाना चाहिये।

श्रीमन्, जो वाइस-चांसलर का कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ाने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है, उस पर इस सदन में काफी वादविवाद हुआ। और अभी शिक्षा मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह जी द्वारा लिखित उत्तर मिला है, जो कि इसके बारे में मांगा गया था कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो डिस्क्लोज (खुली नहीं है) नहीं हुई हैं, जिनको दुरुस्त करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो माननीय मंत्री जी कहते हैं। "प्रस्तुत विधेयक इसके पूर्व जारी किये गये आर्डिनेंस पर अवलंबित है इसलिए किसी भी संबंधित कागज का प्रश्न नहीं उठता।" श्रीमन् जब यह आर्डिनेंस आया था तो उस समय भी काउंसिल में शार्टनोटिस क्वेश्चंस पूछे गये थे, श्री राजाराम शास्त्री द्वारा और उस समय भी सरकार की ओर से यही जवाब मिला था कि यह प्रश्न बताया नहीं जायगा। और फिर पहली तारीख को श्रीमन् गवर्नर महोदय का आर्डिनेंस होता है। एक तरफ गोपनीय कहा जाता है और उस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है दूसरी तरफ दो दिन के बाद जब आर्डिनेंस बनता है तो उसी आर्डिनेंस की पुष्टि और समर्थन के लिए यहां पर विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। मैं देखता हूं कि इस विधेयक के पक्ष में बोलने वाले व्यक्तियों ने इस सदन में कुछ भ्रम पैदा करने की कोशिश की है और जहां पर आगरा यूनीवर्सिटी के वाइसचांसलर के कार्यकाल के एक साल के लिए बढ़ाने की बात हुई उस एक साल बढ़ाने के विधेयक को नन्हा सा विधेयक का नाम दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपके जरिये सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इस नन्हें से विधेयक में कितना बड़ा जहर है, जनतंत्र के लिए, कितना बड़ा जहर है आगे आने वाले शिक्षा के ढांचे को बनाने के लिये। क्या इसको यह सदन नहीं समझ पा रहा है? हम समझते हैं कि हम सबको गहराई के साथ समझना चाहिये। अगर एक विधेयक यहां पर यह ला दिया जाय कि आज जितने पुराने कायदे कानून इस समय तक बने हुए थे वे सारे कायदे कानून टूट जायेंगे और जमींदारी प्रथा फिर कायम की जायगी। तो यह विधेयक दो लाइनों में आ सकता है। और उसके लिए भी दो-चार माननीय सदस्य बैठे हुए हैं जो पुरानी बातों को छोड़ना भी चाहते हैं और यह भी कहना चाहते हैं कि वे प्रगतिशील हैं वे कहेंगे कि वह नन्हा सा विधेयक इस पर विरोधी पक्ष क्यों सदन का समय लेता है। विरोधी पक्ष को शान्त होकर सुनना चाहिए और अपने विरोध को वापस लेना चाहिये। तो श्रीमन् मैं आपके जरिये अपने उन सम्मानित सदस्यों को सचेत करूंगा कि लाइनों और वाक्यों को गिन कर न समझा करें कि यह छोटा है या बड़ा है। विधेयक का उद्देश्य देखा जाता है। इस नन्हें से विधेयक के जरिये कितना बड़ा आघात पहुंचता है जनतंत्र को और आगे शिक्षा के ढांचे को निर्धारित करने के लिये। इसको देखने की हमारे सम्मानित सदस्य कोशिश करें।

तो समझेंगे कि यह विधेयक नन्हा सा नहीं है, लघु नहीं है बल्कि व्यापक है, बड़ा है, विशाल है। इसलिये मैं यह कहता हूं कि यह जो आदत सरकार की पड़ी हुई है कि वह नन्हा सा विधेयक ला करके अधिकारों को इस तरह से लेना चाहती है उससे बड़े अनर्थ हो सकते हैं और होते रहते हैं। श्रीमन्, जिस गतिविधि से इस सदन में यह सरकार चला करती है उसपर काफी चर्चा हो चुकी है और बारबार मत प्रकाशित भी होते आये हैं मगर जब इस नन्हें से विधेयक के समर्थन में बनारस यूनिवर्सिटी की चर्चा आती है तो श्रीमन् जरूर कहना पड़ता है. . . .

श्री उपाध्यक्ष---बनारस यूनिवर्सिटी से इस विधेयक का कोई संबंध नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, पद्मनाथ सिंह जी ने बनारस यूनिवर्सिटी की बात कहकर मुझको प्रेरित किया है कि मैं भी कुछ कहूं।

श्री उपाध्यक्ष---बनारस यूनिवर्सिटी के विषय में इस वक्त कुछ कहना असंगत सा होगा।

श्री राजनारायण---तो श्रीमन् मैं यह कह रहा था कि चाहे वह लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वह इलाहाबाद हो, चाहे वह बनारस यूनिवर्सिटी हो उन यूनिवर्सिटियों में जो व्यवस्था कायम है उन व्यवस्थाओं को लेकर इस नन्हें से विधेयक का समर्थन नहीं कराया जा सकता

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

तो श्रीमन् हमारे, मित्र पद्मनाथ सिंह जी ने बनारस यूनिवर्सिटी की चर्चा करते हुये कहा कि आखिर वहां पर भी तो वाइसचांसलर हैं अगर सरकार पार्टी पालिटिक्स चलाना चाहती तो वहां पर भी सरकार कोई दूसरा कदम उठाती। मैं आपके जरिये से श्रीमन् यह बतलाना चाहता हूं कि वहां पर जो वाइस-चांसलर हैं वह वहां की पापुलर विल जनप्रिय इच्छा शक्ति पर है, वहां के विद्यार्थियों की इच्छा है कि वहां पर आचार्य नरेन्द्रदेव या वैसा ही प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति वाइस-चांसलर हो। वह वहां के विद्यार्थियों की पुकार पर, वहां की जनता की पुकार पर, शिक्षा विशेषज्ञों की पुकार पर हैं।

श्री पद्मनाथ सिंह---श्रीमन्, मेरे मित्र गलत आरोप मेरे ऊपर कर रहे हैं। मैंने आचार्य नरेन्द्रदेव जी के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा था और मैंने उनका नाम भी नहीं लिया था। मैंने केवल यह कहा था कि आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर के टर्म को एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा रहा है। और यह केवल वहां पर कोई स्थायी प्रबन्ध हो तब तक के लिये है। बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में जो राधाकृष्णन गोविन्द मालवीय झगड़ों के कारण वहां का वातावरण दूषित हो रहा था उस संबंध में मैंने कहा था कि वहां उसका वातावरण और दूषित हो सकता था। लेकिन सरकार उस में पड़ना नहीं चाहती। मैंने यह कहा था और मैंने आचार्य नरेन्द्रदेव जी का नाम भी नहीं लिया था।

श्री राजनारायण---मैं आपके जरिये से श्रीमन् इस सदन को यही बताना चाहता हूं आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर के कार्य काल को एक साल तक बढ़ाने का जो विधेयक प्रस्तुत है यह विधेयक मेरी दृष्टि में शिक्षा संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप का ज्वलन्त उदाहरण है। श्रीमन्, अभी दुनिया के विश्वविद्यालयों की चर्चा हुई अपने देश के और विश्वविद्यालयों की चर्चा हुई कि वहां पर वाइस-चांसलर्स किस तरह से चुने जाते हैं। इस पर भी अच्छी तरह से लोगों ने अपने मत का, प्रदर्शन किया है। मेरा भी श्रीमन् इस पर अपना एक मत है और मैं अपने मत के समर्थन में पुरानी पुस्तकों का अवलोकन करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अगर हमारी बात सही है कि जनतांत्रिक कसौटी के लिये वही सबसे खरी बात है तो चाहे पुरानी पुस्तकों के पन्ने रंगे हुये हों या न हों लेकिन मैं उस मत को और सफाई के साथ इस सदन के सामने रखना जरूर चाहता हूं।

श्रीमन्, हमारे मित्र ने डिमोक्रेसी की भी चर्चा की और उन्होंने कहा कि आज ईस्टर्न डिमोक्रेसी और वेस्टर्न डिमोक्रेसी, पूर्वी जनतंत्र और पश्चिमी जनतंत्र में बड़ा परस्पर विरोध है। मगर, श्रीमन् मैं उनके इस कथन से यह समझ नहीं पाया कि वह कौन सी डिमोक्रेसी मानते हैं, कौन सा जनतंत्र मानते हैं। मैं जिस जनतंत्र को मानता हूं और विरोधी पार्टी जिस जनतंत्र को मानती है वह है सत्ता को विकेन्द्र करके जनता पर लाया जाना। आज, चाहे वह राजनीति की सत्ता हो या अर्थनीति की सत्ता हो, और शिक्षा के क्षेत्र में तो विशेष तौर से सरकारी हस्तक्षेप की कल्पना नहीं की जा सकती। इस सरकार के जरिये जब पहले भी

विधेयक प्रस्तुत हुये थे, जिसका कि एक नामूना उदयप्रताप कालिज था, तो भी हमने विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिये और आज भी हम उसी स्वर के साथ इस विधेयकका विरोध करने को प्रस्तुत हुये हैं। जब हम इसका विरोध करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे लिये यह गलतफहमी न हो कि वाइस चांसलर प्रतिभासम्पन्न हैं या नहीं, हम उनके गुण विशेष पर नहीं जाना चाहते, कितनी प्रतिभा है या कितनी योग्यता है, इस पर भी नहीं जाना चाहते और उसके प्रमाण में कुछ कहना चाहते हैं। हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं कि आखिर सरकार हर समय, जब भी तनिक भी मौका होता है, उस मौके को ले करके इस सदन में जो बार-बार शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकारीकरण की मनोवृत्ति की तरफ बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है। आज इस सम्मानित सदन को बारीकी के साथ कुछ गुत्थियों को सुलझाना पड़ेगा उसकी ओर मैं दृष्टिपात करना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं आपके ज़रिये माननीय मंत्री जी से और सरकार से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक को इस समय वापस ले। जैसा कि सरकार की ओर से हमें यह लिखित रूप से मिला कि इस विधेयक से संबंधित कागज का कोई प्रश्न सरकार के लिये नहीं उठता। माननीय मंत्री जी ने लिखित भेजा है कि प्रस्तुत विधेयक इसके पूर्व जारी किये गये आर्डिनेंस पर अवलम्बित है, इसलिये इसके संबंध में किसी लिखित कागज का प्रश्न नहीं उठता। तो मैं आपके ज़रिये सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक को भवन के सम्मुख क्यों प्रस्तुत करती है? आर्डिनेंस जारी हो गया, हो गया। अगर वह आर्डिनेंस गलत था, अगर उस आर्डिनेंस के ज़रिये जो ५ नवम्बर को चुनाव होने जा रहा था वह नहीं हुआ, एक महीने का और समय मिल गया तो एक महीने का समय तो काफी हुआ करता है। आज जिस द्रुत-गति से, जिस तेज रफ्तारी के साथजिस फास्ट स्पीड से जमाना बढ़ता चला जाता है, अगर उस जमाने को हम देखें तो हम कितनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। रफ्तार इस सरकार की बढ़ती है तो जहां भी शक्ति के केंद्रित करने की बात होती है वहां रफ्तार बढ़ जाती है और जहां शक्ति को जनता को देने की बात होती है तहां सरकार की कच्छप गति हो जाती है, धीमी रफ्तार हो जाती है। समझ में नहीं आता कि आखिर यह सरकार करना क्या चाहती है। बार-बार निवेदन होता है, आग्रह होता है और एक नन्हा सा विधेयक प्रस्तुत हो जाता है, और जब उसकी गुत्थियां और बारीकियां तो कहा जाता है कि इस सदन में इस नन्हे से विधेयक पर वादविवाद बढ़ गया और विरोधी पक्ष को यह आक्षेप लगाया जाता है कि कोशिशें सरकार की ओर से बराबर होती रहती हैं, लेकिन विरोधी पक्ष ज्यादा समय ले लेता है। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह साफ़ कर देना चाहता हूं कि इस सरकार की नीति ज्यादा समय ले लेती है। विरोधी पक्ष ने नहीं कहा था कि विधेयक प्रस्तुत हो, ऐसा आर्डिनेंस बनाया जाय। क्यों यह प्रतिक्रियावाद, इस निगेटिव इंडीकेशन को ले करके यह विधेयक प्रस्तुत किया गया? "नन्हा सा" शब्द तो है मगर उसमें है क्या? उसमें है कि वाइसचांसलर के जो चुनाव होते थे, जो कमेटियां उसको चुनती थीं, जो कोर्ट हो या सिनेट हो, उस कमेटी से वाइस चांसलर के चुनने का अधिकार छीना जा रहा है। यह नन्हा सा विधेयक है, छोटा सा है, स्माल है मगर इसमें भाव कितना है इसको माननीय मंत्री जी ज़रा बताने की तो कृपा करें। मैं श्रीमन् नहीं चहता था, इच्छा भी नहीं थी कि आज इस सदन में बोला जाय मगर जैसे मनोभावों को व्यक्त किया ट्रेजरी बेंचेज के सदस्यों ने उससे बड़ा आघात पहुंचाया है और बार बार यह बुद्धि समझ सकने में असमर्थ हो जाती है कि किसको हम नन्हा सा विधेयक कहें, किसको हम बड़ा कहें, यह भी विवाद का प्रश्न हो जाता है कि छोटी सी लाइनों को रखकर अगर नन्हा सा विधेयक हो गया तब तो बड़ा अनर्थ होता रहेगा और जैसा कि हमने पहले निवेदन किया श्रीमन् आपके आने से पूर्व, हो सकता है कि छोटा सा हो। जिस तरह से यह सरकार चल रही है, यह भी कर सकती है कि एक कोने में ऐसा लिख सकती है कि आज से सारे उत्पादन के साधनों का सरकारीकरण करेंगे। है विधेयक नन्हा सा मगर क्या इससे तूफान बरपा होगा, क्या इससे आफत आयेगी और श्रीमन् आपकी इजाजत से हम इस सरकार को बताना भी चाहते हैं कि चाहे इन छोटे से शब्दों के साथ इस उद्देश्य की पूर्ति का विधेयक इस सदन में आये और आ भी सकता है, हम विश्वास

[श्री राजनारायण]

करने लगे हैं, मगर यह जो विरोधी पक्ष यहां बैठा हुआ है जो सच्चे जनतंत्र के लिये प्लेज्ड है, स्थापित है, वह दृढ़ प्रतिज्ञ है, ऐसे नन्हे से विधेयक के पर्दाफाश के लिये वह हमेशा तैयार रहेगा और अगर इस सदन में रहते हैं तो डटकर उसका विरोध करेंगे। अगर बाहर चले जायेंगे तो कोई बात ही नहीं है। इसलिये आपकी इजाजत से, आपकी आज्ञा से सरकार को, ट्रेजरी बेंच को यह सचेत करना चाहते हैं कि इसी उद्देश्य की, ऐसी ही उद्देश्य की पूर्ति के लिये नन्हा सा विधेयक, छोटा सा विधेयक, लाने की आगे कृपा न करेंगे वरना यह बड़ा मौलिक सवाल है कि आज की शिक्षा संस्थायें सरकार द्वारा हस्तक्षेप की जायं या न की जायं। इस से संबंधित सवाल है इससे संबंधित यह विधेयक है। मैं इसके बारे में सरकार की राय जानना चाहूंगा, इसके बारे में जो सम्मानित सदस्य हैं उनकी राय जानना चाहूंगा, कैसे इस सम्मानित सदन में बैठकर, इस सम्मानित सदन के काल को, समय को इस तरीके से ट्रेजरी बेंच नष्ट करता है और तमाम प्रतिक्रियावादी उद्देश्यों को विधेयक के अन्दर रखकर के उसके समर्थन में एक कतार खड़ी कर देता है कि लोग उस पर बोलें, जो भी चाहें बोलें, उसमें डेमोक्रेसी भी हो, लखनऊ युनिवर्सिटी भी हो, बनारस का विश्वविद्यालय भी हो कि किस परिस्थिति में बनारस विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर काम कर रहे हैं,किस परिस्थिति में लखनऊ के वाइस-चांसलर काम कर रहे हैं। इसकी कोई चर्चा नहीं है। केवल इशारा भर कर दिया कि वहां भी ऐसा ही हुआ, यहां भी ऐसा हुआ, और इसलिये आगरा में भी हो जब कि वहां बात ही बिलकुल उलटी है। श्रीमन् मैं आज फिरोजाबाद से आगरे की तरफ से आ रहा हूं। मुझे मालूम हुआ कि हमारे माननीय मंत्री जी जब वहां पर गये हुये थे तो माननीय मंत्री जी वहां के साप्ताहिक "आगरा" की करीब १५ प्रतियां ले आये हैं। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से चाहूंगा कि अगर माननीय मंत्री जी के पास साप्ताहिक "आगरा" की कापियां हों तो जरा उसको इस सदन में भी प्रस्तुत करें। उसमें वाइस चांसलर के बारे में क्या मत व्यक्त किये गये हैं। माननीय मंत्री जी जब आगरे गये थे तो उनके सामने क्या क्या बातें पेश हुई थीं इसकी भी सफाई हो। आखिर हमसे भी वहां के भाई मिलते हैं आज भी एक दो आदमी बैठे हुये हैं। क्या वह बताते हैं कि वहां के वाइस चांसलर के लिये पापुलर बिल है? जब आचार्य नरेन्द्र देव जी लखनऊ विश्वविद्यालय को छोड़ने लगे थे तो तमाम पापुलर नेताओं के अनुरोध पर भी वहां के विद्यार्थी, भूख हड़ताल करने पर तुले हुये थे, आचार्य जी को जाने नहीं देते थे और जब काशी विश्वविद्यालय में वह गये तो स्टेशन पर इतना बड़ा विद्यार्थी समूह उनका स्वागत करने के लिये गया, इतिहास में एक वाइस-चांसलर का इतना बड़ा स्वागत कभी नहीं हुआ। यह समाचार पत्रों ने भी लिखा। क्या इस तरह का पापुलर बिल, इस तरह की पापुलर डिमांड इस वर्तमान वाइस चांसलर महोदय के लिये भी आगरे में है या वहां की जनता में है या वहां की शिक्षा संस्थाओं में है या शिक्षा विशेषज्ञों में है, या वहां के विद्यार्थियों में है, या वहां की जो भी वाइस चांसलर्स को चुनने वाली कमेटी होती है उसमें है या जो सिनेट हो उसकी रिपोर्ट में है?

श्रीमन्, केवल एक बात साफ़ है, सरकार को अंदेशा था कि यह वाइस-चांसलर, चुनने वाली जो कमेटी है, उसके द्वारा नहीं चुने जा सकते क्योंकि अगर सरकार को यह अंदेशा नहीं होता और इसी वाइस-चांसलर को पुनः आसीन होने की गुंजाइश होती तो सरकार बड़ी आसानी से चुनाव करवा देती और जो व्यापक विधेयक माननीय मंत्री जी की विशेष अनुकम्पा से इस विधान सभा में आने वाला है उस व्यापक विधेयक के आने में भी कोई परेशानी न हुई होती। वे फिर पदासीन होते, चुन करके पदासीन होते और इस तरह से सदन में चर्चा न होती। श्रीमन्, आज किन भाव बस बोलत नाहीं। हमारे माननीय मित्र परिपूर्णानन्द जी बैठे हुये हैं। यद्यपि वे कैबिनेट में नहीं हैं लेकिन श्रीमन् मैं जानता हूं कि वे कैबिनेट की बहुत बारीक-बारीक बातों से अवगत रहते हैं। माननीय परिपूर्णानन्द जी के लेख इस संबंध में प्रकाशित हुये हैं। माननीय परिपूर्णानन्द जी की बोली तो नहीं खुली मगर उनकी लेखनी खुली और उनकी लेखनी से निर्झर लेखनी से कुछ पंक्तियां लिखी गयी हैं। वे पंक्तियां जो संकेत करती

हैं क्या उससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इस विधेयक को ले करके कैबिनेट के अन्दर भी मतभेद है। श्रीमन्, हमारे मित्र ने उन पंक्तियों में यह लिखा . . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता पढ़ने की।

श्री राजनारायण—मैं नहीं पढ़ूंगा पर मैं श्रीमन् आपकी इजाजत से इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्यों से सादर साग्रह निवेदन करूंगा कि सरकार के द्वारा जो विधेयक आ जाया करते हैं वे किन-किन बारीकियों से छन-छन करके निकलते हैं और किन-किन प्रासेज से हो करके निकलते हैं वे प्रासेज भी सदस्य गण देखने की कोशिश करें। ऐसी मूलवस्तु प्रकट हो करके जो आजाया करती है, मैं केवल उसी प्रासेज को दिखाऊंगा, उसी परिस्थिति को दिखाऊंगा कि कैसे किसी परिणाम पर पहुंचने में किसी नतीजे पर पहुंचने में बराबर सदस्य गण गलती करते रहेंगे। इसलिये श्रीमन् मैं उन प्रासेज को रखना चाहता हूं। वे प्रासेज जो पूरे हुए जो खिचड़ी पकी क्या माननीय परिपूर्णानन्द जी की वह लेखनी, माननीय परिपूर्णानन्द जी के वे उद्गार, जो उन्होंने लीडर में निकाले थे, वे हमें नहीं बताते हैं कि इस सरकार की नीति शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की और गहरा हस्तक्षेप करने की है। इसमें किसी सम्मान और गैर सम्मान की बात नहीं है। गलतियां हुआ ही करती हैं, हर मनुष्य गलती करता है और यह सरकार तो गलती करती ही रहती है। माननीय मंत्री जी साहसपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं। वे बराबर कहा करते हैं श्रीमन् कि हम तो शिक्षा के क्षेत्र में साहस का कदम उठाना चाहते हैं, तो यह भी एक साहस का कदम उठायें, डंके की चोट पर एलान करें कि यह विधेयक गलत है, अब हमारी दृष्टि खुल गयी, अब हम इस पर पुनर्विचार करने के लिये इसको वापस ले रहे हैं, और श्रीमन् हम समझते हैं कि आप की विशेष आज्ञा से यह सम्मानित सदन माननीय मंत्री जी को यह आज्ञा प्रदान करेगा कि वे इस विधेयक को वापस ले लें। श्रीमन्, अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं पुनः चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों को अच्छी तरह से समझें। इस पर केवल इस सदन में ही चर्चा नहीं है, इसकी चर्चा बाहर भी जो शिक्षा संस्थाओं से तनिक भी संबंध रखते हैं उनके अन्दर बराबर चल रही है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। सरकार की नीति अब शिक्षा में कभी एक छलांग इधर जाती है, कभी एक छलांग उधर जाती है, और चलते चलते अब यह हो गया है कि अब वाइस-चांस्लर का चुनाव भी नहीं हो सकता। इसलिये श्रीमन्, मैं पुनः यह निवेदन करके बैठना चाहता हूं कि प्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) का सवाल जन-कल्याण के रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिये। इसको माननीय मंत्री जी प्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) का सवाल न बनायें, यह प्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) का सवाल नहीं है और अगर किसी एक माननीय मंत्री की प्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) का सवाल होता है तो वे देश की प्रेस्टिज का सवाल देखें, शिक्षा की प्रेस्टिज का सवाल देखें। आखिर जिस भव्य भारत का निर्माण करने के लिये हम चलरहे हैं, उस भव्य भारत का निर्माण क्या इस मनोवृति से होगा, हरगिज नहीं होगा, श्रीमन्।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहस बन्द की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह नहीं समझता था कि इस नन्हे से, और जब मैं यह शब्द दोहराता हूं तो अपने उत्तरदायित्व को समझ कर दोहराता हूं कि इस नन्हें से विधेयक पर इतनी गरमा-गरमी की बहस की आवश्यकता थी। लेकिन जो बहस यहां हुई कम से कम मैं आप की आज्ञा से श्री नारायणदत्त जी को और श्री राजनारायण जी को भी यह बधाई देना चाहता हूं कि समय के दुरुपयोग में शायद उनसे कोई बढ़ नहीं सकता था। क्या सम्बन्ध इस विधेयक का था कि इसमें एटानोमी पर एक लम्बा भाषण दिया जाता। मैंने तो एटानोमी शब्द का प्रयोग भी अपने भाषण में नहीं किया था और मैंने तो यह कहा था . . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, आपने इजाजत मुझे दी थी कि मैं एटानोमी के बारे में कह सकता था। उसके बाद ही मैंने उसके बारे में कहा था।

श्री अध्यक्ष---आपने बगैर इजाजत बोलना शुरू किया। इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह---जैसा मैं कह रहा था, इस एटानोमी के शब्द का प्रयोग भी मैंने नहीं किया था इसलिये कि मैं इस वादविवाद में उसके लिये कोई स्थान नहीं समझता था। लेकिन एटानोमी पर एक लम्बा सा भाषण दिया गया, छुट-पुट कुछ उदाहरण दिये गये। इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी के बारे में भी यहां जिक्र किया गया। एक ही के बारे में जिक्र किया गया क्योंकि शायद उन्होंने एक ही के बारे में पढ़ा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी---एक में नहीं छःओ यूनिवर्सिटीज में वह है।

श्री हरगोविन्द सिंह---छःओं में नहीं है। फिर आप उसको पढ़िये। तो इतना बड़ा भाषण दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उनको क्या उत्तर दूं। सवालों की तो एक ऐसी बौछार आयी कि मैं समझता हूं कि मेरे लिये उपयुक्त यही होगा कि मैं और अधिक भवन का समय न ले कर उन सवालों की अवहेलना करूं। मैंने उस समय भी कहा था और अब भी यह कहता हूं कि इस प्रस्तुत विधेयक पर दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तरफ से यह कहा जा सकता है कि यदि पुराने कानून के अनुसार वाइस चांसलर का चुनाव हुआ होता तो उससे पहाड़ नहीं गिर पड़ता। मैं भी समझता हूं कि पहाड़ नहीं गिर पड़ता। दूसरा दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि चूंकि एक विस्तृत विधेयक बन रहा है जो निकट भविष्य में ही भवन के सामने प्रस्तुत होगा। उसमें संभव है कि वाइस चांसलर के चुनाव की कोई नई विधि निर्धारित की जाय। उसके अनुसार फिर इस समय के चुने हुये वाइस चांसलर को हटा करके एक दूसरे वाइस चांसलर का चुनाव कराया जाय। यह भी ठीक न होगा। ये दोनों विचार मैंने उस समय स्पष्ट कर दिये थे। इन दोनों विचारों के समर्थन में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैंने किसी की निन्दा नहीं की। मैंने यह भी नहीं कहा कि यह विचार गलत है और यह विचार सही है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि सरकार ने इन विचारों में से यह चुन लिया कि चूंकि एक बड़ा विधेयक बन रहा है, बहुत विवादग्रस्त प्रश्न उसमें विचाराधीन हैं। वह भवन के सामने प्रस्तुत होंगे। भवन का उन पर निर्णय होगा और उसके पास हो जाने पर उसके द्वारा एक चुनाव कराया जाय। मैं समझता हूं कि शिक्षा संस्था के लिये यह अधिक उपयोगी बात होगी। शिक्षा संस्थायें म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्टबोर्ड नहीं हैं। म्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता। वाइसचांसलर का बड़ा महान पद है। उसी के ऊपर यूनिवर्सिटी की कुल व्यवस्था निर्भर होती है। आज एक वाइसचांसलर चुन लिया जाय। कल उसको निकाल दिया जाय। यह चीज ठीक नहीं है। इसी कारण यह चीज उपयुक्त समझी गयी कि जब तक वह विधेयक बन नहीं जाता तब तक वर्तमान वाइस चांसलर को चलने देना चाहिये। क्यों! इसलिये कि यह वर्तमान वाइस चांसलर वहां के चुने हुये हैं। आज के तीन वर्ष पहले उसी सीनेट के द्वारा वह चुने हुये हैं। वह कोई नामजद वायसचांसलर नहीं हैं। सीनेट ने उनमें अपना विश्वास प्रगट किया था वह तीन वर्ष तक यूनिवर्सिटी को चलाते रहे। यदि उनके कार्य काल में एक वर्ष और बढ़ा दिया गया जिसमें कोई उथल पुथल न हो तो अनुचित कार्य तो कुछ भी नहीं हुआ....

श्री मदनमोहन उपाध्याय---जब कि तीन साल का उनका समय खराब रहा।

श्री हरगोविन्द सिंह---मुमकिन है। अगर तीन साल का समय खराब था तो एक वर्ष में उतनी खराबी रहेगी या कम हो जायगी जब कि नया विधेयक बन रहा है तो इतनी आशंका नहीं थी कि एक साल का कार्यकाल बढ़ रहा है तो उससे कुछ खराबी ज्यादा

होगी। ऐसी धारणा हमारी नहीं थी। मुमकिन है कि हमारी धारणा गलत हो। चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन यह कहा गया कि ऐसी कौन सी कठिनाई हो गई। मैं उस समय ठीक नहीं समझता था कि मैं इसको बतलाऊं। लेकिन क्योंकि बार बार पूछा गया श्री नारायण-दत्त जी और श्री राजनारायण जी की तरफ से कि इसमें ऐसी कौन सी कठिनाई हो जाती तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं कि यह वाइस चांसलर तीन वर्ष तक रह चुके हैं। उसके ऐक्ट के अनुसार उन्हें कोई लालसा नहीं होती कि वह दूसरे बार चुने जायं। यदि उस समय कोई वाइस चांसलर इस पुराने ऐक्ट के अनुसार चुन लिया जाता और जो विधेयक सरकार इस सदन के सामने प्रस्तुत करने वाली है उसमें वाइस चांसलर के चुनाव का दूसरा तरीका रखा जाता तो संभव था कि वह चुना हुआ वाइस चांसलर इसका विरोध करता और वह बहुत सी कठिनाइयां पैदा कर सकता था। इस कारण से यह ठीक समझा गया क्योंकि वर्तमान वाइस चांसलर तो वही वाइस चांसलर होगा। इसलिये उसी को चुन लिया जाय। इसलिये उनको कोई इन्ट्रेस्ट नहीं होगा और यूनिवर्सिटी की व्यवस्था भी नहीं बदलेगी। इसलिये उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिये और बढ़ा दिया गया। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया कि यह कार्यकाल इसलिये नहीं बढ़ाया जा रहा है कि हम यह समझते हैं कि वर्तमान कार्यकाल यदि एक साल और बढ़ा दिया जाय तो जो आगरा यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी है उसको दूर कर देंगे। ऐसी विडम्बना मैंने नहीं की थी लेकिन बार बार श्री नारायणदत्त जी ने पूछा कि कौन सा सुधार हो जायगा। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भी नहीं समझता कि कोई सुधार संभव है और न इसलिये उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। लेकिन वह तो इसलिये बढ़ाया गया जैसा कि मैंने पहले कहा कि केवल इस कारण से बढ़ाया गया कि हम इस विधेयक को एक महीने, दो महीने या तीन महीने में भवन के सामने प्रस्तुत करें और भवन उस पर अपनी राय दे दे और यह अधिनियम की शक्ल में हमारे सामने आजाता है तो एक वाइस चांसलर को अगर हटायेंगे तो इसमें क्या बिगड़ेगा। लेकिन कहा यह गया है कि इसमें आटोनोमी कुंठित होती है, खंडित हो जाती है। मेरी समझ में यह दलील नहीं आई। मेरे शब्द में शायद उतना जोर न हो सके जो श्री राज-नारायण जी की बात में था। वह प्रजातंत्र के शायद बड़े पक्षपाती हैं और हम लोग उस श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं। इसमें आटोनोमी का कहां जिक्र है। यदि वह उस ऐक्ट में सुरक्षित थी जो कि १९२६ का था जिसमें लिखा गया है कि वाइसचांसलर का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और यदि इस विधेयक के जरिये उसको एक साल के लिये और बढ़ा दिया जाता है तो कहां आटोनोमी में इतनी बड़ी ठेस लगजाती है और उनको यह दिखाई पड़ने लगता है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है। यह पुराना ऐक्ट, सन् १९२६ में उस समय बना था जब कि हिन्दुस्तान में आटोनोमी नहीं थी तो उनको उसमें आटोनोमी दिखाई पड़ रही है। लेकिन सन् ५२ के ऐक्ट में जिसमें संपूर्णतया आटोनोमी है उसमें उनको आटोनामी नहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिये मैं क्या बतलाऊं। हो सकता है कि विरोधी दल में होने से उनको हर जगह विरोध ही दिखाई पड़ता हो लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटी की आटोनामी का संबन्ध है शायद उसकी रक्षा के लिये वह अपने से मुझे पीछे न पायेंगे। मैं हमेशा उस आटोनामी की रक्षा करना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि मेरे मित्र ने कहा यह विषयान्तर हो रहा है लेकिन चूंकि भवन का इतना अधिक समय इस पर लग गया तो मैं अपने भी विचार इस आटोनामी के संबंध में बतला देना उचित समझता हूं। आटोनामी एक ऐसी वस्तु है जिसकी रक्षा होनी चाहिये। लेकिन आटोनामी के साथ-साथ एक आदर्श भी होता है। आदर्श की रक्षा के लिये ही आटोनामी की रक्षा होनी चाहिये। आटोनामी एक आइडियल है, एक एंड है और उसके लिये आटोनामी हुआ करती है, लेकिन आटोनामी का कोई स्थान उन आदर्शों से विलग नहीं होता। जहां भी आटोनामी का संबंध किसी चीज से होगा वहां उसके लिये आदर्श होगा। हमारे विश्वविद्यालय भी एक आदर्श हैं। और यदि उन दशाओं की रक्षा हमारे विश्वविद्यालयों द्वारा होती है तो उनकी आटोनामी सर्वथा. हर सूरत में सुरक्षित रहनी चाहिये लेकिन यदि वे आदर्श से हट जाते हैं, मैं यह नहीं कहता कि हमारा कोई विश्वविद्यालय उन आदर्शों से हट गया है, तो वहां आटोनामी के लिये उस

[श्री हरगोविन्द सिंह]

रूप में कोई स्थान नहीं रह जाता। आदर्शों से हट कर किसी भी देश में किसी विश्वविद्यालय की आटोनामी सुरक्षित नहीं रह सकती ताकि वह राष्ट्र खराब किया जाय। इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकतीं कि हमारे राष्ट्र का भविष्य हमारे विश्वविद्यालय पर पूर्णतया अवलम्बित है। यदि हमारे विश्वविद्यालय उसी रूप से कार्य करते रहें जो कि आदर्श उनके सामने हैं तो भला किसको कुत्ता काटे हुये हैं कि उसमें हस्तक्षेप करे। जब यह भवन देखेगा कि उन आदर्शों की रक्षा विश्वविद्यालयों द्वारा नहीं हो रही है तो आटोनामी की आड़ में उन विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि वे हमारे राष्ट्र को खराब करें। मैं समझता हूं कि इसमें कोई मतभेद की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपने यह कहा कि यह तो एक सरकारी हस्तक्षेप है। मैं उसके मुताल्लिक भी एक राय रखता हूं। और उसे भी आपके समक्ष रख देना चाहता हूं। जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं था, जब तक उन विश्वविद्यालयों का रुपया आपके वोट पर निर्भर नहीं था, तब तक आपको यह अधिकार रहा हो या न रहा हो कि आप इन विश्वविद्यालयों को देखें कि वे अपने आदर्श से हटते तो नहीं हैं लेकिन जब अब प्रतिवर्ष हमको आपके सामने एक बजट पेश करना पड़ता है, आपसे सिफारिश करनी पड़ती है कि आप हमारे विश्वविद्यालयों के लिये इतनी अनुदान स्वीकार करें तो मैं समझता हूं कि यह आपका अधिकार है कि आप हमसे यह पूछें कि ये विश्वविद्यालय उस पब्लिक के रुपये को, जिसको आपने उनको अपने वोट से दिया है, सुचारु रूप से, ठीक कार्य के लिये, बच्चों की पढ़ाई के लिये, अच्छे कार्यों के लिये खर्च कर रहे हैं या नहीं, उस आदर्श की रक्षा में खर्च कर रहे हैं या नहीं। आपके इस अधिकार से हम आप को वंचित करना नहीं चाहते। यह भवन का अधिकार है और मैं समझता हूं कि वहां आटोनामी की संज्ञा नहीं लगती है, वहां आटोनामी का कोई संबंध नहीं है।

दूसरी बात मैं आपसे यह कहूं कि इस संबंध में यह कहना कि राज्य संस्था से और विद्या संबंधी संस्था से कोई संबंध नहीं होना चाहिये इसको मैं गलत समझता हूं। इस कारण गलत समझता हूं कि दुनिया में जो आजकल तंत्र चल रहा है उसमें दो ही तंत्र हैं। एक तो अधिनायकत्व और दूसरा प्रजातंत्रवाद। दुनिया का एक भाग है जहां पर डिक्टेटरशिप चलती है और दूसरे भाग पर प्रजातंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। डिक्टेटरशिप में इस बात के लिये कोई स्थान नहीं होता है कि शिक्षा संस्था स्वतंत्र हों वहां तो आप एक प्रकार की ही शिक्षा दे सकते हैं। उदाहरण के लिये रूस को ले लीजिये। रूस में किसी विश्वविद्यालय को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दे कि जो कम्युनिज्म से टक्कर खाती हो। वहां पर वह विश्वविद्यालयों के हर कैरीकुलम को निर्धारित करते हैं इसलिये कि वह अपने उन विश्वविद्यालयों से अच्छे कम्युनिस्ट निकालना चाहते हैं। तो वहां तो इसका कोई संबंध नहीं है कि शिक्षा संस्थाओं में एटानामी होनी चाहिये।

अब प्रजातंत्र को लीजिये और इसके लिये मैं नारायणदत्त जी को दावत देता हूं कि वह इसका अध्ययन करें। उसके लिये मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं और प्रजातंत्र का उदाहरण फ्रांस का है जहां पर बहुत पुराने जमाने से डिमोक्रेसी चली आती है। वहां पर डिमोक्रेसी का ऊंचा स्थान है लेकिन आपको सुनकर यह ताज्जुब होगा कि फ्रांस में एजुकेशन मिनिस्टर, वाइस चांसलर की नियुक्त की बात छोड़ दीजिये, स्कूल के टीचर और प्रोफेसर को अप्वाइन्ट करते हैं। बावजूद इसके वह यह नहीं समझते कि इसका टकराव आटोनामी से हो हाला कि वहां पर प्रजातंत्र का एक केन्द्र रहा है और है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगहें हैं, यूनिवर्सिटीज हैं कि जहां पर गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है। अमेरिका में दोनों किस्म की चीजें चलती हैं। लेकिन प्रश्न यह होता है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि डिमोक्रेसी में इस बात के लिये स्थान नहीं है कि सरकार यह देखे कि यूनिवर्सिटी किस प्रकार से अपना कार्य कर रही है। यह निश्चित कर लेना कि डिमोक्रेसी में प्रजातंत्रवाद में सरकार

को यह अधिकार नहीं है कि वह विश्वविद्यालयों के अन्दर किसी चीज को देखने का प्रयत्न करें। मैं यह समझता हूं कि डिमोक्रेसी के लिये यह एक बड़ी घातक चीज होगी। कारण यह है कि जिस तरह से कम्युनिज्म यह चाहता है कि वह अपने बालकों को ऐसी शिक्षा दे कि जिससे अच्छे कम्युनिस्ट पैदा हों उसी प्रकार से प्रजातंत्रवाद भी यह चाहता है कि वह अपने बालकों को यूनिवर्सिटीज के अन्दर ऐसी शिक्षा दे जिससे अच्छे डिमोक्रेट निकलें। तो इसके लिये आवश्यक है कि आप यह देखें कि आपके विश्वविद्यालय किस प्रकार से चलते जा रहे हैं। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जिस रिपोर्ट के आधार पर नारायणदत्त जी ने उद्धरण दिये और जिसकी ओर काटजू साहब ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उसमें यह भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटी एलेक्शन में जो वोट दिये जाते हैं उस वोट की समता आप इस वोट से करें जिससे कि राज्य का चुनाव होता है तो यह गलत होगा उन्होंने यह भी कहा है कि उसको वोट नहीं कहा जा सकता और उसको वोट कहना भी नहीं चाहिये क्योंकि दूसरा उसके लिये कोई नहीं है इसलिये उसको वोट की संज्ञा दी गयी।

वह तो इस को खुद कहते हैं, उनके वर्ड हैं कि —

"Democracy as such has no place in the Agra University."

यह कहना बिलकुल ही गलत होगा और मैं समझता हूं कि आटोनामी को अगर आप समझें तो उस के दो अंग होते हैं, एक तो मेनेजीरियल और दूसरा एकेडेमिक। एक जो पहला है उसका संबंध तो प्रबन्ध से है और दूसरा जो एकेडेमिक है उसका संबंध शिक्षा से है। जहां तक कि ऐकेडेमिक का संबंध है उसके बारे में तो २ राय हो ही नहीं सकती कि उसमें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये। लेकिन मेनेजमेंट में भी आटोनामी चाहना बिलकुल ही गलत चीज होगी जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने, मैं उदाहरण के लिये कह रहा हूं, अपने ऊपर २० लाख का कर्जा कर लिया है और अन्ततोगत्वा उसका भार सरकार के ऊपर आता है। मैंने पारसाल ही इस भवन में यह कहा था कि उस २० लाख के कर्जे को सरकार अपने ऊपर ले रही है, यह दूसरी बात है कि जो कर्जा उन्होंने लिया है वह यूनिवर्सिटी से संबंधित कार्यों के लिये ही लिया और सम्भवतः उससे यूनिवर्सिटी का स्तर भी ऊंचा हुआ हो और उनकी आवश्यकता थी जिसके लिये उन्होंने इस कर्ज को लिया लेकिन यदि सरकार के पास रुपया नहीं है और हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, हम अपनी शिक्षा को इतना नहीं बढ़ा सकते तो मैं समझता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिये या और किसी विश्वविद्यालय के लिये यह अनुचित बात होगी कि बिना सरकार की अनुमति के और बिना सारकर को इस बात का मौका दिये हुये कि वह आवश्यकता को समझ कर सहायता देने का प्रयत्न करे, आप ही कर्जा ले ले और बाद में इस तरीके से सरकार के ऊपर उसका बोझ पड़े, यह कोई आटोनामी की बात नहीं है। आप ने राधाकृष्णन् कमीशन में यह गौर नहीं किया कि जहां भी उन्होंने आटोनामी की बात कही है उन्होंने एकेडेमिक आटोनामी का ही जिक्र किया है। मेनेजीरियल आटोनामी तो किसी भी देश के लिये एक भयावह चीज होगी। जब दूसरे देशों में पुलिस में, फौज में और सर्विसेज तक में जहां तक मैनेजमेंट का संबंध है आटोनामी नहीं है तो एजूकेशन की सर्विसेज में उसको रखने का क्या कारण है। आप या मैं इससे सहमत हों या न हों लेकिन मैं आपकी सेवा में कहना चाहता हूं कि एरिसटाट ने कहा है कि राज्य का सीधा संबंध शिक्षा से होता है और इसके सपोर्ट में जो दलील उसने दी है वह यह है कि राज्य का काम होता है कि वह जनता को अधिक से अधिक सुविधा और सुख दे, चाहे हमारा और राजनारायण जी का यह मतभेद हो कि वह समझते हैं कि हम जनता को सुखी नहीं रख सकते और हम समझते हों कि वह जनता को सुखी नहीं रख सकते लेकिन अरिसटोटल ने कहा है कि जितने भी राजनैतिक दल होते हैं उनका आधार केवल यही होता है कि वह सब यही चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक जनता को सुविधा और सुख दें। और उसने आगे यह भी कहा है कि यह जो सुख होता है उसका अनुभव शिक्षा द्वारा ही कोई कर सकता है। यदि अशिक्षित आदमी सुख का अनुभव नहीं कर सकता तो चूंकि शिक्षा का संबंध सुख के अनुभव से है और राज्य

[श्री हरगोविन्द सिंह]

का संबंध अधिक से अधिक सुख से है इसलिये उसने कहा है कि दोनों का इतना संबंध है कि यह कहना कि राज्य का शिक्षा संस्थाओं से संबंध न होना चाहिये यह उसने कहा कि डेमोक्रेसी पर यह चीज ठीक नहीं बैठती है। मैंने सिर्फ इसलिये यह कहा। मैं अपनी कोई राय नहीं देता हूं लेकिन जितनी औरों की विचारधारायें हैं वे मैंने आपके सामने रखी हैं इसलिये कि आप कहीं इस गलती में न पड़ जावें कि डेमोक्रेसी में शिक्षा संस्थाओं का स्वतंत्र रहना ही एक निश्चित रीति है। मैं आपसे माफी मागूंगा कि मैं ज्यादा डिटेल में चला गया लेकिन यह इसलिये जरूरी हुआ कि लोगों ने कुछ इसकी चर्चा की थी। मैं अभी भी यही कहता हूं कि उसमें यह कारण बिलकुल नहीं था कि हम किसी वाइसचांसलर को चाहते थे या नहीं चाहते थे। यदि यही मतलब होता तो हम आपसे यह नहीं कहते कि हम इस कारण वाइसचांसलर की अवधि में एक बढ़ोत्तरी चाहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे अर्थ से विधेयक आपके सामने प्रस्तुत करने जाते हैं। अगर इतनी ही बात होती तो हम कारणों में यह न कुछ कह करके सिर्फ इतना ही कह देते कि तीन वर्ष में कोई वाइस चांसलर, इस छोटे से काल में, ठीक तरह से अपने कार्य को सम्पादन नहीं कर सकता इसलिये उसका कार्यकाल ४ वर्ष किया है तो ३ साल और बढ़ा दिया जाय, ६ साल का रहे। तब तो आप यह कह सकते थे कि हम इस वाइसचांसलर को ही रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे काफी दुख हुआ कि महाजन साहब का नाम यहां लेकर उन पर आक्षेप किया गया जबकि वह इस भवन में मौजूद नहीं हैं जो अपनी सफाई दे सकें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--किसने किया ? यह साफ़ हो जाना चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह---आपने ही किया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, किसी ने आक्षेप नहीं किया। स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह--आपने नहीं किया, श्री राजनारायण जी ने किया। मैं महाजन साहब के पक्ष में बोलने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन शिक्षा मंत्री की हैसियत से मैं समझाता हूं कि मुझे उनके पक्ष में बोलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--मैंने जो राजनारायण जी का भाषण सुना जब से मैं आया हूं, हो सकता है कि ५ मिनट के लगभग पहले भी हो चुका हो, उन्होंने कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया। उन्होंने महाजन साहब के बजाय वाइस चांसलर के बारे में कहा था। उसके पहले कोई शब्द कहे हों तो माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री हरगोविन्द सिंह --मेरे ऊपर तो यही प्रभाव पड़ा कि उन्होंने यह कहा कि उनके काल में यूनिवर्सिटी ज्यादा बिगड़ी है। तो अगर किसी वाइस चांसलर के लिये यह कहा जाय तो उससे बढ़कर और कोई भर्त्सना नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष--यह व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। यह वाइस चांसलर के ऊपर है।

श्री हरगोविन्द सिंह--तो चूंकि वह यहां मौजूद नहीं है इसीलिये मैंने कहा कि उनके यहां मौजूद न होने के कारण ऐसा कहना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वाइस चांसलर का यहां पर कोई स्थान नहीं है। यहां पर श्री महाजन का एक सदस्य की हैसियत से स्थान है।

श्री हरगोविन्द सिंह--इसी कारण से मैं यह कहता हूं कि चूंकि वाइस चांसलर का इस सदन में कोई स्थान नहीं है इसलिये उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं होना चाहिये। यह

कहना कि उनके कार्यकाल में आगरा यूनिवर्सिटी बहुत बिगड़ी है, उनके ऊपर आक्षेप है और यह नहीं होना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---आप खुद कहते हैं कि आगरा यूनीवर्सिटी की दशा खराब है।

श्री हरगोविन्द सिंह---मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं थी। वह कांग्रेस के सदस्य हों। हम एक वर्ष में कोई बड़े सुधार की आशा रखते हैं। इन्हीं कारणों से प्रभावित होकर यह ऐक्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इन आंकड़ों को प्रस्तुत करते समय सरकार के दिमाग में और कोई दूसरी बात भी नहीं थी। सरकार तो केवल यह चाहती है कि यह प्रबन्ध ज्यों का त्यों बना रहे जिससे परिवर्तन शीघ्र हो जाय। अगर इस पर भी यह कहा जाय कि हमारी नीयत खराब है, हम प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं, तो मजबूरी है। आप चाहे जिस दृष्टि से देखें लेकिन भवन को मैं यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि यह चीज न हमारे दिमाग में थी और न है। केवल हम चाहते हैं कि शिक्षा संस्थाओं में उथल पुथल थोड़े थोड़े समय बाद न हो और फिर वाइस चांसलर का पद भी एक बड़ा पद है। अगर आप आर्डिनेंस को देखें तो वह इसी दृष्टिकोण से रखा गया है और इसी दृष्टि से यह विधेयक रखा गया है और वह दृष्टिकोण यही था कि पूरा बिल अभी आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। फिर यहां पर छोटे छोटे बिलों पर देर लग जाती है जिसमें यह तो एक बहुत बड़ा बिल होगा। अगर उसमें ज्यादा समय लग जाय तो कोई आश्चर्य की बात न होगी। इसीलिये हमने यह बात रखी कि अभी इस अदलाबदली को न किया जाय। यही हमारा इस बिल से उद्देश्य था और इसके पेश करने का यही मतलब था। मुझे केवल इतना ही कहना है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड---२

२---आगरा यूनीवर्सिटी एक्ट, १९२६ की धारा ९ की उपधारा (२) (जिसका संबंध वाइस चांसलर के कार्यकाल से है) १२ दिसम्बर, १९४९ से प्रारम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये निर्वाचित वाइस-चांसलर के विषय में इस प्रकार सप्रभाव होगी मानो शब्द "shall be three years" के स्थान पर शब्द "shall continue until the 31st day of December, 1953" रख दिये गये हों।

यू० पी० अधिनियम ८, १९२६ की धारा ९ (२) का संशोधन।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत विधेयक के खंड २ का विरोध करना चाहता हूं। श्रीमन् इस खंड का विरोध करते हुये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं. . . . . .

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि अभी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। इसलिये प्वाइन्ट आफ आर्डर का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं खंड २ का विरोध करता हूं क्योंकि यही इस विधेयक का मुख्य अंश है और इसी के द्वारा आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ९ की उपधारा (२) को संशोधित किया जा रहा है इसलिये यदि मैं आपकी आज्ञा से उनके पूर्वभाषण

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

के कुछ अंश उद्धृत करूं तो मैं समझता हूं कि उसके लिये मुझे आपकी आज्ञा प्राप्त हो जायगी। उनके अनुसार पिछले वाइस-चांसलर के कार्यकाल को बढ़ाने की आवश्यकता इसलिये हुई कि अगर कोई नया वाइस-चांसलर चुन जाता तो वह नये विधेयक के पास होने के बाद नये चुनाव का विरोध करता और उथल-पुथल हो जाती। श्रीमन्, मैं इस प्रकार की दलीलें इस खंड के समर्थन में अनुपयुक्त समझता हूं क्योंकि आज तक कहीं भी चुनाव के इतिहास में और खास तौर से शिक्षा संस्थाओं के चुनाव के इतिहास में यह नहीं देखा गया कि किसी भी चुनाव का विरोध वहां के वाइसचांसलर ने किया हो या किसी भी शिक्षा अधिकारी ने इस प्रकार का विरोध किया हो, या किसी विधेयक का मुकाबला किया हो। मैं तो यह कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने हम पर आरोप लगाया, हमारे विरोधी दल के नेता पर आरोप लगाया कि उन्होंने वाइसचांसलर पर आक्षेप किये हैं। मैं तो कहता हूं कि इस बात को सजेस्ट करके माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रत्येक चुने हुये वाइस चांसलर पर आक्षेप किया है कि अगर कोई विधेयक पास हो जाय और उस विधेयक के अनुसार चुना हुआ वाइसचांसलर उस विधेयक का मुकाबिला करेगा। मैं समझता हूं श्रीमन् शिक्षा मंत्री जी ने कुछ गलतफहमी के कारण इस बात को कहा है। श्रीमन्, उन्होंने यूनीवर्सिटी की आटोनामी को दो हिस्सों में विभाजित किया और बताया कि एक मैनेजीरियल आटोनामी और दूसरा ऐकेडेमिक आटोनामी है। उन्होंने यह भी कहा कि हम कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें तो हमें नजर आयेगा कि आटोनामी शब्द का जहां जहां इस्तेमाल किया गया है वह ऐकेडेमिक है। मैं इस खंड का वि ब करते हुये माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने फिर उनकी आज्ञानुसार किताबों को देखा कमीशन की रिपोर्ट को देखा कि उसमें क्या लिखा है ऐकेडेमिक आटोनामी या मैनेजीरियल आटोनामी।

श्री अध्यक्ष--मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बातें जेनरल डिस्कशन में आई हैं उन बातों का जवाब अब नहीं दिया जा सकेगा। जो प्रस्ताव है आप उसका विरोध कीजिये लेकिन पहले के विवाद का जवाब इस समय नहीं देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं जवाब नहीं दे रहा हूं बल्कि उनको अपनी सहूलियत के लिये उद्धृत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--आप यह जवाब ही दे रहे थे और इसके लिये इजाजत नहीं दे सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं आपकी आज्ञानुसार उनको उद्धृत नहीं करूंगा लेकिन अपनी ओर से यह कहता हूं कि यहां तो न कोई मैनेजीरियल आटोनामी है और न कोई एकेडेमिक ऐटानामी का प्रश्न है बल्कि आज तो मिनिस्ट्रियल आटोनामी की बात है। मिनिस्ट्रीरियल आटोनामी होनी चाहिये। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये न सदन की तरफ से, न जनता की तरफ से, न सरकारी पार्टी की ही तरफ से मिनिस्टीलियल आटोनामी में कोई हस्तक्षेप होना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन सी हत्या हो गई अगर सीनेट इसी सदन द्वारा बनाये गये ऐक्ट के अनुसार तीन साल में चुनाव करा लेता है। अगर इस तरह का चुनाव करा लेती है तो क्या गुनाह करती है, कौन से आदर्श का हनन करती है अगर तीन साल में वाइस-चांसलर का टर्म खत्म हो और सीनेट इसी सदन द्वारा बनाये गये ऐक्ट के अनुसार चुनाव करवा ले। हां, अगर दो साल में या डेढ़ साल में करा लेती तो हम कहते कि वह आदर्शों के खिलाफ जा रही है, लेकिन अगर तीन साल में इसी सदन के द्वारा बनाये हुये ऐक्ट के अनुसार सीनेट चुनाव कर ले तो क्या गुस्ताखी वह करती है और कौन सी सरकारी आटोनामी पर आक्रमण हो जाता है। मैं श्रीमन् माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने न आर्डिनेंस

का जिक्र किया कि वह तभी तक लागू होता है जब तक कोई अमेंडमेंट ऐक्ट न बन जायगा जो हमारे वाइस चांसलर वर्तमान हैं आगरा यूनिवर्सिटी के लिये जिसके लिये माननीय मंत्री जी के अनुसार ही कि वह कोई सुधार नहीं कर पायेंगे और वह कोई माकूल परिवर्तन आगरा यूनिवर्सिटी की व्यवस्था में नहीं कर पायेंगे और इसी सम्भावना को दृष्टि में रखते हुये कोई वी० सी० चुन लिया जाता तो वह उथल पुथल करता लेकिन जो नामजद किया हुआ वी० सी० है वह उथल पुलथ नहीं करता। लेकिन सरकार की यह दलील हमारे इन खंडों को स्वीकार करने के विपरीत जाती है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि नामजद किया हुआ वी० सी० कभी सही बात का समर्थन नहीं करेंगे और किसी गलत बात का विरोध नहीं करेंगे। भले ही चुनाव के द्वारा चुने हुए वी० सी० हों, भल ही सरकार द्वारा नामजद वी० सी० हों।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

•

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२९ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

प्रश्न १८ की सम्बन्धित सूची

क्रम संख्या	नाम	निवासस्थान	योग्यता
१	श्री रामचन्द्र मणि त्रिपाठी	देवरिया	बी० एस० सी० एज० II डिवीजन राजनैतिक पीड़ित।
२	श्री आनन्द नारायण अनद	इलाहाबाद	बी० ए० एल० एल० बी० II डिवीजन राजनैतिक पीड़ित।
३	श्री रामपाल सिंह चौहान	बरेली	एम० ए० III डिवीजन राजनैतिक पीड़ित।
४	श्री हरिशंकर शर्मा	मुरादाबाद	एम०ए० एल०एल० बी० II डिवीजन राजनैतिक पीड़ित।
५	श्री शिवनारायण	आगरा	एम० ए०, परिगणित जाति।
६	श्री राम प्रसाद दुबे	लखनऊ	एम० एस० सी० I डिवीजन कृषि, ग्रेजुएट
७	श्री छोटे लाल जाटव	शाहजहांपुर	एम० ए० II डिवीजन परिगणित जाति।
८	श्री फौजदार सिंह	बांदा	बी० एस० सी० ए० जी० I डिवीजन राजनैतिक पीड़ित।
९	श्री सतीश चन्द्र मिश्र	लखनऊ	बी० एस०, सी० ए० जी० II डिवीजन राजनैतिक पीड़ित।
१०	श्री श्रीनाथ पांडे	बनारस	बी० ए०, भूतपूर्व स्टेट कर्मचारी।
११	श्री बलराम पांडे	बनारस	एम० ए० III डिवीजन राजनैतिक पीड़ित।
१२	श्री रामनाथ	आजमगढ़	बी० एस० सी० II डिवीजन परिगणित जाति।
१३	श्री देवकी नन्दन शर्मा	अलीगढ़	एम० काम० (एल० एल० बी०)
१४	श्री हसन जमील	लखनऊ	एम० ए० III डिवीजन, राजनैतिक पीड़ित।
१५	श्री शिवनाथ सिंह मौर्य	कानपुर	बी० एस० सी० II डिवीजन पिछड़ी जाति व कृषि ग्रेजुएट।
१६	श्री राजकुमार सिंह विसेन	बहराइच	बी० ए०, राजनैतिक पीड़ित।
१७	श्री रशीदुज्जफर	लखनऊ	बी० ए० एल-एल० बी पिछड़ी जाति।
१८	श्री एस० एम० अजीमुल्ला	बनारस	बी० ए० बी० टी० भूतपूर्व स्टेट कर्मचारी।

क्रम संख्या	नाम	निवास स्थान	योग्यता
१९	श्री बल्देव दास अग्रवाल	बनारस	बी० ए०, राजनैतिक पीड़ित।
२०	श्री कृष्ण चन्द्र मेहरोत्रा	लखनऊ	बी० ए०
२१	श्री उमाशंकर श्रीवास्तव	इलाहाबाद	एल० एल० बी० (I) एम० ए० II डिवीजन।
२२	श्री अनोखे लाल	इलाहाबाद	इन्टर, परिगणित जाति, राजनैतिक पीड़ित।
२३	श्री अष्टभुजा प्रसाद श्रीवास्तव	लखनऊ	बी० ए०, III डिवीजन राजनैतिक पीड़ित।
२४	श्री मोहम्मद खलील	लखनऊ	एम० ए० एल-एल० बी०, पिछड़ी जाति।
२५	श्री चुन्नीलाल	लखनऊ	एम० ए० II डिवीजन परिगणित जाति।
२६	श्री कृष्णपाल सिंह	आगरा	एम० ए०, परिगणित जाति।
२७	श्री राम नवल लाल	बस्ती	बी० ए० III डिवीजन, राजनैतिक पीड़ित।
२८	श्री शिवरामदास बसोर	जालौन	बी० काम परिगणित जाति।
२९	श्री जगरूप सिंह	इलाहाबाद	एम० ए०, परिगणित जाति।
३०	श्री देवदत्त शर्मा	बनारस	बी०ए० II डिवीजन, राजनैतिक पीड़ित।
३१	श्री तोताराम जाटव	कानपुर	एम० ए० II डिवीजन परिगणित जाति
३२	श्री दीपचन्द्र सिंह	बनारस	बी० ए०, II डिवीजन पिछड़ी जाति।
३३	श्री हरी नाथ बुधवार	लखनऊ	बी० ए०, राजनैतिक पीड़ित।
३४	श्री विद्याधर सहाय विधैन	गोरखपुर	शास्त्री, बनारस विश्वविद्यालय राजनैतिक पीड़ित।
३५	श्री जयपाल सिंह	सहारनपुर	एम० एस० सी० I डिवीजन कृषि ग्रेजुएट।
३६	श्री शिवा जी श्रीवास्तव	कानपुर	बी० ए०, राजनैतिक पीड़ित।
३७	श्री विश्वनाथ प्रसाद	बलिया	बी० काम०, पिछड़ी जाति।
३८	श्री मुहम्मद इलयास अहमद	इलाहाबाद	बी० ए०, पिछड़ी जाति।
३९	श्री विजय बहादुर सिंह	आजमगढ़	एम० ए० एल-एल० बी०।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८१ पर)

सूची

क्रम संख्या	पद का नाम	चुने गये कर्मचारियों की संख्या
१	नायब तहसीलदार	७
२	अमीन	९४
३	लिपिक (clark)	२४
४	चपरासी	१९७

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८२ पर)

No. 4370/I-B697B-1946

FROM

B. N. JHA, ESQR., C. I. E., I. C. S.,
SECRETARY TO GOVERNMENT, UTTAR PRADESH,

To

ALL COMMISSIONERS OF DIVISIONS, INCLUDING THE DEPUTY COMMISSIONER IN CHARGE, KUMAON DIVISION, AND ALL DISTRICT OFFICERS, UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, January 11, 1947.

Subject : **Touring of Sub-Divisional Officers**

SIR,

I am directed to say that the Government have again reviewed the position in regard to touring by Sub-Divisional Officers and the disposal of cases by them while on tour and have decided, in modification of the orders in G. O. no. 522B/I-1938, dated October 16, 1939, read with G. O. no. 522B/I-1938, dated October 17, 1940, that the period of touring by Sub-Divisional Officers should be limited to one month. If, in special circumstances, the Collector considers it desirable to extend a Sub-Divisional Officer's touring from one month to six weeks, he may do so by reporting the fact to Government and the reasons for which he considers this extension necessary.

2. The period of touring should be utilised for the purposes detailed in para. 1 of G. O. no. 163/II-1938, dated November 23, 1938, which should be carefully studied and complied with. The Sub-Divisional Officers should give priority to local inspections and to establishing contacts with the people in their sub-divisions and to looking into their grievances and complaints whether concerning non-officials or officials and, if necessary, referring them through the proper channel to Government in appropriate cases. They should submit patwaris' papers to a close inspection and carry out ordinary executive duties which they have been accustomed to do during their tours. During this period, the Government expect the Sub-Divisional Officers to get into touch with public opinion generally, to be in touch with the public and to know what they want. It may also be advisable occasionally to inspect sites either in revenue or in criminal cases with which they will have to deal either during their tour or later when they are over. A local inspection in such cases very often makes a vast difference to the case with which they may arrive at a just decision later.

3. As regards the actual case work to be done during their tours, I am to say that Sub-Divisional Officers should scrutinise their lists of pending cases—rent, revenue and criminal—and whichever cases can be conveniently disposed of in the course of their tours should be fixed for hearing. The place of hearing should, in each case, be selected with due regard to the convenience of parties and the witnesses. As a rule, only such cases

should be taken up as relate to the village where the court is held, and in case the parties belong to a different village, it should be within easy reach Ordinarily, no case should be taken up during the touring period where the parties and the witnesses concerned reside beyond more than five miles radius of the Sub-Divisional Officer's place of camping. The main abject of these conditions, which are not absolutely rigid, is that the convenience of the parties and others should be carefully kept in mind and the dates of cases should be arranged in a methodical way, as far as possible, at or be fore the commencement of the tour.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
B. N. JHA,
Secretary.

No. 4370(1)/I-B-697B-1946

COPY forwarded for information to the Secretary, Board of Revenue, U. P.

By order,
(Sd.) B. N. JHA,
Secretary

REVENUE (B) DEPARTMENT.

No. 4370(2)/I-B-697B-1946

forwarded to Chief Secretary, Home Secretary and Information Secretary.

By order,
B. N. JHA,
Secretary

No. 11700/I-B-697B/1946

FROM

SRI ZAHURUL HASAN, I.A.S.,
SECRETARY TO GOVERNMENT, UTTAR PRADESH,

TO

ALL DISTRICT OFFICERS, UTTAR PRADESH, EXCLUDING THOSE OF ALMORA, GARHWAL AND TEHRI-GARHWAL.

Dated Lucknow, Novembes 14, 1952.

Subject : **Touring of Sub-Divisional Officers and Tahsildars during the cold weather, 1952-53.**

am directed to address you on the above subject. Owing to occupation of Sub-Divisional Officers in connection with the Za- Abolition Compensation work, which requires their presence at il headquarters for a major part of the month, most of the Officers think that it would not be possible for them to complete their six weeks of winter tour this year. The Zamindari Abolition Compensation work is at a stage at present where ordinarily it will not be expedient to disturb it by touring. At the same time, winter tours this year by the Sub-Divisional Officers and the Tahsildars will be of particular importance. It will be for the first time that direct collections of land revenue will be made from the cultivators, and as such it is necessary for the Sub-Divisional Officers to remain in full touch with the local affairs in the country-side and to help the collection staff as best as they can. Secondly as you are aware,

Gaon Sabhas and Land Management Committees have not yet started their work as regards land management, hats,bazars, melas, tanks, ponds and scattered trees etc., and thus it is likely that a vacum might have been created as a result of the abolity on of zamindari. It will be necessary for the Sub-Divisional Officers and Tahsildars to look into these matters and, as far as possible, try to train the gaon sabhas and land management committees in their new duties. Thirdly, the Sub-Divisional Officers will also be required to take action under the U. P. Land Reforms (Supplementary) Act, 1952, to resolve disputes regarding cultivatory possession of land, which come to their notice, while they are out on tour. Instructions regarding this matter have already been issued in G. O. no. 8548/I-A-1207/1952, dated November 3, 1952. Lastly in some places direct collection of land revenue and the discharge of new responsibilities by the gaon sabhas may have created certain law and order problems, which can best be solved at the spot. We are virtually overhauling the entire economy of the rural areas and it is necessary to see the reactions and to watch developments. Further changes in law and policy may be called for. The Sub-Divisional Officers should not only go round and do their usual work but they should keep their eyes and ears open and throughout maintain a receptive mood so that they may be able to make concrete suggestions for the future. The work of planning too has to be conducted with vigour and non-official co-operation has to be secured. This too will require their active and constant attention. The need of complete understanding between the services and the people is growing every day and the two should come closer. The rural people in the olden days used to place their reliance on public authorities for the removal of their grievances and also for obtaining adequate relief in times of emergency. This confidence must not be allowed to be impaired, but everything should be done to further strengthen it. Taking all these factors into consideration, the Governor has been pleased to order that subject to the orders contained in paras 2 and 3 below the winter tours of Sub-Divisional Officers and Tahsildars should continue.

2. The Governor considers that it is desirable that winter tour should start this year from the month of January 1953. The Sub-Divisional Officers should be required to go on tour for a period not exceeding thirty days in two shifts of fifteen days each. On the other hand, the tours by Tahsildars also need not exceed thirty days, but may begin in December 1952. Programmes should be so arranged that either the Sub-Divisional Officer or the Tahsildar always remains present at tahsil headquarters.

3. The Governor does not consider it necessary to impose any time limit for winter tours of Collectors this year. But ordinarily it will be possible for a Collector to complete his tour of the district in about forty-five days.

4. During the winter tour the District Officers and the Sub-Divisional Officers, besides carrying out their normal inspections of thanas etc, will pay particular attention to the land revenue collections, the land management difficulties and the correction of records in the light of G. O. no. 8548/I-A-1207/1952, dated November 3, 1952, referred to above. The Tahsildars, however, will primarily have to look after land revenue collections. No fresh instructions are necessary with regard to the other usual

inspections, which are made by the District Officers and the Sub-Divisiona Officers during their winter tours, and the instructions already in force would stand.

5. It is left to the discretion of District Officers to so arrange the programme of Sub-Divisional Officers as to interfere least with the Zamindari Abolition Compensation work. The patwaris concerned will be released from Zamindari Abolition Compensation work for the minimum length of time during the period the officers are touring in their circles.

6. I am to point out that this year there will be no regular partal because the papers for 1360 fasli are not yet ready. But the imporatnce of taking prompt action on the applications and cases under the U. P. Land Reforms (Supplementary) Act, 1952, cannot be over-emphasizd and for that purpose the presence of patwaris in their respective circles during the tour of the Collector or the Sub-Divisional Officer will be essential.

Yours faithfully,

ZAHURUL HASAN,
Secretary.

No. 11700(i)/I-B-697B of date

COPY forwarded to the Land Reforms Commissioner, Uttar Pradesh, with reference to his letter no. 12825/2-145BI-1952, dated October 31, 1952, with the remark that a set of instructions to Sub-Divisional Officers for training the village organization in land management work may please be issued before the winter tour starts.

No. 11700(ii)/I-B 697B-1946 of date

Copy also forwarded for information to :—

1. All Commissioners of Divisions, Uttar Pradesh.
2. The Administrative Member, Board of Revenue, Uttar Pradesh.
3. The Chief Secretary to Government, Uttar Pradesh.

By order,

ZAHURUL HASAN,
Secretary to Government.
Uttar Pradesh.

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४८ एल ए—१९५२—८५०